₹ चिंतन

एक सोच

लेखक

बी.सी. भरतिया

चिंतन

एक सोच

लेखक
बी.सी. भरतिया

चिंतन
एक सोच

लेखक : © बी.सी. भरतिया

सदोदय, धारोडकर चौक, सेंट्रल एवेन्यु,
नागपुर - 440 032 (महाराष्ट्र)
मोबाइल : 94221 01317
इमेल : **bcbhartia@gmail.com**

संपादन : सुदर्शन चक्रधर

मो. - 98221 32844

ISBN No. : 978-93-342-0923-5

प्रकाशक :

प्रवीण खंडेलवाल

सांसद, चांदनी चौक, नई दिल्ली
महामंत्री, कंफ्यूडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स

मुखपृष्ठ एवं आंतरिक सजावट :

प्रशांत डिजाइनिंग ॲण्ड प्रिंटिंग वर्क्स,
103, मोरया अपार्टमेंट, महाकालकर सभागृह के पीछे,
बीडीपेठ, नागपुर - 440024, (महाराष्ट्र)
मो. 83292 58505

मुद्रक :

आराध्या एंटरप्राइजेस मल्टीकलर ऑफसेट प्रिंटिंग
प्लॉट नं. 752, शांति निवास, कर्नलबाग, गणेशपेठ,
नागपुर - 440018, (महाराष्ट्र) मो. 90226 31363

प्रथम संस्करण : 2025

लेख संग्रह

मूल्य - ₹501/-

चिंतन

एक सोच

बी.सी. भरतिया

सदोदय, धारोडकर चौक, सेंट्रल एवेन्यु,
नागपुर - 440 032 (महाराष्ट्र)

पूज्य माताजी स्व. श्रीमती सुमित्रा देवीजी एवं
पूज्य पिताजी स्व. श्री चतुर्भुजजी भरतिया को
सादर समर्पित

संपादकीय

'हिसाब' से 'किताब' तक

यूं तो 'हिसाब-किताब' का सीधा संबंध गणित से होता है, लेकिन अगर एक कारोबारी और व्यस्त व्यापारी नेता 'हिसाब' करते-करते 'किताब' लेखन की ओर प्रवृत्त हो जाए, तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। ...और इस अद्भुत चमत्कार को साकार कर दिखाया है, हमारे प्रिय अग्रज बीसी भरतियाजी ने। पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) होने और देश भर के व्यापारियों को कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन देने में व्यस्त रहने के बावजूद समाज प्रबोधन के लिए आध्यात्मिक लेखन की ओर उनका झुकाव, निस्संदेह उनकी बहुमुखी प्रतिभा और विलक्षण बुद्धि का ही द्योतक है।

वास्तव में बीसी भरतियाजी के भीतर एक अद्भुत लेखक मौजूद है। आर्थिक और सामाजिक प्रबंधन करते हुए उनमें आश्चर्यजनक रूप से विलक्षण प्रतिभा वाले लेखकीय गुण भी हैं। इसका एहसास उनकी इस किताब 'चिंतन : एक सोच' के संपादन के लिए हुई कई बैठकों के दौरान हमें हुआ। इन लेखों में प्रयुक्त शब्दावली, भाषा शैली और वाक्य विन्यास भरतियाजी के ही हैं । हमने उन्हें सिर्फ संपादित, संशोधित और संयोजित ही किया है। इस पुस्तक में प्रस्तुत प्रत्येक लेख में घर-परिवार, मानवजीवन, जनकल्याण और समाज उत्थान के लिए उत्कृष्ट संदेश भी निहित हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरी किताब पढ़ते हुए आप बीसी भरतियाजी के 'चिंतन' को निश्चित ही सराहेंगे। पुनःश्च बधाई के साथ ही इस पुस्तक की सफलता के लिए असीम हार्दिक शुभकामनाएं....

सुदर्शन चक्रधर
(संपादक - दैनिक राष्ट्रप्रकाश)

अपनी बात

आत्म-चिंतन

समाज में व्याप्त समस्याओं, विसंगतियों और विडंबनाओं पर प्रत्येक बुद्धिजीवी अपने-अपने तरीके से चिंतन-मंथन करता ही है। चंद वर्ष पहले ऋषिकेश में सरिता-तट पर ब्रम्हमुहूर्त कहें या प्रातः काल में कुछ विचार आए और फिर आते ही चले गए। कुछ दिनों तक वहीं सुरम्य-दैविक आध्यात्मिक गंगा में विचारों की डुबकियां लगाईं, तो कुछ विचारणीय लेखों को आकार मिला। फिर प्रस्तुत पुस्तक 'चिंतन : एक सोच' की रुपरेखा बनी, जो आज आप सबके सम्मुख है।

'चिंतन : एक सोच' नामक इस पुस्तक में समाज के लिए चिंता भी है और चिंतन भी। परिवार के लिए विचार भी है और दिशानिर्देश भी। व्यापार-क्षेत्र के लिए मन की बात भी कही गई है और देश की वर्तमान स्थिति का चिंतनीय-चित्रण भी अपने शब्दों के कैनवास पर उकेरने का प्रयास मैंने किया है। कुल मिलाकर मेरे इस सृजनात्मक प्रयास का स्थान दर्पण जैसा न होकर, एक पारदर्शी कांच का है, जिसमें अपना चेहरा भी दिखता है और समाज का भी। इस पुस्तक में लिखे तमाम विचारों से आप समस्त सुधिजन सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरी 'एक सोच' पर चिंतन अवश्य करेंगे, यही आप सब से निवेदन है।

इस पुस्तक में लिखे सभी विचारोत्तेजक एवं चिंतनीय लेख अब तक अप्रकाशित-अप्रसारित हैं एवं समाज-परिवार एवं देश के लिए एक अनमोल गुलदस्ता है। पुस्तक में छपे मेरे सभी लेखों में मेरे अपने अनुभवों का खजाना ही प्रस्तुत करने की कोशिश मैंने की है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरे कार्यों, सेवाओं, व्यवसाय और विभिन्न संगठनों से जुड़े होने के कारण मुझे पद, प्रतिष्ठा और सम्मान सब कुछ मिला है। सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीड़ा एवं अन्य क्षेत्रों में कार्य करते हुए मुझे सभी का भरपूर स्नेह,

सहयोग एवं संबल प्राप्त होता रहा है। तदहेतु मैं सभी का कृतज्ञ हूं।

इस किताब को वर्तमान स्वरूप देने में हिंदी दैनिक 'राष्ट्रप्रकाश' के कार्यकारी संपादक श्री सुदर्शनजी चक्रधर एवं सांसद श्री प्रवीणजी खंडेलवाल ने जो मार्गदर्शन व संपादन-प्रकाशन में सहयोग दिया, उसके लिए मैं सदैव उनका ऋणी रहूंगा। इस किताब की सजावट में श्री प्रशांत वानखेडे का भी अतुलनीय योगदान रहा। अतः उनका भी हृदय से आभारी हूं। साथ ही उन सभी लोगों का भी कोटि-कोटि आभार, जिन्होंने इस किताब के प्रकाशन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मदद की।

आप सभी का अभिवादन एवं अभिनंदन करते हुए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस पुस्तक में प्रकाशित 'मेरी सोच' एवं 'चितन' के विषय में अपने विचारों से अवगत करा कर मुझे अवश्य ही उपकृत करेंगे.... आपसे यही अपेक्षा है।

आपका ही

बी. सी. भरतिया
लेखक

बालकृष्ण और श्रीकृष्ण

द्वापर युग के बालकृष्ण की लीलाएं अपरंपार हैं। वे सर्वश्रुत हैं, सर्वविदित हैं। बालकृष्ण से श्रीकृष्ण बनने तक का सफर भी अद्‌भुत, अद्वितीय और अविस्मरणीय है। उस यात्रा में उनके साथी सुदामा भी हैं और अर्जुन भी। वे उद्धारक भी हैं और आवश्यकता पड़ने पर संहारक भी। वे सर्वसमावेशी भी हैं और मैनेजमेंट गुरु भी। सच कहें तो जीवन जीने के सही तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है, तो वे श्रीकृष्ण ही हैं। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से उन्हीं ने नकारा है। कर्म का कोई विकल्प नहीं, यह भी उन्हीं ने सिद्ध किया है।

अर्थात श्रीकृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों-हजारों बार कहा व सुना जा चुका है। इसी पार्श्व के आधार पर आधुनिक काल में आगे बढ़े हैं.... हमारे बालकृष्ण (बी.सी.) भरतियाजी! वे भी सर्वसमावेशी हैं और मैनेजमेंट गुरु भी। उनके साथियों में भी सुदामा से लेकर अर्जुन तक का समावेश है। समाज को जीवन जीने के अनेक तरीके वे अपनी प्रस्तुत पुस्तक में बता रहे हैं। राजनीति से कोसों दूर रह कर जिस प्रकार वे आध्यात्मिक जनचेतना की भावनाएं, विभिन्न व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं क्रीड़ा-क्षेत्र के मंचों पर व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार की भावनाएं प्रस्तुत पुस्तक 'चिंतन : एक सोच' में अपने लेखों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास उन्होंने किया है। बीसी भरतिया ने अपनी इस पुस्तक में ऐसे तमाम विषयों को उठाया है, जो घर-परिवार, समाज और व्यापार सहित आम जनता के सरोकार से जुड़े हैं। प्रकाशन के दौरान इन सभी लेखों पर दृष्टि डालने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और इसी आधार पर मैं मानता हूँ कि बीसी भरतिया जी एक अच्छे लेखक भी हैं।

बीसी भरतियाजी के लगभग सभी लेख समाजोपदेशक और विचारोत्तेजक ही नहीं, बल्कि आज के माहौल में चिन्तनशील भी हैं। उन्होंने अपनी कलम घर-परिवार से लेकर देश की नीतियों, संविधान, विज्ञापनों के भ्रमजाल, अंग्रेजी भाषा, समाज में लिंगभेद और संस्कारी एवं शिक्षित समाज पर भी चलाई है। 'बच्चों की शादी में देरी' से लेकर उनके विषय 'बुढ़ापे की चुनौतियों' तक पर चिन्तन करने को विवश करते हैं। भारतीय सभ्यता को व्यापारियों से जोड़ने, आर्थिक गुलामी के कारणों को उकेरने सहित महिलाओं को समाज की मध्यधारा से जोड़ने की बात भी 'चिन्तन : एक सोच' में बीसी भरतिया ने बेहद सरल और कलात्मक ढंग से की है। गांव के स्वावलंबन से लेकर देसी और विदेशी कार्यों पर आपकी टिप्पणियां यकीनन पठनीय हैं।

चूंकि भरतिया जी सामाजिक और व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उस जिम्मेदारी को निभाते हुए जो भी अनुभव या विषय की गहराई से परिचित होने का अवसर आपको मिला है, उसके बड़े स्पष्ट संकेत और संदेश आपके लेखों में मिलते हैं। आम बोलचाल की भाषा को अपनाते हुए भरतिया जी ने क्लिष्टता से बचने का सफल प्रयास किया है। इसलिए सभी लेख सहजता से पाठकों के दिलोदिमाग तक पहुंचने में सफल रहे हैं। बीसी भरतिया को एक लेखक के रूप में सफलता मिलने की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी से निवदेन है कि उनके विचारों को पढ़िए और गुनिए। अनुभूत कीजिए और 'सोच के साथ चिंतन' भी कीजिये।

पुनःश्च शुभकामनाएं.....

रिटा. चीफ जस्टिस शरद बोबडे

(भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश)

बी.सी. भरतिया

रग-रग में व्यापार और व्यापारी

बालकृष्ण चर्तुभुज भरतिया ने अपनी कड़ी मेहनत, लगन व दूरदृष्टि के द्वारा अपनी छवि सिर्फ नागपुर या मध्य भारत में ही नहीं, बल्कि देश और विदेश तक अपने व्यापारिक और सामाजिक कार्यों द्वारा फैलायी है। व्यापारिक गतिविधियों से जमीन से जुड़े बालकृष्ण भरतिया जल्द ही बी. सी. भरतिया बन गए।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी बी. सी. भरतिया, समाज के लिए कोई नया नाम नहीं है। बालकृष्ण भरतिया ने पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए अपना नाम पूरे राष्ट्र में रोशन किया है।

देश के व्यापारियों में कानून के प्रति आदर, प्रशासन के प्रति सद्भाव तथा कानून का पालन करने की प्रथा स्थापित की। बी. सी. भरतिया ने अपना स्तर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लोगों तक पहुंचाया। अब वे स्टार्ट अप के लिए भी कार्य कर रहे हैं।

सरकारी नीतियों के साथ रहते हुए भी अगर व्यापारी या आम जनता के हित में कोई नीति नहीं है, तो सरकार के सामने उन नीतियों के बारे में अपना मत स्पष्ट किया और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी छेड़ा। सरकार जब हमारे देश में अप्रत्यक्ष कर का सरलीकरण करते हुए जीएसटी लागू कर रही थी, तो कन्फैडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए बी. सी. भरतिया ने पूरे देश में विभिन्न शहरों का भ्रमण करते हुए लोगों को जीएसटी के फायदे और सरकार के साथ जीएसटी में जुड़े रहने हेतु प्रचार किया। जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों को समय-समय पर सॉफ्टवेयर के कारण जो तकलीफें आ रही थीं, भरतिया ने सरकार के साथ मिलकर उन तकलीफों को दूर करने का बड़ा काम किया। जब एक साल जीएसटी को पूर्ण हुआ, तो नागपुर के केंद्रीय जीएसटी कार्यालय में उन्हें आमंत्रित किया गया।

बी.सी. भरतिया ने विभिन्न व्यापारिक संगठनों के बीच घनिष्ठता बढ़ाने के उद्देश्य से कई कार्य किए। सामाजिक सोच में बदलाव की दृष्टि से वैलेंटाइन-डे पर भारत माता के प्रति प्यार का इजहार करने का संदेश भी उन्होंने दिया। होली के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते हुए होलिका दहन की जगह व्यापार विरोध नीतियों व कानून, इन्स्पेक्टर राज, भ्रष्टाचार व बुराई का दहन करने की परंपरा चालू की। अपने आपको व्यापारिक सेवक के रूप में जीवन व्यतीत करते-करते और अपने ज्ञान और सोच को फैलाते हुए, जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के व्यापारिक संगठन कन्फैडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स् (नई दिल्ली) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए।

चार्टड अकाउंटेंट होने के कारण सरकारी कानून, नियम और प्रावधानों की जानकारी इन्हें सरलता से हो जाती है। इसलिए वे समय से पूर्व व्यापारियों को आने वाले बदलाव के प्रति जागृत करने का कार्य बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। एफडीआई, फूड सेफ्टी कानून, जीएसटी, ई-कॉमर्स्, डिजिटल पेमेंट अपनी आर्थिक बैलेंसशीट सुधारना या फिर आने वाली कई और महत्वपूर्ण चीजों के प्रति बी. सी. भरतिया ने सर्वप्रथम जागरण व जागृति लाने का कार्य किया । व्यापारियों को एकजुट किया तथा देशभर में बड़े-बड़े आंदोलन की अगुवाई की। व्यापारियों को आधुनिक बनाना तथा उनके स्तर को अपग्रेड़ करने के लिए उन्होंने पहल की। भरतिया ने प्रशासन में बैठे तमाम बड़े अधिकारियों से मेल-मिलाप बढ़ाने का कार्य किया। अधिकारियों से संवाद के कारण व्यापारी और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला। देश के कोने-कोने का दौरा किया और व्यापारियों से संपर्क स्थापित किया ।

एफडीआई खुदरा व्यापार में लाने के सरकारी फैसले का भी बी. सी. भरतिया ने पुरजोर विरोध किया। पूरे देश में संपूर्ण क्रांति रथ यात्रा द्वारा जगह-जगह उसके माध्यम से व्यापारियों को जागृत किया, समझाया और 28 सिंतबर को पूरे देश में व्यापार बंद की घोषणा की गई। व्यक्ति की पकड़ सामने तब आती है, जब उस व्यक्ति की आवाज पर पूरे देश का व्यापार बंद हो जाता है।

बी. सी. भरतिया का सफर एक सामाजिक व व्यापारिक सेवक के रूप में नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स् में कार्य करते-करते हुआ। पहले वे उसकी कार्यकारिणी के सदस्य बने और फिर अध्यक्ष बने। नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप 4 साल के अपने कार्यकाय के दौरान बी.सी. भरतिया ने ऐतिहासिक, यादगार और अभूतपूर्व कार्य करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने तेजतर्रार दिमाग और दूरदृष्टि की बदौलत नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स को बी.सी. भरतिया ने काफी आगे ले जाने का कार्य किया। चेंबर की कार्यप्रणाली में आमूलचूल बदलाव लाया और चेंबर की पहुंच देश के नेताओं

विभिन्न व्यापारिक संगठनों तथा सरकारी महकमों तक पहुँचाई। कई ऐसी पहल कीं, जो व्यापारिक हित में तो थीं ही, मगर साथ ही साथ सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से भी लाजवाब थीं।

बी.सी.भरतिया पूरे देश के व्यापारियों के नेता के रूप में उभरे हैं और उनका अनुसरण सभी करते हैं। उन्होंने डिजिटल भुगतान व ऑनलाईन व्यापार संबंधित व्यापारियों में जागरूकता फैलाई। धर्म के काम में भी वे पीछे नहीं हैं। ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में धर्म का प्रचार-प्रसार हो, धर्मांतरण रूके, इसलिए एकल श्रीहरि वनवासी विकास ट्रस्ट के साथ जुड़कर वे धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं।

85 वर्ष पूर्व स्थापित संस्था श्री श्रध्दानंद अनाथालय में अनाथ बच्चियों के संरक्षण, देखभाल, पढ़ाई आदि की जिम्मेदारी भी वे सफलता पूर्व निभा रहे हैं । बच्चियों की पढ़ाई के साथ साथ बड़ी हो जाने पर उनका विवाह करने की जबाबदारी भी बी.सी. भरतिया भलीभांति निभा रहे हैं। महिलाओं में वित्तीय साक्षरता व वित्तीय सशक्तीकरण हेतु बी. सी. भरतिया के विशेष प्रयास रहे हैं।

बी.सी.भरतिया कहते हैं कि उनकी शक्ति के पीछे उनका संयुक्त परिवार है । 8 भाई और 12 भतीजों के साथ 2 पीढ़ी व्यापार में लगी है। तीसरी पीढ़ी व्यापार में आने तैयार है। बी.सी.भरतिया के साथ उनकी धर्मपत्नी सविता भरतिया तथा बेटियां अपर्णा आडुकिया और दामाद उमंग आडुकिया और ॲड. रोहीत शर्मा प्रेरणा का स्त्रोत हैं। उनकी दो नातिन हियाशा और ऐशाना तथा एक नाती अविराज है ।

"बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं" अभियान से बी.सी. भरतिया जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार खेल जगत में रूचि रखते हुए बी.सी. भरतिया विदर्भ हॉकी एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा वे नागपुर, विदर्भ समेत राज्य एवं राष्ट्र की अनेक सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हैं। समाज में उनका योगदान अतुलनीय है।

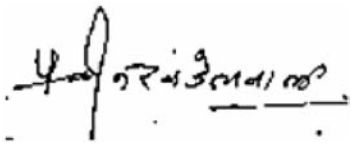

प्रवीण खंडेलवाल

सांसद और महामंत्री एम्पेटस,
कन्फैडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स्, नई दिल्ली

चौधरी

दि.
फेब्रुवारी

Tally
ame goal.
lify GST
GST READY
Tayyar
CTF

Way Forward

अनुक्रमणिका

1.	बच्चों की शादी की उम्र में देरी क्यों?	17
2.	व्यापार करने का कौशल क्या समाप्ति की ओर जाएगा?	19
3.	देश की नीतियों में तथा संविधान में कितना अंतरविरोध!	22
4.	विज्ञापनों के भ्रमजाल में फंसने से बचें	25
5.	अंग्रेजी भाषा ने हमारा कितना नुकसान किया?	28
6.	समाज को एक संगठित परिवार बनाना है	31
7.	यह शरीर किस की संपत्ति है?	34
8.	क्या समाज में लिंगभेद जरूरी है?	37
9.	संस्कारी तथा शिक्षित समाज समय की आवश्यकता	40
10.	सामाजिक दंड प्रथा/प्रणाली	42
11.	उच्च नस्ल श्रेष्ठ समाज	44
12.	बच्चों को उनके बुढ़ापे की चुनौतियों के लिए तैयार करें	46
13.	हमारा सही सुरक्षक कौन?	49
14.	संक्रमित बीमारी रहने के बावजूद बाजार चालू रहें, क्या करें?	51
15.	आर्थिक मजबूती के लिए भारतीय उत्सव मनाएं	54

16. क्या हम भटक रहे हैं? 57

17. बच्चे को उसके स्वभाव से विकसित होने दें 59

18. क्या आत्मनिर्भर शब्द में खुद को परिभाषित करना, विदेशी कंपनियों की कोई नई चाल हैं? 62

19. हमारे देश में हमारा क्या है? 65

20. शिक्षित युवाओं के गिरते स्तर का कारण 68

21. क्या भारतीय सभ्यता व्यापारी भरोसे खड़ी है? 71

22. आर्थिक गुलामी कहीं हमारे कारण तो नहीं है? 74

23. पर्यटन एक प्राचीन शक्तिशाली आर्थिक गतिविधि 77

24. महिलाओं को समाज की मध्यधारा से जोड़ना है 80

25. गांव का स्वावलंबन 83

26. जीवन के सिद्धांत बनाएं 86

27. किसान उत्पादक हैं या उद्योगपति? 89

28. बाजार में तरलता लाए सरकार 92

29. बैंकिंग प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह! 94

30. देश में समाजवाद या पूंजीवाद? 96

31. आओ विश्व अर्थव्यवस्था को करें मुट्ठी में 99

32. हम प्रकृति/पर्यावरण का हिस्सा हैं या प्रतिद्वन्द्वी? 103

33. कार्य करें देसी और नाम करवाएं विदेशी! 107

1

बच्चों की शादी की उम्र में देरी क्यों?

अगर हमें अपने बच्चों को व्यापार में ही लगाना है, तो बड़ी-बड़ी डिग्रियां, बड़े-बड़े कोर्सेज, अत्याधिक धन खर्च करके हमें शिक्षा देने से क्या लाभ! उनको इतनी उच्च शिक्षा, इतना खर्चा करके शादी कराने के लिए देरी क्यों कराते हो! बच्चे को अगर व्यापार में ही लगाना है, तो वह शादी के बाद करें। ऐसा मेरा मत है। बच्चों की शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। कानून में लड़का 21 साल का और लड़की 18 साल की हो गई तो वह शादी योग्य हो गए। शादी योग्य होने के बाद उन्हें क्यों रोका जा रहा है? इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

मैं आपका ध्यान एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। पहले हमारे यहां लड़के का विवाह 21 वर्ष पार होते ही होता था और लड़की 18 वर्ष की हो जाने के बाद माता-पिता विचलित हो जाते थे और जल्द से जल्द लड़की की शादी करवाना चाहते थे।

आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि बच्चे 30 साल के पहले विवाह नहीं करना चाहते और विवाह करने के 5 साल तक बच्चे पैदा करना नहीं चाहते। आप परिस्थिति देखिए। पहले जहां लड़का 23/24 साल का होता था, तो बाप बन जाता था। आज 35/36 साल में वह बाप बन रहा है।

हमारी तीन पीढ़ी होती है तो हमारी एक पीढ़ी कम हो रही है। इस ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। बच्चे देरी से शादी करेंगे, बच्चा देरी से पैदा करेंगे, तो हमारी जनसंख्या हर 3 साल में एक पीढ़ी कम होती चली जाएगी! हम कौन से युग में जी रहे हैं? कौन इन बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दे रहा है? इसके ऊपर चिंतन-मनन करना अति आवश्यक है।

अगर हमें अपने बच्चों को व्यापार में ही लगाना है, तो बड़ी-बड़ी डिग्रियां, बड़े-बड़े कोर्सेज, अत्याधिक धन खर्च करके हमें शिक्षा देने से क्या लाभ! उनको इतनी उच्च शिक्षा, इतना खर्चा करके शादी कराने के लिए देरी क्यों कराते हो! बच्चे को अगर व्यापार में ही लगाना है, तो वह शादी के बाद करें। ऐसा मेरा मत है। बच्चों की शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। कानून में लड़का 21 साल का और लड़की 18 साल की हो गई तो वह शादी योग्य हो गए। शादी योग्य होने के बाद उन्हें क्यों रोका जा रहा है? इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

मैं जानता हूं कि बहुत जल्दी लोग,खासकर बच्चे लोग सहमत नहीं होंगे। मगर हर प्लेटफार्म पर अगर हम यह बात उठाते रहेंगे और व्यापारी सिर्फ ग्रेजुएट लड़के से अपनी लड़की का विवाह करने को तैयार हो जाएगा, अगर वह अपने दामाद के रूप में इंजीनियर या एमबीए देखना बंद कर देगा, तो अपने आप विवाह जल्द होने लग जाएंगे। तकलीफ यह है कि अगर हमें हमारी पुत्री का विवाह करना है, तो बगैर पोस्ट ग्रेजुएशन के हम उनका विवाह नहीं कर रहे हैं। यह एक गलत परंपरा समाज में विकसित हो गई है। लड़के की पढ़ाई देखना जरूरी है या उसके घर में व्यापार कितना बड़ा और कितना अच्छा है! यह देखना जरूरी है। पहले विवाह में व्यापार की स्थिति क्या है, यह देखते थे और लड़के से अपनी कन्या का विवाह करवा देते थे। यह पंरपरा पुनः स्थापित में , तो हमारे बच्चे व्यापार में जमे रहेंगे। नौकरी के लिए यहां-वहां नहीं भागेंगे, ऐसा मेरा मानना है।

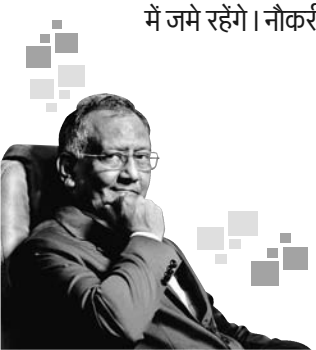

2

व्यापार करने का कौशल क्या समाप्ति की ओर जाएगा?

आनेवाली पीढ़ी इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार सहन करने तैयार नहीं थी। व्यापारियों ने अपने बच्चों को पढ़ाना-लिखाना शुरू कर दिया। व्यापारियों के बच्चे नए वातावरण में पलने-फूलने लगे। उन्हें आरामदायक जिंदगी जीने की आदत हो गई थी। ऐसे में यह व्यापारियों के बच्चे जो मालिक बनकर दूसरों को रोजगार देने का हुनर रखते थे। दूसरों से काम करवाने का हुनर रखते थे। आज इन्हीं व्यापारियों के बच्चे बड़ी-बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि व्यापार करने का हुनर रखनेवाले व्यापारियों की आनेवाली पीढ़ियों में यह कौशल समाप्त हो जाएगा।

व्यापारियों के परिवार में पीढ़ी-दर-पीढ़ी आ रहे बदलाव को जानें और समझें कि भविष्य में व्यापारियों का परिवार कहां जा रहा है! अगर हम प्राचीन काल की बात करें, तो भारत विश्व में सबसे बड़ा व्यापारी क्षेत्र था। यहां के व्यापारी पूरे विश्व की मंडियों में छाए हुए थे। विश्व का दो तिहाई व्यापार भारत देश के व्यापारी कर रहे थे। यहां से जहाज भरकर माल विदेशों में जाता था और वहां से माल बिक कर सोने के रूप में हमारे देश में आता था। इसलिए हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाने लगा। भारत के व्यापारी सबसे बड़े सम्मान के अधिकारी

रहते थे। वह अपना व्यापार सम्मान से करते थे और स्वाभिमान से अपना जीवन व्यतीत करते थे। व्यापार करते-करते औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रवेश कर गए और इसीलिए विश्वभर के लोगों की नजर हमारे देश पर पड़ने लगी। लुटेरे हमारे देश में लूटमार करने आने लगे। कुछ विदेशी लोग हमारे से व्यापार करने की इच्छा से हमारे देश में आए। व्यापार करते-करते हमारे देश की राजनीति में दखल देने लगे और फिर हमारे देश पर हुकूमत करने लगे। शायद यही दुर्भाग्य रहा।

तब व्यापार में हमारे देश के लोगों से ज्यादा इज्जत इन विदेशों के व्यापारियों की होने लगी थी। व्यापारी अपनी अस्मिता और जगह बनाए रखने के लिए आजादी के दीवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर,तन-मन-धन से देश को आजाद कराने में लग गये। व्यापारियों का सोचना था कि अगर विदेशी राज्य को समाप्त कर दिया गया और हमारा देश, हमारे लोगों द्वारा चलाया जाने लगा तो हमारे देश में हम व्यापारियों की इज्जत पुनः स्थापित हो जाएगी।

आजादी के बाद परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलीं। व्यापार करने के तरीकों में बदलाव दिखने लगा। नए-नए कानून और नई कार्यशैली हमारे देश में आने लगी। आजादी के बाद परमिट राज और कोटा राज आ गया। लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज अपनी जड़ें मजबूत करता चला गया। यह प्रणाली प्रचलित होने से हमारा व्यापार चलने लगा। कम मेहनत में ज्यादा आमदनी होने लगी। हम जो अपने कौशल और कार्यशैली से माल निर्मित करते थे और कम से कम कीमत पर ग्राहकों तक, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की क्रिया में महारथी थे, वे आज अपना कौशल भूल कर सिर्फ परमिट कैसे हासिल करना,लाइसेंस कैसे हासिल करना और मनचाहे भाव में माल बेचने की कला सीखने लगे। समाज सेवकों को क्या कार्य कैसे करना, समझाने की जगह अब व्यापारी समाज सेवक, राजनीतिज्ञ लोगों की चमचागिरी करने में मशगूल हो गया। हमारी कार्य क्षमता पर इसका विपरीत असर पड़ने लगा। अपने कार्यालय में बैठकर काम करने की जगह हम लोग सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाना शुरू करने लगे। राजनेता और अधिकारियों से काम कैसे निकलवाना, इसी में महारत पाने में हम लोग लग गए।

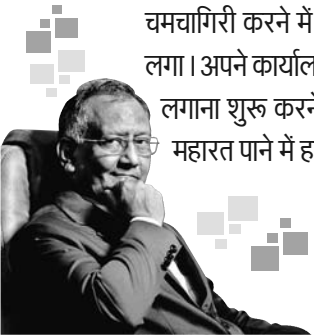

व्यापार अब मुख्यधारा से हटकर सरकारी प्रणाली में काम कैसे करना और कराना, उसमें हम लोग लग गए। कहने का मतलब यह है कि धीरे-धीरे हम लोग आराम की जिंदगी की ओर बढ़ने लगे। अपने संपर्क से काम करवा कर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की लालसा बढ़ने लगी। अब हमारे व्यापार में उसका कच्चा माल कोई सामान नहीं था, बल्कि पैसा लगाओ और पैसा कमाओ की पद्धति शुरू हो गई। हम लोग व्यापार करने में कमजोर होने लगे। यही बात आगे बढ़ते-बढ़ते इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो गई। व्यापार करना कठिन होता चला गया। व्यापारी एक तरीके से अधिकारियों का गुलाम हो गया।

अब सरकार को ऐसा लगने लगा है कि हमारे देश के व्यापारी से अच्छे विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में अच्छा व्यापार कर सकेंगी। इसलिए ऐसी नीति बनाई जा रही है कि खुदरा व्यापार में विदेशी कंपनियां अपना कब्जा जमा लें। ऑनलाइन, ई-कॉमर्स में सख्त नियम न होने की वजह से, यह बड़ी कंपनियां हमारे उपभोक्ताओं को बहुत ही चालाकी से ठगने का काम कर रही हैं। अगर देश की सरकार, देश के व्यापारियों पर भरोसा नहीं करती और विदेशियों पर भरोसा करेगी,तो उस देश में जनता का क्या हाल होगा! यह समझना जरूरी है। इतिहास गवाह है कि विदेशी व्यापार करने हमारे देश में आए और किस तरीके से उन्होंने भारत देश पर अपनी हुकूमत कायम की। इतिहास से सीखना जरूरी है। अब देखें ये बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं! यह बड़ी कंपनियां हमारे देश के युवाओं को अपने यहां नौकर रख रही हैं। उन्हें मोटी तनख्वाह दे रही हैं और काम करने का सीमित समय और अच्छा वातावरण दे रही हैं। ऐसे में युवा पीढ़ी क्या कर रही है?

आनेवाली पीढ़ी इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार सहन करने तैयार नहीं थी। व्यापारियों ने अपने बच्चों को पढ़ाना-लिखाना शुरू कर दिया। व्यापारियों के बच्चे नए वातावरण में फलने-फूलने लगे। उन्हें आरामदायक जिंदगी जीने की आदत हो गई थी। ऐसे में यह व्यापारियों के बच्चे जो मालिक बनकर दूसरों को रोजगार देने का हुनर रखते थे। दूसरों से काम करवाने का हुनर रखते थे। आज इन्हीं व्यापारियों के बच्चे बड़ी-बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि व्यापार करने का हुनर रखनेवाले व्यापारियों की आनेवाली पीढ़ियों में यह कौशल समाप्त हो जाएगा और वह नौकरों की जिंदगी, गुलामी में अपनी जीवन व्यतीत करने लगेंगे।

जंगल का एक मजबूत बब्बर शेर, चिड़ियाघर या सर्कस के पिंजरे का शेर हो जाएगा। जिसको बैठे बैठे खाना मिलेगा और जैसा बताएं वैसा करतब दिखाना होगा। जरा सोचिए?

3

देश की नीतियों में तथा संविधान में कितना अंतरविरोध!

हम यह सोचने पर विवश हो रहे हैं कि यह बुनियादी फर्क क्यों हो रहा है? समाज में असंतोष क्यों हो रहा है? क्या हम पूंजीवाद की ओर जा रहे हैं? क्या देश की संपत्ति चंद पूंजीपतियों के लिए ही सीमित है। प्रश्न करना होगा और संविधान के अंदर ही इसका उत्तर ढूंढना होगा।

यह एक गंभीर विषय है। ये बातें सोचने पर मजबूर कर रही है। हमारे देश के संविधान की पृष्ठभूमि में लिखा है कि हम एक समाजवाद देश बनाएंगे। हमारे यहां समानता रहेगी। चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो अथवा न्यायिक हो, एक समान रहेगी। दूरदराज में पहले वाले आदिवासी और ग्रामीण लोगों को वही हक और अधिकार रहेगा जो एक शहर में व्यवसाय कर रहा है या उद्योग लगा रहा है। अगर संविधान में लिखी बात अमल में आ रही होती, तो जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, उनमें इतना बड़ा फासला क्यों होता!

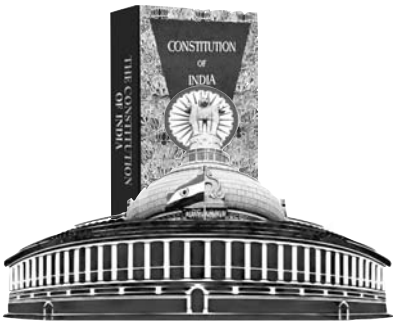

शहर वाले सभी आधुनिक तकनीक और सुविधा से सुसज्जित हैं। जो-जो उनकी जरूरतें हैं, उनके दरवाजे पर मौजूद हैं। वहीं आदिवासी, ग्रामीण, देहातीभाई सारी सुविधाओं से वंचित हैं। पीने के पानी को तरस रहे हैं। एक वक्त की रोटी कैसे भी कर के गुजारे के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। क्या वाकई में मेरा देश आजाद है? क्या वाकई, देश संविधान के अनुरूप चल रहा है? यह सोचने पर देशवासी विवश हो जाता है।

ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा हम अध्ययन करें तो समझ में आता है कि कहीं हमारे जो नीतिकार हैं, जो आज उच्च स्तर पर बैठे हुए लोग हैं, वे विदेशों के बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़कर आए हैं। आप अंतरविरोध देखें, संविधान बनाने वाले हमारी जमीन से जुड़े हुए समाज सेवक लोग थे और आज नीतिकार विदेशों में पढ़े लिखे सुशिक्षित हैं। यानी उनकी नीति-कार्यों की बुनियाद कुछ और है और संविधान रचयिता की दुनिया कुछ और थी। इस प्रकार का बुनियादी फर्क सामने आता है। स्थिति स्पष्ट है कि नीतिकार जो पढ़कर आए हैं, वह उस दिशा में देश को लेकर जाना चाहते हैं और देशवासी आजादी के बाद देश कैसे चलेगा, यह सोच रख कर अपने आपको संगठित करके स्वचलित संविधान बनाते हैं? इस ओर सोचने की जरूरत का समय आ गया है। हम यह सोचने पर विवश हो रहे हैं कि यह बुनियादी फर्क क्यों हो रहा है? समाज में असंतोष क्यों हो रहा है? क्या हम पूंजीवाद की ओर जा रहे हैं? क्या देश की संपत्ति चंद पूंजीपतियों के लिए ही सीमित है। प्रश्न करना होगा और संविधान के अंदर ही इसका उत्तर ढूंढना होगा।

आज ग्रामवासी, आदिवासी और देहातों में रहने वाले लोग क्या मांग रहे हैं? उनकी बहुत छोटी-छोटी जरूरतें हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और संस्कारी शिक्षा। क्या हम लोग इतना भी इनके लिए नहीं पहुंचा सकते! हम समझें कि उन्हें क्या चाहिए! उनके खेतों तक पानी और बिजली। जब शांति से इस बारे में विचार करते हैं, तो समझ में आता

है कि जब शहरों के हर फ्लैट तक हम पानी का कनेक्शन पहुंचा सकते हैं, तो हमारे लिए भोजन पैदा करनेवाले हर खेत तक पानी क्यों नहीं पहुंच सकता! आज प्री-नर्सरी की शिक्षा के लिए 4 साल से 5 साल के बच्चे के लिए लाखों रूपए साल के खर्च हो रहे हैं। इसके विपरीत गांव में उनके पास एक शिक्षक भी नहीं है, जो उन्हें साधारण ज्ञान दे सके। आज बड़े-बड़े अस्पताल, छोटी-छोटी बीमारियों का इलाज लाखों रूपए में कर रहे हैं और देहातों में साधारण से शौचालय के लिए व्यवस्था नहीं है। उनकी आंखों की जांच हो जाए और उन्हें उपयुक्त चश्मा मिल जाए, वह व्यवस्था के लिए भी तरस रहे हैं।

क्या हम देश को विभाजित कर रहे हैं? क्या हम देश को विभाजन की ओर ले जा रहे हैं? अगर हम एकल अभियान को ध्यान से समझें, तो हर गांव में एक शिक्षित व्यक्ति एकल विद्यालय के माध्यम से एकल अनुशासन के माध्यम से उस गांव को जीवित कर सकता है। ग्रामवासियों को बुनियादी शिक्षा दे सकता है। सोच को बदल सकता है। वह व्यक्ति ग्रामीणों में हमारे देश की संस्कृति, परंपरा, संस्कार और उत्सव आदि की जानकारी देकर देश की मध्य धारा से उनको जोड़ सकता है। अगर हमको शहर की सुख-सुविधा का आनंद लेना है, तो हमें इन लोगों की न्यूनतम बुनियादी जरूरतों को भी देखना उतना ही महत्व का है।

मुझे पुराने जमाने के गाने की एक पंक्ति हमेशा याद रहती है। उसमें शायर ने कहा है, ''अंधेरे में जो बैठे हैं, जरा उन पर भी कुछ नजर डालो, अरे ओ रोशनी वालो''।

साथियों, जब समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा, समाज का हर वर्ग सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा, अपने व्यवसाय में व्यस्त रहेगा, तो समाज का हर घटक खुश रहेगा। देश, विकास की ओर अपने आप गतिशील होकर तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगा। देश के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए हम लोग ग्रामीण, आदिवासी, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले हमारे ग्रामीण भाइयों की तरफ अपना दायित्व निभाते हुए अभियान से जुड़कर तन-मन-धन, जैसे भी हो हम अपना योगदान दे सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के अनुरूप आप दें। युवा वर्ग आगे आए। युवा शक्ति का प्रदर्शन करें। हमें शनिवार,इतवार या कभी भी पिकनिक जाना है, तो आओ हम आदिवासी क्षेत्रों में पिकनिक के लिए चलें। उनको समझें और उन्हें अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें।

4

विज्ञापनों के भ्रमजाल में फंसने से बचें

हम विज्ञापन की चकाचौंध में अपने बच्चों की इम्युनिटी बूस्ट करने या बच्चे को सेहतमंद रखने या बच्चे की ऊंचाई बढ़ाने या बच्चों की खूबसूरती संबंधित बातों से प्रभावित होकर, हम हमारे बच्चों के लिए यह ब्रांड़ेड माल की खरीदी करने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। अगर यह पदार्थ वाकई इम्युनिटी बढ़ाते, तो फिर कोरोना संबंधित इनके विज्ञापन क्यों नहीं आते?

ब्रांडेड वस्तुओं के निर्माताओं का, जिस तरीके के प्रभावशाली व्यक्तियों को इस्तेमाल कर के टीवी व अन्य माध्यम से प्रचार-प्रसार कर के, आम जनता की खरीदी व उनके सोच-विचार को प्रभावित कर, उन्हें गैर जरूरी वस्तुएं खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं,वह खरीदार की आमदनी के अनुरूप उचित है? यह उपभोक्ता को स्वयं खरीदी करने से पहले सोचना होगा। घर में जरूरत का सामान, दैनिक जरूरतों का सामान तो बुजुर्ग लाते हैं, मगर अधिकांश खर्चा ब्रांडेड वस्तुओं पर होता

है। वह हमारा युवा कर रहा है। हमें हमारे युवाओं को समझाना है कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। भविष्य के लिए, भविष्य की जरूरतों के लिए, आकस्मिक परिस्थिति या विपदा के लिए पैसा संजो के रखना, बचा कर रखना, उसका सही निवेश कर के रखना, कितना जरूरी है! ब्रांडेड कम्पनियों का व्यापारिक दुनिया का सबसे बड़ा शस्त्र उनका विज्ञापन होता है, जिसका उद्देश्य तो अमीरों की जेब से पैसा निकालना होता है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्या यह आवश्यक है कि मैं महंगे बड़ी कंपनी के नामी–गिरामी फोन लेकर ही चलूं–फिरूं, ताकि लोग मुझे बुध्दिमान और समझदार मानें? क्या यह आवश्यक है कि मैं रोजाना बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के रेस्टोरेंट में खाऊं, ताकि लोग यह न समझें कि मैं कंजूस हूं?

क्या यह आवश्यक है कि मैं प्रतिदिन अपने दोस्तों के साथ उठक–बैठक बड़े होटलों पर जाकर लगाया करूँ? ताकि लोग यह समझें कि मैं एक रईस परिवार से हूँ?क्या यह आवश्यक है कि मैं चड्डी, बनियान, पैंट,शर्ट, जूते, मोजे आदि विज्ञापन पर करोड़ों रूपये खर्च करने वाली कंपनियों का ही पहनूं, ताकि वैभवशाली परिवार का रहने वाला कहलाया जाऊँ? क्या यह आवश्यक है कि मैं अपनी हर बात में दो चार अंग्रेजी शब्द शामिल करूं, ताकि सभ्य कहलाऊं? क्या यह जरूरी है कि अपने बच्चे की शिक्षा विदेश में कराऊं?

विज्ञापनों में बताते हैं कि बच्चों की इम्युनिटी बढ़ाने के लिए, ऊंचाई बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए,ब्रांडेड कंपनियों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के पदार्थो के सेवन अपने बच्चों को देने के विज्ञापन आते हैं। ज्यादातर विज्ञापन में आप देखेंगे कि दूध में मिलाकर या शहद में मिलाकर या फिर हमारे किसी पारंपारिक पदार्थ में मिलाकर सेवन करने कहते हैं। इसका मतलब कहीं यह तो नहीं कि यह विज्ञापन वाली चीजों का असर वह नहीं हैं, जो वे विज्ञापन में दावा कर रहें है या बता रहे हैं। असर हो रहा हैं दूध,शहद या हमारी पारंपारिक व्यंजनों

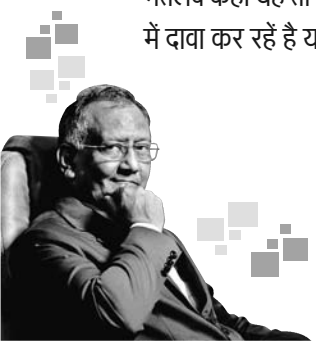

के द्वारा। हम विज्ञापन की चकाचौंध में अपने बच्चों की इम्युनिटी बूस्ट करने या बच्चे को सेहतमंद रखने या बच्चे की ऊंचाई बढ़ाने या बच्चों की खूबसूरती संबंधित बातों से प्रभावित होकर, हम हमारे बच्चों के लिए यह ब्रांड़ेड माल की खरीदी करने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। अगर यह पदार्थ वाकई इम्युनिटी बढ़ाते, तो फिर कोरोना संबंधित इनके विज्ञापन क्यों नहीं आते? मेरा यह सोचना है कि ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। समाज आपके संस्कार, आपकी बोलचाल और आपके व्यवहार के तौर तरीके से आपको पहचानना चाहता है। उसी से आपकी इज्जत बनेगी। उसी से समाज में आपकी स्वीकृति ज्यादा से ज्यादा होगी।

मेरे कपड़े तो आम दुकानों से खरीदे हुए होते हैं। अपने साथियों के साथ किसी ढाबे पर भी बैठ जाता हूं। भूख लगे तो किसी ठेले से लेकर खाने में भी कोई अपमान नहीं समझता। अपनी सीधी-सादी भाषा बोलता हूं। चाहूं तो वह सब कर सकता हूं,जो ऊपर लिखा है। लेकिन मैने ऐसे लोग भी देखे हैं, जो एक ब्रांडेड जूतों की जोड़ी की कीमत में पूरे सप्ताह भर का राशन ले सकते हैं।

मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं, जो मेरे एक बर्गर की कीमत में सारे घर का खाना बना सकते हैं। मैंने यहाँ यह रहस्य पाया है कि बहुत सारा पैसा ही सब कुछ नहीं हैं। जो लोग किसी की बाहरी हालत से उसकी कीमत लगाते हैं,वह तुरंत अपना इलाज करवाएं। मानव मूल की असली कीमत उसकी नैतिकता,व्यवहार,मेलजोल का तरीका, सहानुभूति और भाईचारा है,ना कि उसकी मौजूदा शक्ल और सूरत! आपके द्वारा कमाया हुआ पैसा आपके खून-पसीने की मेहनत है। इसे यूं ही दिखावे में बर्बाद ना करें। अपने भविष्य के लिए, अपनी जरूरतें पूर्ण करने के लिए, विपरीत परिस्थिति में अपने आपको मजबूती से खड़ा रखने के लिए इस्तेमाल करें। आपका पैसा आपकी अमानत है, आपकी संपत्ति है, इसे संजो कर रखें। दिखावे में अपने घर में आग लगाकर दिवाली मनाने की भूल ना करें।

5

अंग्रेजी भाषा ने हमारा कितना नुकसान किया?

अंग्रेजी दूरदराज आदिवासी, देहातों में नहीं गई। वहां की जो संस्कृति है, वहां की जो परंपरा है, वहां का जो रहन-सहन है, वहां की जो-जो शोध सालों से तैयार होकर इस्तेमाल की जा रही है, वह आज भी प्राचीन काल की ही है। वह हमारे देश की धरोहर है। क्यों? क्योंकि वहां तक अंग्रेजी नहीं पहुंची।

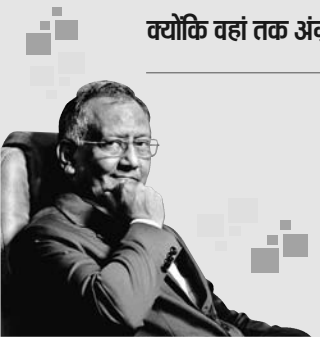

एक आम धारणा हो गई है कि अगर जिसे अंग्रेजी नहीं आती,तो वह अनपढ़ है। आज अंग्रेजी स्कूल में अपने बच्चे को डालने की होड़ लगी है। हिंदी और प्रांतीय भाषा की स्कूलें प्रायः बच्चों को तरस रही हैं। बंद होने के कगार पर हैं। क्या यह परिस्थिति अनुकूल है? क्या हमने यह स्वीकार कर लिया कि अंग्रेजी आना हमारी मातृभाषा सीखने से बड़ी बात है! इस ओर भी अध्ययन करना जरूरी है। किसी भाषा का आना महत्व का है या अलग-अलग क्षेत्र में ज्ञान लेना, जीवन शैली कैसी हो उसका ज्ञान लेना, प्रकृति

पर्यावरण का ज्ञान लेना, एक उच्च सिद्धांत स्थापित करते हुए समाज को आगे ले जाना। अगर मैं थोड़ा गहराई से सोचता हूं इस विषय में, तो समझ में आता है कि अंग्रेजी ने हमारे देश का कितना नुकसान किया है!

आज हमारी सरकार, विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को शिक्षा देकर एक उच्च स्तरीय व्यक्ति, शोधकर्ता और बुद्धिजीवी तैयार करती है। हम लोग सरकार को जो लगान रूपी कर देते हैं, यह कर सरकार बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, शिक्षा व अन्य विषयों पर खर्च करती है। जब बच्चा पढ़-लिख कर सक्षम हो जाता है, कुछ समाज को लौटाने जैसा हो जाता है,उस समय उसे अंग्रेजी की जानकारी रहने के कारण, विदेशी लोग उसे हमारे यहां से ले जाते हैं। यानी बच्चों को तैयार किया हमने और उसके ऊपर पैसा खर्च हुआ देश का, एक मजबूत मानव संसाधन बनाया हमने और उसका फल खा रहे हैं विदेशी! थाली परोस के हमने रखी और खा गया कोई और!

थोड़ा सोचें, क्या चाइना वालों को अंग्रेजी आती है, क्या जापानियों को अंग्रेजी आती है, क्या जर्मन के लोगों को अंग्रेजी आती है? नहीं। इन लोगों को क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती, तो इन लोगों को उनके देश ने तैयार करने के लिए उन पर जो खर्च किया है, उसका लाभ उनके देश को ही मिल रहा है। इसलिए उनका देश अपने ही व्यक्तियों के कारण प्रगति कर रहा है। हमारा सक्षम मानव संसाधन यहां तैयार होकर विदेश जा रहा है। हमारे लोगों के कारण ही विदेशी आगे बढ़ते जा रहे हैं।

किसान अपने यहां की फसल के अच्छी-अच्छी उपज को अपने यहां ही रखता है और बाकी उपज को बेचता है। क्यों? क्योंकि यह अच्छी उपज वह फिर से बोएगा और फिर से अच्छी फसल लेगा। कहने का तात्पर्य है कि अच्छे लोग अगर रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ी भी अच्छी, सक्षम, बुद्धिमान और कर्मशील होगी। अगर हमारे बुद्धिमान व्यक्ति, हमारे देश से

विदेश में जाकर बस गए,तो उनकी संतानें विदेश में ही जन्म लेंगी। वहां के लोगों को इसका सीधा-सीधा लाभ मिलेगा। यह गंभीर विषय हैं, सोचने वाला विषय है। अंग्रेजी दूरदराज आदिवासी, देहातों में नहीं गई। वहां की जो संस्कृति है,वहां की जो परंपरा है, वहां का जो रहन-सहन है, वहां की जो-जो शोध सालों से तैयार होकर इस्तेमाल की जा रही है, वह आज भी प्राचीन काल की ही है। वह हमारे देश की धरोहर है। क्यों? क्योंकि वहां तक अंग्रेजी नहीं पहुंची।

हमारा फर्ज होता है कि हम देहातों में, आदिवासी इलाकों में, दूरदराज के जंगलों में जो लोग रह रहे हैं, उनके पास ही हमारी सही धरोहर हैं। इन लोगों को हम सुरक्षित रखें। इनका हम विकास करें। इनका जो ज्ञान है, उसका लाभ समाज तक पहुँचाएं। इनको समाज का हिस्सा बनाएं। अंग्रेजी की गुलामी से हटने के लिए हमें इनका सहारा लेना जरूरी है। जब भगवान रामचंद्रजी इनकी मदद से लंका पर विजय पा सकते हैं, तो हम लोग इन के सहयोग से अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त क्यों नहीं हो सकते? सोचने का विषय है।

मै चाहूंगा कि इसके ऊपर गहराई से चर्चा हो, बहस हो और एक अच्छा निर्णय हमारे देश के हित में लिया जाए। देश के ज्ञानी और बुद्धिजीवी, जिस मानव संसाधन के ऊपर हमने खर्च किया है,वह मेरे देश में ही रहे। इनकी जब पढ़ाई-लिखाई हो जाती है तो, कम से कम 20 साल तक इन लोगों को अपने देश में ही काम करना पड़ेगा। इन्हें पासपोर्ट मर्यादित दिया जाए। इन्हें नौकरी के लिए देश के बाहर जाने नहीं दिया जाए।

6

समाज को एक संगठित परिवार बनाना है

एक संयुक्त परिवार, संगठित समाज का निर्माण करता है। अगर परिवार ही बिखर गए, तो समाज को संगठित कैसे करेंगे? यह एक गंभीर विषय है। इसलिए पहले भाई-भाई, भाई-बहन, माता-पिता, बच्चे यह सब संयुक्त रूप से रहना सीखें। आपस में संवाद करना सीखें। तो आप देखेंगे हम एक महान देश बनाने जा रहे हैं। जिसमें संगठित समाज है, धर्म-जाति का कोई भेद नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है।

आज समाज बिखरा हुआ-सा दिख रहा है। हमें दिख रहा है कि हमारा समाज अब अलग-अलग वर्ग, धर्म, जाति, राजनीतिक दल,ज्यादा पैसे वाले, कम पैसे वाले, अंग्रेजी ज्ञान वाले, हिंदी ज्ञान वाले, सूट-टाई पहनने वाले, पजामा - कुर्ता पहनने वाले. ऐसे अलग-अलग खंड में खंडित होता जा रहा है। क्या मेरा घर एक नहीं है? अगर है, तो मेरा समाज एक क्यों नहीं?

हम हमारे समाज को एक संयुक्त परिवार में संगठित कर सकते हैं क्या? अगर हां, फिर अच्छे कार्यों के लिए

समाज के सदस्यों को हम जोड़ सकते हैं। हमें जोड़ना होगा। समाज को आगे ले जाना होगा। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे उत्सव आदि सब हमें संजोकर रखने हैं। इन्हें बढ़ाना है। इनका विस्तार पूरे विश्व में करना है। यह सोचना होगा कि मेरा परिवार यदि एक संस्था है,तो मेरा समाज भी एक संस्था है और मेरा देश, यह भी एक संस्था है। तो परिवार चलाने के क्या नियम होंगे? परिवार के सदस्यों के क्या कर्तव्य होंगे? हम यह अपने परिवार के लिए तय करेंगे, तो अपने आप ही समाज के नियम तय होंगे। समाज एक बड़ा परिवार है और हम समाज को आगे ले जाते हुए देश को प्रगतिशील बनाना चाहते हैं।

एक संयुक्त परिवार, संगठित समाज का निर्माण करता है। अगर परिवार ही बिखर गए, तो समाज को संगठित कैसे करेंगे? यह एक गंभीर विषय है। इसलिए पहले भाई-भाई, भाई-बहन, माता-पिता, बच्चे यह सब संयुक्त रूप से रहना सीखें। आपस में संवाद करना सीखें। तो आप देखेंगे हम एक महान देश बनाने जा रहे हैं। जिसमें संगठित समाज है, धर्म-जाति का कोई भेद नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। इसी की परंपरा, इसी के उत्सव, इसी की जो धरोहर है, वह लेकर ही हम देश को आगे बढ़ाएंगे। हमारा देश एक जीवित संस्कृति है, जहां साल भर कोई ना कोई विषय लेकर उत्साह होते रहते हैं। लोग संयुक्त रूप से मिलते हैं। ऐसी संस्कृति विश्व में हमें कहीं नहीं दिखती। क्या हम ऐसे समाज की कल्पना करें? इसे करने के लिए हमारे मार्ग क्या होंगे? घर संगठित कैसे होगा? इस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए।

क्या मैं परिवार के सदस्यों के साथ नित्य संवाद कर रहा हूं? क्या मैं उनके साथ भोजन मिलकर कर रहा हूं? क्या मैं मेरी सोच, मेरे परिवार के युवा सदस्यों के साथ बांट रहा हूं? क्या मैं बच्चों के साथ,युवाओं के साथ उनके पसंद के खेल खेल रहा हूं? क्या मेरे घर का वातावरण शांतिमय है? अगर हां, तो निश्चित रूप से मैं एक अच्छे समाज की तरफ बढ़ रहा हूं।

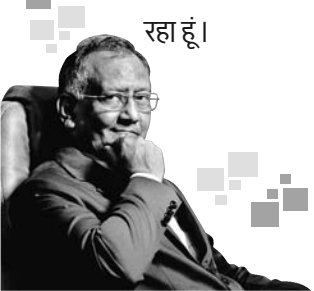

बच्चा पैदा करना आसान है, मगर उसको संस्कारी व शिक्षित बनाना इतना आसान नहीं है। उसे मर्यादा की सीमा में रहते हुए, निभना और निभाना भी सिखाना होगा। पैसे का सदुपयोग व समाज में अच्छा आचरण कैसे हो, यह भी सिखाना होगा। हमारा बच्चा ही भविष्य का समाज है। हमें उसके अंदर ऐसे बीज बोने होंगे, कि वह अपने आपको समाज के प्रति समर्पित भाव से संगठित होकर कार्य करने की शैली सीखें।

हर व्यक्ति के घर का अगर वातावरण शुद्ध है। सद्भाव पूर्वक माहौल घर का बना है तो अपने आप समाज एक बेहतरीन जगह बन जाएगा। जब हम इसके आगे समाज की तरफ आते हैं, तो हमें यह देखना है कि समाज में सबको एक दूसरे के प्रति आस्था है या नहीं? आस्था और विश्वास ही हमें संगठित कर के चलाता है।

गांव, देहात, आदिवासी व दूरदराज में रहने वाले लोग हमारे समाज के ही अंग हैं। वह हमारे परिवार के सदस्य के रूप में ही हैं। वक्त पड़ने पर वह हमारे साथ खड़े हैं। आज हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हमें यह सोचने का समय आ गया है। जरा आत्ममंथन करें। क्या यह भगवान श्री राम के सेवक, समाज की सुख-सुविधा से वंचित हैं? क्या संविधान इनको बराबरी का अधिकार नहीं दे रहा? इनकी सेवा में ही हम प्रभु श्री राम की सेवा समझें। हम इनके प्रति अपने दायित्व को समझें। इनके लिए जो समाज सेवक कार्य कर रहे हैं, उनसे जुड़ें। उनके साथ आगे बढ़ें और इन आदिवासी और ग्रामीण लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर अपने भाई के प्रति अपना फर्ज निभाएं।

7

यह शरीर किसकी संपत्ति है?

हमारे धर्म में और संस्कृति में, शरीर और आत्मा को अलग-अलग बताया गया है। इसका मतलब आत्मा शरीर की मालिक नहीं है। मैं इस उत्तर से संतुश्ट हो गया। मेरे सामने अब यह स्पष्ट था कि इस शरीर का मै विश्वस्त हूं। विश्वस्त होने के कारण मेरे कुछ कर्तव्य इस शरीर के प्रति हैं। मेरे क्या कर्तव्य होने चाहिए? इसका अध्ययन करना उतना ही जरूरी है, जितना मेरा और इस शरीर का क्या रिश्ता है?

सुबह श्री महालक्ष्मी मंदिर की आरती से नींद खुली। निकल कर बाहर समुद्र की ओर चल पड़ा। एक तरफ श्री मां महालक्ष्मी का मंदिर और दूसरी ओर हाजी अली की दरगाह। बीच में समुद्र किनारे बैठे ध्यान लगाने लगा। मन एक नई दिशा की ओर निकल पड़ा। सोच विकसित हुई कि जो हमारा शरीर है, यह शरीर किस की संपत्ति है?

गहन चिंतन करते हुए, व्याकुल मन इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने में लीन हो गया। ऐसा आभास हुआ कि निश्चित रूप से यह शरीर मेरा नहीं है।

प्रश्न यह है कि शरीर किस की संपत्ति है? इसका भी उत्तर निकलना चाहिए। ध्यान लगाते हुए ऐसा आभास हुआ कि यह शरीर मेरे परिवार, मेरी बिरादरी, मेरा समाज, मेरा शहर, मेरा देश व दुनिया की संपत्ति है। अगर यह सही है,तो सवाल आता है कि मैं कौन? मेरा और इस शरीर से क्या कोई नाता है? कोई संबंध है। उत्तर सामने था। यह शरीर मेरी संपत्ति ना होते हुए मैं इसका विश्वस्त हूं (एक ट्रस्टी हूं)। ट्रस्टी के नाते इस शरीर की मुझे देखरेख करनी है। इस शरीर के जो सही मायने में हकदार हैं, उनकी अपेक्षा के अनुरूप मुझे इस शरीर से कार्य करवाना है। तुरंत ही इस उत्तर का एक अनुबोधन सामने आ गया।

हमारे धर्म में और संस्कृति में, शरीर और आत्मा को अलग-अलग बताया गया है। इसका मतलब आत्मा शरीर की मालिक नहीं है। मैं इस उत्तर से संतुष्ट हो गया। मेरे सामने अब यह स्पष्ट था कि इस शरीर का मै विश्वस्त हूं। विश्वस्त होने के कारण मेरे कुछ कर्तव्य इस शरीर के प्रति हैं। मेरे क्या कर्तव्य होने चाहिए? इसका अध्ययन करना उतना ही जरूरी है, जितना मेरा और इस शरीर का क्या रिश्ता है? यह शरीर किस की संपत्ति है, उसकी जानकारी।

मैंने यहां पाया कि इस शरीर की एक आयु निश्चित की गई है। क्या मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं यह सुनिश्चित करूं कि यह शरीर अपनी पूरी आयु जिए। इसलिए मेरा व्याकुल मन बस इस के उत्तर को ढूंढ़ने में लीन हो गया। अगर मैं विश्वस्त हूं, तो मेरा क्या दायित्व बनता है कि मैं यह सुनिश्चित करूं कि यह शरीर अपनी पूरी आयु जीवित रहे। अब सवाल यह उठता है कि यह शरीर जिसकी संपत्ति है, उसके लिए मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए! मेरा शरीर जिसकी संपत्ति है, उनकी अपेक्षा के अनुरूप मुझे कार्य करना चाहिए। जो- जो बातें/कार्य आदि इस शरीर के जो हकदार हैं, वे चाहते हैं, वह मुझे पूर्ण करना अति आवश्यक है।

शरीर को पूरा जीवन मिले, इसलिए मैं ऐसा कोई कार्य न करूं, जिससे इस शरीर की आयु किसी भी रूप में कम हो सके। अत : मुझे किसी भी प्रकार का नशा, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और मुझे कोई भी ऐसा जोखिम भरा कार्य या जगह नहीं जाना चाहिए, जिससे इस शरीर को क्षति पहुंच सकती हो।

जो इस संपत्ति के सही मायने में हकदार हैं, उनकी अपेक्षा पूर्ण करने हेतु इस शरीर को कार्य करना चाहिए, समाज में एक आदर्श स्थापित करना चाहिए, समाज के नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए, नियम अनुसार जीवन जीना चाहिए। मेरा कर्तव्य है कि मैं यह सुनिश्चित करूं कि यह शरीर उनकी अपेक्षा के अनुरूप कार्य करे।

यह शरीर अनेक ऑर्गन (तत्वों) से बना हुआ है, तो जब मेरा इस शरीर को त्याग करने का समय आए, तब मेरा क्या कर्तव्य बनता है? शरीर के कई अंग जैसे आंखें, लिवर, किडनी इत्यादि अमूल्य चीजें हैं। तो क्या यह शरीर त्याग करने के पहले मुझे इस शरीर की वसीयत बनानी चाहिए?जवाब है हां, तो मुझे इस शरीर की वसीयत बनानी चाहिए? इस शरीर की वसीयत में मुझे यह उल्लेख करना चाहिए कि जब मैं यह शरीर त्याग करूं, तो इस शरीर के जो उपयोगी अंग हैं, समाज के लोगों के काम आ सकूं, इस शरीर से उन अंगों को निकाल कर जरूरतमंद लोंगों को हमें देना चाहिए, ताकि इस शरीर का पूरा इस्तेमाल हो सके।

8

क्या समाज में लिंगभेद जरूरी है?

आज के युग में लड़कों की पाठशाला अलग और कन्या पाठशाला अलग का सिद्धांत समाप्त हो गया है। पढ़ाई-लिखाई अब बच्चे साथ-साथ कर रहे हैं। पढ़-लिख कर अपना भविष्य बनाने की कामना कर रहे हैं। जो सपने लड़के देख रहे हैं, वही लड़कियां भी देख रही हैं। आज रोजगार पाने की कतार में लड़के और लड़कियां बराबरी के अनुपात में मिलते हैं। लड़कियां भी अपना भविष्य अपने तरीके से बनाना चाहती हैं।

हमारा भारत देश विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति बनने जा रहा है। विश्व में बच्चों की जन्मदर कम हो जाने की वजह से वहां पर युवा समाप्त होते जा रहे हैं। युवा की तादाद कम होती जा रही है और बुजुर्ग तेजी से बढ़ रहे हैं। कई देशों में ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि करीब 40 साल के बाद, उनके देश के मूल लोग शायद वहां ना बचें। हमारे देश में युवाओं की बहुत अच्छी संख्या है। क्या इसका कारण हमारे समाज में जो समाज की प्रणाली बनाई कि पुरूष क्या कार्य करेंगे और महिलाएं क्या कार्य करेंगी, इस कार्य विभाजन की परंपरा

हैं, जिससे आज हमारे पास युवा शक्ति खड़ी है। हमारे पास महिला शक्ति भी खड़ी है। आज जो सामाजिक कार्य चल रहे हैं, उनमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाएं हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे विभिन्न उत्सव, हमारे धर्म-कर्म, हमारे संस्कार आदि सब को लेकर चल रही हैं। इतना ही नहीं, वह यह सारे ज्ञान व रस्मों से आने वाली पीढ़ी को सुशिक्षित कर रही हैं। अतः क्या यह मान लें कि जो हमारी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था है, यह एक आदर्श व्यवस्था है! इस व्यवस्था को किसी भी प्रकार से हानि ना हो, यह ऐसी ही चलती रहे।

इस सोच के विपरीत एक नई सोच भी जन्म ले रही है। आज के युग में लड़कों की पाठशाला अलग और कन्या पाठशाला अलग का सिद्धांत समाप्त हो गया है। पढ़ाई-लिखाई अब बच्चे साथ-साथ कर रहे हैं। पढ़-लिख कर अपना भविष्य बनाने की कामना कर रहे हैं। जो सपने लड़के देख रहे हैं, वही लड़कियां भी देख रही हैं। आज रोजगार पाने की कतार में लड़के और लड़कियां बराबरी के अनुपात में मिलते हैं। लड़कियां भी अपना भविष्य अपने तरीके से बनाना चाहती हैं। सवाल सामने आता है कि क्या आधुनिक पाठयक्रम व ज्ञान की परिभाषा हमारी धरोहर को, हमारी प्राचीन सोच को, हमारे समाज को गठित कर के रखने की पद्धति को चुनौतियां तो नहीं दे रही? क्या पश्चिमी शिक्षा हमारे ऊपर हावी हो गई हैं? क्या हम लोगों की, खुद की सोच अब दूसरों की सोच से प्रभावित हो रही हैं? क्या हमारा प्राचीन समाज एक उच्च स्तर का समाज नहीं था? क्या महिलाओं को उच्च सम्मान नहीं मिल रहा था?

कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के ऊपर शत्रुओं द्वारा एक आक्रमण हो रहा है। हमारी संस्कृति को समाप्त करने का युद्ध छिड़ गया है। समय रहते हमें यह समझना होगा कि मेरी ही संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। हमारी सामाजिक कार्य प्रणाली, युगों-युगों तक हमें संगठित रख सकती है। ये बातें समय की मांग हैं। इन बातों को सोचना अति आवश्यक है। मेरा यही मानना है कि समाज कैसे चले, हमारे आपस के रिश्ते कैसे रहें, किसकी क्या

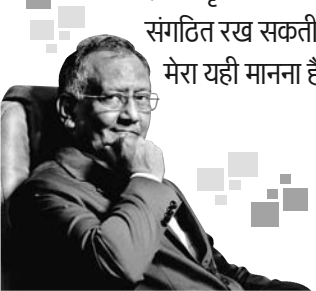

जवाबदारी है, इसका भी एक सामाजिक संविधान हमें तैयार करना चाहिए। इस संविधान की मूल भावना, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जिसे लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मेरा देश, मेरी दुनिया के आधार पर एक संगठित समाज बनाकर आगे बढ़े यही सोच है।

मुझे एक लेखक की कुछ पंक्तियां याद आई हैं। मैं वह पंक्तियां नीचे लिख रहा हूँ। हमें इन पंक्तियों से भविष्य के समाज को समझना है। इन पंक्तियों के आधार पर हमारा रहन-सहन कैसा रहेगा, हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा, इसका बहुत अच्छा उल्लेख है। इसकी भावना को समझ कर नए समाज को गठित करने के लिए हम अग्रसर हो। यही एक सोच है।

मैं सोता हूं घर में शांति छा जाती है, वह सोती है घर में सूनापन छा जाता है।

मैं घर लौटता हूं घर में शांति हो जाती है, वह घर लौटती है घर में रौनक हो जाती है।

मैं सोकर उठता हूं, घर में फरमाइशें गुजरती हैं। वह सोकर उठती है, घर में पूजा की घंटियां गूंजती हैं।

मेरा घर लौटना, उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है। उसका घर लौटना, घर में लक्ष्मी व अन्नपूर्णा का वास होता है।

पत्नी सरल भाव से उपहास की पात्र नहीं है। वह हमसफर है, रक्षक है, वह परिवार की शक्ति है।

जिस तरह से आज लिंग भेद समाप्ति की ओर अग्रसर है, जिस तरह से 30-30 साल हो जाने के बावजूद भी बच्चे अपनी पढ़ाई में मस्त हैं, अपने भविष्य को बनाने के लिए शादियां नहीं कर रहे, जिस तरीके से कम बच्चे सक्षम परिवारों में पैदा हो रहे हैं, अगर यही बातें आगे चलती रहीं, तो आज से 50 साल बाद, आज से 100 साल बाद हम कहां रहेंगे? हमारे समाज में कितने युवा रहेंगें? हमारे देश की जनसंख्या कितनी रहेगी? हम विश्व में कहां खड़े रहेंगें? ये सोचने का समय आ गया है। मेरे यहां के बुद्धिजीवी बच्चे विदेशों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं। मेरे यहां अब बच्चों की जन्मदर कम होती जा रही है। जिस तरीके से शादियों में विलंब हो रहा है, तो 30-35 साल में एक पीढ़ी कम होती जाएगी। सोचने की आवश्यकता है कि जिस दिशा में हम निकल पड़े हैं, क्या वह सही दिशा है? हमें सोचना पड़ेगा कि 50 साल आगे या 100 साल आगे हमारा समाज कैसा होगा?

9

संस्कारी तथा शिक्षित समाज समय की आवश्यकता

अगर मन संस्कारिक नहीं होगा तथा बुद्धि शिक्षित नहीं होगी, तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? समाज के हर सदस्य का आचरण अच्छा होना चाहिए। इसके लिए बहुत संस्कारी मन होना तथा जो हमारी नैसर्गिक संपत्ति है, उसका सदुपयोग अच्छे से अच्छे हो, इसके लिए शिक्षित बुद्धि की आवश्यकता है। क्या हमारी प्रशासन प्रणाली, हमारा आचरण इस ओर ध्यान दे रहा है? हमारी जीविका क्या जीवन के लिए सदुपयोग हो रही है?

मां की कोख में विकसित हो रहे जीव में आत्मा डाली जाती है। निर्धारित समय पर वह जीव जन्म लेता है। यह नवजात शिशु समय अनुसार बढ़ता है। इस प्रवास के दौरान दो चीजें विकसित हो रही हैं। एक उसका शरीर तथा उसकी आत्मा। शरीर यह समाज की संपत्ति है। समाज कैसे विकसित होगा, देश का विकास कैसे होगा, देशवासी संगठित कैसे रहेंगे? यह कार्य आत्मा शरीर के माध्यम से करती है। शरीर के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। उसका मन और उसकी बुद्धि! आत्मा को प्रभावित करने के लिए,यह दोनों अंग एक अहम भूमिका निभाते हैं। शरीर का संचालन उसकी

आत्मा करती है, मगर आत्मा के निर्णय को मन तथा बुद्धि प्रभावित करती है।

अतः अगर मन संस्कारिक नहीं होगा तथा बुद्धि शिक्षित नहीं होगी, तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? समाज के हर सदस्य का आचरण अच्छा होना चाहिए। इसके लिए बहुत संस्कारी मन होना तथा जो हमारी नैसर्गिक संपत्ति है, उसका सदुपयोग अच्छे से अच्छे हो, इसके लिए शिक्षित बुद्धि की आवश्यकता है। क्या हमारी प्रशासन प्रणाली, हमारा आचरण इस ओर ध्यान दे रहा है? हमारी जीविका क्या जीवन के लिए सदुपयोग हो रही है? क्या हमारा शरीर समाज की आवश्यकता और अपेक्षा के अनुरूप कार्य कर रहा है, या हम एक जानवर की भांति, एक जिंदा लाश के रूप में अपने आपको परिवर्तित कर रहे हैं? एक मशीन बन गए हैं। गंभीरता से इस ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें आपस में विचार करना पड़ेगा। संवाद, चर्चा, चिंतन, मंथन करना होगा। एक ठोस निर्णय लेना होगा। फिर उसी दिशा में मजबूती से पूरे समाज को लेकर चलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी स्वयं की दुनिया में जीते हुए, देश की चिंता से अपने आपको मुक्त करें। देश धर्म–जाति, धनवान, गरीब, शहर वाले गांववाले, अंग्रेजी जानने वाले, अंग्रेजी न जानने वाले आदि की प्रमुखता को माध्यम बनाकर खंडित हो जाए, विभाजित हो जाए, देश एक देश ना रहे! एक मजबूत समाज बनाने की जगह हम अपने आपको जानवरों की भांति सिर्फ अपने लिए जीवित न रहे। सोचिए, समझिए और सही दिशा में सही लोगों के साथ सही विचारधारा में अपने आपको आगे ले जाएं।

संस्कारिक शिक्षा नीति के अभाव में और विधानहीन संस्कृत कलह की वजह से घातक होती जा रही है। विकास के नाम पर वन, गांव, पर्वत, पर्यावरण आदि का विनाश हो रहा है। संयुक्त परिवार समाप्ति की ओर जा रहे हैं। हम कैसा समाज बनाने की तरफ अग्रसर हो गए! समय की मांग है कि संस्कारी और शिक्षित समाज हो। गांव, देहात, आदिवासी इलाके सब जगह शिक्षा पहुंचना जरूरी है। उनकी मूलभूत सुविधाएं उनका संवैधानिक अधिकार है। आओ हम उनकी तरफ चलें और देश के विकास में अपना योगदान दें।

10

सामाजिक दंड प्रथा/प्रणाली

सामाजिक दंड यही है कि अगर आप मानव सेवा में समय रहते हुए भी, अपना समय नहीं देते, तो आप दंडित होंगे। आपके पास धन है और वह धन का सदुपयोग मानव सेवा के लिए आप नहीं दोगे, तो भी आप दंडित होंगे। एक अच्छा समाज निर्मित करने के लिए अगर आपका योगदान नहीं हैं, तो आप दंड के पात्र हैं।

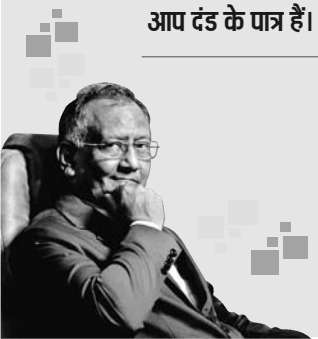

हम समाज में रहते हैं। समाज के सदस्य हैं। निश्चित रूप से समाज में बनाए गए कानून, नियम और प्रथा के अनुरूप हमें समाज में अपना कार्य करना है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना हैं, जो समाज में प्रतिबंधित है। मगर हमें वह सब कार्य करना चाहिए, जो समाज हमसे अपेक्षा करता है, जो समाज की जरूरत है। हमारे जो कायदे, नियम, कानून बनाए गए हैं, समाज में क्या कार्य करना उसको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं या सिर्फ प्रतिबंधित बातों को उजागर करने के लिए बनाये गए! अगर आपने ऐसा किया, तो आपको दंड होगा, अगर आपने वैसा किया, तो आपको दंड

होगा। इस प्रकार की जो प्रथा है,यह एक नकारात्मक दिशा की ओर हमें ले जाती है। हमें कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा कि समाज में रहते हुए अपने दायित्व का निर्वाह आप कर रहे हैं। अगर आप अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहें, तो आपके ऊपर सामाजिक दंड क्यों नहीं लगना चाहिए? सिर्फ शासन-तंत्र सब कार्य करें और हम सिर्फ उसको उपभोग करने का कार्य करें तो देश आगे कैसे चलेगा?

जो-जो सुविधाएं प्रकृति ने, पर्यावरण ने, शासन ने हमें दी है, वह उपभोग करने के लिए दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर समाज में हर वर्ग को साथ लेकर चलना, यह किसकी जवाबदारी है? समाज को संगठित कर के एक सूत्र में पिरो के रखना, यह किसकी जवाबदारी है? सरकार ने हमें शासन दे दिया। सरकार ने दूरदराज इलाकों तक रोड बना दी,अलग-अलग प्रकार की व्यवस्था, जगह-जगह कर दी। यह किस लिए? यह संपर्क करने के लिए। जिस-जिसके पास ज्ञान है, क्या वह अपने से कम ज्ञानी को शिक्षित कर रहा है? जिसके पास अत्यधिक धन है, क्या वह उस धन का सदुपयोग कर रहा है? जिसके पास समय है, क्या वह उस समय को समाज सेवा में व्यतीत कर रहा है? मानव सेवा आज सबसे बड़ी तपस्या है। यह सबसे बड़ा यज्ञ है। क्या इस यज्ञ में हम आहुति दे रहे हैं?

सामाजिक दंड क्या है? सामाजिक दंड यही है कि अगर आप मानव सेवा में समय रहते हुए भी, अपना समय नहीं देते, तो आप दंडित होंगे। आपके पास धन है और वह धन का सदुपयोग मानव सेवा के लिए आप नहीं दोगे, तो भी आप दंडित होंगे। एक अच्छा समाज निर्मित करने के लिए अगर आपका योगदान नहीं हैं, तो आप दंड के पात्र हैं। हमें सामाजिक दंड समझना चाहिए। यह प्राकृतिक दंड ईश्वरीय दंड है। दिखेगा नहीं, मगर आपको अपने जीवन में कहीं ना कहीं महसूस हो जाएगा। जब महसूस होगा, तब शायद बहुत देर हो चुकी हो। सभी लोगों ने आत्ममंथन करना चाहिए, समाज के प्रति मेरे दायित्व को मैं पूरा करूं, यह देखना चाहिए। अपने आप से ऊपर उठकर समाज सेवा मे लीन होना चाहिए। नहीं तो समाज आपको सामाजिक दंड जरूर देगा। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज हित को ध्यान में रखकर जब हम समाज में रहेंगे, तो निश्चित रूप से समाज अग्रसर होगा। हमें कहीं ना कहीं, इस बात की तरफ भी लोगों का ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। समाज में रहते हुए आपके दायित्व का निर्वाह आप कर रहे हो या नहीं! अगर आप अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, तो आपके ऊपर सामाजिक दंड लगना चाहिए। अपनी आमदनी का कुछ प्रतिशत हिस्सा समाज के लिए कर रूप में समाज कार्य में लगाएं।

11

उच्च नस्ल श्रेष्ठ समाज

परिवार नियोजन के अंतर्गत संयुक्त परिवार की जगह छोटे-छोटे, एक बच्चे या दो बच्चे के परिवार हो गए। उच्च घराने के बच्चे विदेश में बसने के लिए तत्पर हैं। जो दो वक्त की रोटी के लिए लड़ रहे हैं, वे कई बच्चे पैदा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आनेवाले 25/50 साल में हमारे जो अच्छे वंश हैं, वह विदेशों में चले जाएंगे। ऐसे में हमारे देश का भविष्य क्या होगा? देश को चलाने वाले किस प्रकार के लोग रहेंगें? यह सब बातें सोचने का वक्त आ गया है।

मानव बीज से ही नया समाज बनता है। हमारे वंश समाज को आगे लेकर जाते हैं। अगर वंशज अच्छे हुए, वंश का बीज अच्छा हुआ, तो जो नई नस्ल आएगी वह उतनी ही अच्छी तैयार होगी। क्या हमारे देश में ऐसा हो रहा है?हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि मेरे देश के ज्ञानी, उच्च विचारवाले, आविष्कार करनेवाले, शोध करनेवाले आदि अगर विदेश चले गए, तो मेरे देश का भविष्य क्या? यह एक चिंता का विषय हो सकता है। हमारे देश के उच्च शिक्षा प्राप्त लोग विदेशों में जाकर बस रहे हैं। उनका आगे का वंश वहीं पर तैयार हो रहा है और वहीं बस जाएगा।

हमारे यहां परिवार नियोजन के अंतर्गत संयुक्त परिवार की जगह छोटे-छोटे, एक बच्चे या दो बच्चे के परिवार हो गए। उच्च घराने के बच्चे विदेश में बसने के लिए तत्पर हैं। जो दो वक्त की रोटी के लिए लड़ रहे हैं, वे कई बच्चे पैदा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आनेवाले 25/50 साल में हमारे जो अच्छे वंश हैं, वह विदेशों में चले जाएंगे। ऐसे में हमारे देश का भविष्य क्या होगा? देश को चलाने वाले किस प्रकार के लोग रहेंगें? यह सब बातें सोचने का वक्त आ गया है।

मुझे एक कहानी याद आती है। एक किसान तरबूज की फसल लेता था। वह किसान अच्छे-अच्छे तरबूज अलग निकालकर बाकी तरबूज बाजार में बेच देता था। यह सब अच्छे तरबूज वह गांव के बच्चों को खिला देता था। उसमें से बच्चे उन तरबूज के बीज वह खेत में बोकर फिर अच्छी फसल लेता था। जब उसका बच्चा पढ़-लिखकर आया, तो यह देखकर वह हैरान हो गया कि उसके पिताजी कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उस बच्चे ने अच्छे तरबूज ज्यादा कीमत पर बाजार में बेचना शुरू कर दिया और कमजोर तरबूज गांव के बच्चों को खिलाने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि कमजोर बीज की वजह से आनेवाले समय में उसके खेत की फसल कमजोर होने लगी। धीरे-धीरे उसकी आमदनी बहुत कम हो गई।

वह अपने पिता के पास शिकायत लेकर पहुंचा। उसके पिता ने उसे समझाया कि देख यह जो अच्छे तरबूज मैं गांव के बच्चों को खिलाता था, वह अच्छे तरबूज के बीज मैं खेत में बोता था, तो खेत में फसल अच्छी होती थी। तूने अच्छे तरबूज को बाहर भेज दिए, कमजोर तरबूज बच्चों को खिलाया। इससे जो बीज बचे, वह बीज तूने खेत में बोया। अगर बीज कमजोर रहेंगें, तो फसल भी कमजोर होगी। बच्चे को बात समझ में आई। बच्चा समझ गया, अच्छे माल को बाहर भेजने से मेरे घर का माल खराब हो जाएगा।

यही सिद्धांत हमें हमारे देश में भी लागू करना है। अगर देश के अच्छे लोग विदेश में चले गये, तो हमारे देश में अविष्कार, दूरदृष्टि, प्रगति, शोध, विकास यह सब थम जाएगा। यह सोचने का विषय है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नीतिकार हैं, यह सब बातें समझ जाएंगे और मेरे देश के जो विद्वान लोग हैं,उनको देश में कैसे रोके रखना, इसके लिए एक ठोस नीति बनाएंगे।

12

बच्चों को उनके बुढ़ापे की चुनौतियों के लिए तैयार करें

कहीं ऐसा न हो जाए कि यह बच्चे अपनी आराम की जिंदगी जीते-जीते समझ ही न पाएं कि उनके बच्चे बड़े कब हो गए, उन्हें छोड़कर कब चले गए और बुढ़ापे में अब ये किसके सहारे आगे चलेंगे? समय आ गया है कि कम उम्र में ही हम बच्चों को बुढ़ापे में स्वतंत्र रहने के तौर तरीके से जागृत करें।

मैं स्पेन देश के बार्सिलोना शहर में घूमने आया हूं। यहां मैं जो देख रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं अपने देश का भविष्य तो नहीं देख रहा! यहां घूमते हुए मैंने देखा कि सभी दो-दो के जोड़े घूम रहे हैं। बुजुर्ग है, तो वह अपनी बूढ़ी बीवी के साथ है। जवान है, तो कोई लड़की के साथ। बाजार में कहीं भी परिवार नहीं दिखा। अगर ऐसा हमारे देश में हो गया, तो मेरे परिवार का भविष्य क्या? मेरे बच्चों का भविष्य क्या? मेरे देश का भविष्य क्या? हमें समय रहते सोचना है। अगर आगे वाली पीढ़ी को हम भारतीय संस्कृति, कला,

परंपरा सोच के अनुरूप तैयार नहीं करेंगे, उन्हें हमारी देश की सभ्यता का एहसास नहीं दिलाएंगे। उलट हम उन्हें पश्चिमी संस्कृति की ओर प्रेरित करेंगे, तो कहीं हम हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं?

जिस प्रकार से हमारे देश में पश्चिमीकरण हो रहा है, जिसका हमारे बच्चे अनुसरण कर रहे हैं और वहां की संस्कृति और सभ्यता को तेजी से ग्रहण करने की ओर चल पड़े हैं। जिस तरीके से बच्चे अपने आपको ढाल रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे हालात में हमारे देश और देश के बच्चों को हमें यह बताना जरूरी हो जाएगा कि जब बच्चे बुजुर्ग हो जाएंगे, उस समय देश का वातावरण कैसा रहेगा? इनके बच्चे कैसे इनके साथ व्यवहार करेंगे? तो क्या आज के बच्चे अपने बुढ़ापे के जीवन के लिए, उस समय आनेवाली चुनौतियों के लिए, अपने आपको तैयार कर रहे हैं? कहीं ऐसा न हो जाए कि यह बच्चे अपनी आराम की जिंदगी जीते-जीते समझ ही न पाएं कि उनके बच्चे बड़े कब हो गए, उन्हें छोड़कर कब चले गए और बुढ़ापे में अब ये किसके सहारे आगे चलेंगे? समय आ गया है कि कम उम्र में ही हम बच्चों को बुढ़ापे में स्वतंत्र रहने के तौर तरीके से जागृत करें।

अगर उनका बदन उनके साथ नहीं रहा, तो ऐसी परिस्थिति में उनका बदन उन्हें जीने नहीं देगा और उनकी आत्मा बदन छोड़कर जाएगी नहीं! बच्चों को समझाना होगा कि तंदुरूस्त बदन और जागृत दिमाग से ही वे आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों को यह भी समझना होगा कि बुढ़ापे के खर्चे के लिए आज बचत करना कितना जरूरी है! बच्चों को यह समझाना होगा कि तंदुरूस्त बदन रखने के लिए उनका खान-पान कैसा होना चाहिए! जवानी में किए गए नशे, क्या बुढ़ापे का पाप बन जाएंगे? तंबाकू, शराब,सिगरेट आदि चीजें हमारे बदन को अंदर से कमजोर करती हैं। बुढ़ापे के समय हमारे शरीर के अंग ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। बदन पर बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई,तो यह चर्बी ही बाद में बीमारियों में परिवर्तित हो सकती है।

यह ज्ञान कम उम्र में बच्चों को हम नहीं देंगे, तो इनके बुढ़ापे के समय हम एक ऐसा समाज देखेंगे, जो मजबूर रहेगा। हर तरफ मदद के लिए ताका-झांकी करता रहेगा। उन्हें मदद पहुँचाने वाले कम हो जाएंगे। हमारे देश की संस्कृति और संस्कार हमारे बच्चों में डालें। उन्हें संयुक्त परिवार और संगठित समाज का महत्व बताएं। उन्हें यह बताएं और सिखाएं कि दान करना क्यों जरूरी है? उन्हें बताएं सामाजिक कार्य में किस प्रकार से सम्मिलित होकर समाज के सभी वर्ग को आगे कैसे ले जाया जाए?

अगर ये सब बातें हम आज के बच्चों को नहीं बताएंगे,नहीं सिखाएंगे, तो यही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, तो तकलीफ पाएंगे। पीढ़ी-दर-पीढ़ी समाज चलता है। आज की पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को तैयार करती है। वह जाने वाली पीढ़ी की रक्षा करती है और आने वाली पीढ़ी को भी तैयार करती है। यह हकीकत अगर हमने बच्चों को समझाया नहीं, तो हमारा समाज बहुत तकलीफ में पड़ सकता है। इस ओर भी ध्यान देना जरूरी है।

13

हमारा सही सुरक्षक कौन?

अगर मैं,मेरे स्वार्थ के लिए, मेरे भविष्य की सुरक्षा के लिए इन लोगों के प्रति तन-मन-धन, जो भी मैं स्नेह से इनको अर्पित करूं, तो मैं अपने लिए एक सुरक्षित समाज तैयार करने के लिए अपना दायित्व निभा रहा हूँ। तो साथियों, मेरा यही मानना है कि जो संस्थाएं दूरदराज के इलाकों में कार्य कर रही हैं,जहां आप नहीं जा सकते, मगर जहां पर आप की सुरक्षा के लिए लोग हैं, ऐसे लोगों के प्रति समर्पित भाव से हमें योगदान देना चाहिए।

आज एक विचित्र सोच सामने आई। मुद्दा यह है कि अगर आपातकालीन समय में या जाति/वर्ण आधारित गृहयुध्द के समय हमारी रक्षा के लिए कौन सामने आएगा? क्या यह सरकारी तंत्र हमें बचाने आएगा या समाज के लोग सामने आएंगे? समाज की बात जब करते हैं, तो सामने आता है, पैसे वाला वर्ग/संपन्न वर्ग या फिर साधारण झोपड़पट्टी में रहने वाला या दूरदराज में रहने वाले ग्रामीण/आदिवासी लोग हमारी रक्षा के लिए सामने आएंगे। गंभीर मुद्दा है। सोचने का विषय है। चिंतन/मंथन करने

का यह अवसर है। गहराई से सोच कर सही परिणाम निकालना जरूरी है। हमें यह देखना है कि हमारी सुरक्षा के लिए जो लोग सड़क पर आकर खड़े होंगे, उनके प्रति हमारा क्या दायित्व है! क्या मैं यह दायित्व सही तरीके से निभा रहा हूँ या मैं यह सोचता हूँ कि सरकार को मैने टैक्स के रूप में अपनी सुरक्षा का अनुदान दे रखा है!

सोच को आगे बढ़ाते हुए हमें इस ओर भी देखना पड़ेगा कि धर्म के नाम पर जो लोग हम से धन एकत्रित कर रहे हैं, जिनको हम हमारी संपत्ति का कुछ हिस्सा दे रहे हैं, वे लोग ऐसे आपातकाल में किस प्रकार की भूमिका निभाएंगे! इसका भी विश्लेषण होना जरूरी है। क्या यह लोग आग में घी डालने का काम करेंगे या हमारी सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देंगे या भाईचारा आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे?

मेरी यही सोच है कि हम भावनाओं में ना बहें। हमें वास्तविकता से आमना-सामना करना पड़ेगा। अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए जो जरूरी है, वही कार्य हमें करना पड़ेगा। हमें इसके ऊपर गंभीरता से वाद-विवाद व आत्ममंथन के द्वारा हल निकालना होगा।

रात भर इसी सोच में मैं, अपने आप से लड़ता रहा। कभी सरकारी तंत्र, कभी धर्म के रक्षक तो कभी स्थानीय नेताओं से मेरी क्या अपेक्षाएं हैं! समाज की क्या अपेक्षाएं है! इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने आपको सुरक्षित महसूस करता रहा। फिर पूर्व में हुए दंगे याद आते हैं। उन दंगों में इन सभी तंत्रों की भूमिका का जब मै विश्लेषण करता हूं, तो मुझे समझ में आता है कि कहीं मै गलत सोच तो नहीं ले रहा हूँ। आगे कौन लोग थे, जिन लोगों की जानें गई, जिन का बलिदान हुआ, जो समाज की सुरक्षा के लिए शहीद हुए, वे लोग कौन थे? यह सब साधारण युवक थे, जो समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने अपने घर छोड़कर समाज हित में सामने आए। फिर महसूस होता है कि मेरे लिए प्राथमिकता किसको? जिन लोगों ने हमारे प्रति अपनी कुर्बानी को स्थापित किया है, उन लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूं? यहां फिर ध्यान आता है कि अगर मैं,मेरे स्वार्थ के लिए, मेरे भविष्य की सुरक्षा के लिए इन लोगों के प्रति तन-मन-धन, जो भी मैं स्नेह से इनको अर्पित करूं, तो मैं अपने लिए एक सुरक्षित समाज तैयार करने के लिए अपना दायित्व निभा रहा हूँ। तो साथियों, मेरा यही मानना है कि जो संस्थाएं दूरदराज के इलाकों में कार्य कर रही हैं,जहां आप नहीं जा सकते, मगर जहां पर आप की सुरक्षा के लिए लोग हैं, ऐसे लोगों के प्रति समर्पित भाव से हमें योगदान देना चाहिए।

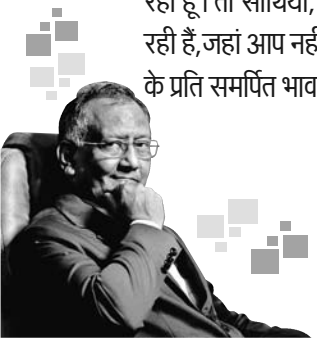

14

संक्रमित बीमारी रहने के बावजूद बाजार चालू रहें, क्या करें?

पैसा कमाना इतना महत्वपूर्ण है, तो सरकारी आदेश से आम जनता की, आमदनी को रूकवाना, बाजार बंद करवा कर दुकानें बंद करवाना, क्या यह हमारे संविधानिक अधिकार का हनन है! उस के ऊपर अंकुश है। यह सोचने का विषय हो सकता है। बीमारियां आती-जाती रहेंगी, मगर व्यापार-व्यवसाय, रोजगार यह रोज की जरूरतें हैं। हमें बीमारी से लड़ना है या रोजगार बंद कर के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति में विघ्न डालना है! इसके बारे में सोचने का वक्त आ गया है। ऐसा मेरा सोचना है।

अपने परिवार का जीवन निर्वाह करने के लिए, हमारी मूलभूत जरूरतों की आवश्यकता को परिपूर्ण करने के लिए और एक स्वस्थ व सार्थक जीवन जीने के लिए, हमें अपनी कमाई को कमाई को सार्थक व नियंत्रित बनाए रखना जरूरी है। पशु-पक्षी सभी लोग रोज अपने-अपने कार्य से सूर्य उदय के पश्चात निकलते हैं। अपने हिस्से का दाना खाते हैं और शाम को अपने घरौंदे में लौट आते हैं।

अगर मनुष्य के जीवन की बात करें, तो सरकार स्वयं कहती है कि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं है। अर्थात अपनी

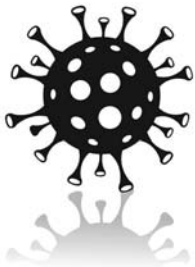

आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, पैसे की जरूरत है। सारांश में कहा जाए, तो हमें जीवन जीने के लिए पैसा ही एकमात्र विकल्प दिखता है। मनुष्य को पैसे की जरूरत है! हर कोई अलग-अलग तरीके से पैसे कमाता है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई उत्पादन कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है और कोई लूटमार आदि में अपने आप को व्यस्त रख रहा है। अंत में अपने खर्चों के लिए पैसे की व्यवस्था खुद ही कर रहा है।

पैसा कमाना इतना महत्वपूर्ण है, तो सरकारी आदेश से आम जनता की, आमदनी को रूकवाना, बाजार बंद करवा कर दुकानें बंद करवाना, क्या यह हमारे संविधानिक अधिकार का हनन है! उस के ऊपर अंकुश है। यह सोचने का विषय हो सकता है। बीमारियां आती-जाती रहेंगी, मगर व्यापार-व्यवसाय,रोजगार यह रोज की जरूरतें हैं। हमें बीमारी से लड़ना है या रोजगार बंद कर के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति में विघ्न डालना है! इसके बारे में सोचने का वक्त आ गया है। ऐसा मेरा सोचना है।

साथियों, संक्रमण से होने वाली बीमारियां फैल रही हैं। उसके लिए बाजारों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से दोशी ठहरा देना, उन्हें अनिश्चितकालीन बंद करा देना क्या? यह हम व्यापारियों के लिए सोचनीय बात है। इसके ऊपर विचार करना पडेग़ा।

मेरा सोचना है कि क्यों नहीं हम व्यापारी, हमारे संगठन के द्वारा हमें अपने आप के ऊपर,कौन-कौन से अंकुश लगाना जरूरी है! हमारा बाजार-परिसर में आचरण कैसा हो! उस दिशा में कुछ कठोर मापदंड तैयार करें। जिससे यह संदेश स्पष्ट रूप में जाए कि व्यापारी ने संक्रमण रोकने के लिए, अपने बाजारों में, स्वयं अपने सिध्दांत निश्चित किए हैं। सरकर जैसा चाहती है, उसी के अनुरूप कार्य हो। एक बार सोचो। हमारें बाजार बंद क्यों किये गयें? क्योंकि वहां भीड़ होती है। हम हमारे बाजारों को किस तरह संचालित करें। व्यापार करने के तरीके, व्यापार और ग्राहक के लिए एक नियम तैयार करें। मालवाहक गाड़ियां बाजार में कब आएंगी? जब माल वाहक गाड़ियां आए, तब ग्राहक के लिए बाजार चालू रखना या नहीं रखना? इसका निर्णय लिया जाए।

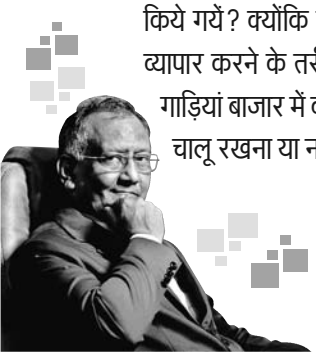

बाजार में बगैर मास्क एक भी व्यक्ति न दिखे। किसी भी प्रकार का थूकना प्रतिबंधित करना चाहिए। जो लोग ग्राहकों के सपंर्क में आ रहे हैं, उन्हें अपने चेहरे के ऊपर एक शील्ड लगाना अनिवार्य करना चाहिए। दुकान के अंदर अधिकतम लोगों की सीमा दुकान के क्षेत्रफल के अनुरूप तय हो। दुकान में माल कितना होना चाहिए, गोडाउन से डिलीवरी ज्यादा से ज्यादा कैसे हो! नगद व्यवहार कम से कम हो तथा डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देवें? कर्मचारी और दुकान मालिक, हर 2 घंटे में भांप ले सकें, ऐसी दुकान में व्यवस्था हो। 4 घंटे के पश्चात हर कर्मचारी और दुकानदार आधे घंटे के लिए विश्राम कर सके, लेट सके, ऐसी व्यवस्था दुकान या बाजार में हो। बाजार शुरू होने का समय व आखरी ग्राहक का समय निश्चित करें। बाजारों में कहीं भी 5 आदमी से ज्यादा एकत्र नहीं होए, ऐसी बाजारों में व्यवस्था हो। पर्याप्त दूरी का पूर्ण पालन करें। इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा।

मेरा ऐसा सोचना है कि अगर हम हमारे बाजारों को एक निश्चित नियमावली से संचालित करेंगे, तो फिर कभी भी बाजार बंद का विषय आएगा, तो हम कोर्ट भी जाकर बोल सकेगे कि सारे नियमों का हम पालन कर रहे हैं। हम बाजार बंद क्यों करें? मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका हमारी तरफ गौर से, न्यायिक दृष्टि से देखेगी और आम जनता के भले के लिए उचित निर्णय देगी।

15

आर्थिक मजबूती के लिए भारतीय उत्सव मनाएं

हमारे धार्मिक उत्सव में फल वाले, सब्जी वाले, बाजार की अलग-अलग प्रकार की जड़ी-बूटी, फूल, पत्ती आदि बेचने वाले इन सबका समावेश होता है। यह कार्य बड़ी कंपनियां नहीं कर सकतीं। साधारण लोग ही करेंगे। मिट्टी के बर्तन, यह भी हमारे पारंपरिक उत्सव का एक अंग है। कुम्हारों को रोजगार मिलेगा।

हमारे अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक गतिविधियां सालभर चलती रहें, इसका बहुत ही अच्छा इंतजाम किया है। हर किसी के व्यवसाय में किसी न किसी प्रकार से आमदनी होती रहे, उसके लिए भारतीय उत्सव की श्रृंखला बनाई गई है। इन उत्सव की रचना इस प्रकार की गई है कि उनको मनाते समय अनेक लोगों को रोजगार मिलता है और अनेक लोगों का माल बिकता है। यह सब प्रदूषण रहित है और किसी भी प्रकार से हमारी प्रकृति या पर्यावरण को हानि नहीं होती। जरा सोचने का प्रयास करें।

हमारे जो उत्सव मनाये जाते हैं, इन उत्सवों में कितना व्यापार होता है! किन लोगों का व्यापार होता है! किस वर्ग के लोगों को रोजगार मिलता है! यह क्या एक बहुत बड़ी आर्थिक गतिविधि नहीं मानी जानी चाहिए?

शहरों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़े औद्योगिक घराने खुदरा व्यापार में घुसते चले जा रहे हैं। आर्थिक गतिविधियों पर कब्जा करने की एक होड़ लग गई है। हमारे देश में रोजगार के नाम पर स्वरोजगार ही सबसे बड़ा रोजगार का साधन है। हमें उन आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, प्रोत्साहन देना है, जो हमारे साधारण से साधारण व्यक्ति को रोजगार पहुंचा सके। ग्रामीण इलाके के लोगों को रोजगार पहुंच सके।

ऐसी परिस्थिति में अगर हम हमारे छोटे-से-छोटे धार्मिक उत्सव, छोटी-छोटी धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करें, प्रसिद्धि दें और मिलकर उसके महत्व और उनकी मान्यता के अनुरूप हम उन्हें मनाना शुरू करें, तो हम देखेंगे कि इन मान्यताओं के आधार पर हमने एक बहुत बड़ा रोजगार छोटे-छोटे लोगों के लिए खड़ा कर दिया है। हमारे धार्मिक उत्सव में फल वाले, सब्जी वाले, बाजार की अलग-अलग प्रकार की जड़ी बूटी, फूल, पत्ती आदि बेचने वाले इन सबका समावेश होता है। यह कार्य बड़ी कंपनियां नहीं कर सकतीं। साधारण लोग ही करेंगे। मिट्टी के बर्तन, यह भी हमारे पारंपरिक उत्सव का एक अंग है। कुम्हारों को रोजगार मिलेगा।

मैं मानता हूं कि प्राचीन काल में हमारे देश में सब को रोजगार था। सबका घर चलता था। सब किसी-न-किसी रूप में आमदनी प्राप्त कर रहे थे। किसान को सम्मान था। हम जमीन से जुड़ी हुई प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे। इन चीजों से प्रदूषण नहीं होता था तथा इनका पर्यावरण पर कोई असर नहीं हो रहा था।

आओ अपनी प्राचीन कला, प्राचीन ज्ञान, प्राचीन संस्कृति का अभ्यास करें। हम खुद समझें और समाज को समझाएं। आनेवाली पीढ़ी को कम उम्र से ही इन सारी बातों का महत्व बताना शुरू करें। बच्चे को स्कूलों में शिक्षण व शिक्षा मिल रही है और जो शिक्षक है

उससे बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अधिकांश स्कूल हम वैश्य लोगों द्वारा संचालित हैं। स्कूल के पाठ्यक्रम में हम एक अतिरिक्त विषय, हमारी प्राचीन मान्यता और उसके लाभ विषय पढ़ायें। ये विषय लेकर बच्चों के अंदर हम भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान और प्राचीन काल से चले आ रहे हमारे सभी उत्सवों का महत्व बताएं। इससे नई पीढ़ी, नई सोच और नए ज्ञान के साथ खड़ी हो जाएगी। बच्चे जमीनी हकीकत जान जाएंगे। हमारे ऋषि-मुनियों की तपस्या से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका जीर्णोद्धार हो जाएगा। एक नया समाज तैयार हो जाएगा।

हम सबको मिलकर एक नए भारत, एक नई भारतीय सोच का निर्माण करना हैं। हमें आने वाली पीढ़ी को एक मजबूत भारतीय सभ्यता से ओतप्रोत ज्ञानी पीढ़ी तैयार करना है। इस पीढ़ी के बच्चे विदेश नौकरी के लिए नहीं जाएंगे। अपने देश में ही अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। हर किसी को रोजगार दिलाएंगे, ऐसा भारत निर्माण करना पड़ेगा हमें।

16

क्या हम भटक रहे हैं?

हम विकास की बात करें, हम अपने आपको एक शक्तिशाली देश की बात करें, तो यह मुट्ठी भर लोगों से न होते हुए एक संयुक्त रूप से संगठित समाज की भावना लेकर हम विकासशीलता की ओर अग्रसर हों। आज समय आ गया है हम इस बात को सामने लाएं कि संगठन ही शक्ति है। हमने अपने आप को धर्म,जाति, इलाके,बड़ा-छोटा, अनपढ़ इस प्रकार से जो विभाजित कर लिया है,तो हमारा समाज खंड-खंड होते हुए खंडित हो रहा है। इसे संगठित करने की आवश्यकता है।

प्राचीन भारत में अलग अलग वर्ण के लोग काम कर रहे थे, मगर समाज एक था। संस्कृति एक थी। वर्ण व्यवस्था समाज के लोगों को यह जानकारी देती थी, कौनसा काम कौन करेगा या किस काम के लिए कौन व्यक्ति है! सब लोग अपना अपना नित्य कार्य करते थे। संपूर्ण समाज संगठित था। सारे उत्सव हमारी संस्कृति के अनुसार,सभी लोग परंपरा को ध्यान में रखते हुए अपनी मर्यादा का पालन करते हुए मनाते थे।इसके विपरीत, अगर हम आज की परिस्थिति देखें तो हमें एक बिखरा हुआ समाज दिखाई

देगा। अलग-अलग धर्म के लोग, अपने अपने तरीके से बात करने लगे हैं। समाज धर्म, जाति,व्यवसाय में बंट रहा है। इतना ही नहीं, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग अपने आपको राजनीतिक पार्टी के अनुरूप विभाजित कर रहे हैं। सहनशीलता समाप्त होती जा रही है। छोटी-छोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है। अपने हक की लड़ाई के लिए लोग सड़क पर आ रहे हैं। शासन तंत्र, मूक दर्शक होकर परिस्थिति देख रहा है। मगर क्या करना चाहिए, शायद उसे खुद को समझ नहीं आ रहा है या दूसरी व्यवस्थाओं में इतना उलझ गया है कि देशवासियों की ओर देश की मूल जरूरतों की तरह शायद पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रहा है। समय रहते समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में देश और देशवासियों का भविष्य क्या एक चिंता का विषय नहीं है! यह एक सोच की बात है।

जिन परिस्थितियों का चित्रण ऊपर किया गया है, वे शहरी इलाकों में पढ़े-लिखों में ज्यादा दिख रही हैं। अगर हम देहातों में, आदिवासी इलाकों में भ्रमण करें, तो वहां पर आज भी हमें एक समाज दिखता है। गांववासियों के सुख-दुख को गांव का सुख-दुख माना जा रहा है। सरकारी तंत्र पर भरोसा कम और आपसी मेलजोल पर विश्वास ज्यादा रखते हुए, वे लोग कड़ी-से-कड़ी परिस्थिति का सामना मिलकर कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गांव, देहात, आदिवासी इलाके,वहां के लोग आज भी संगठित हैं। अपने आपको एक संघ में महसूस करते हैं। सारी परेशानियां का वे मिलकर सामना करते हैं।

आज समय आ गया है कि हम इस ओर ध्यान दें। हम विकास की बात करें, हम अपने आपको एक शक्तिशाली देश की बात करें, तो यह मुट्ठी भर लोगों से न होते हुए एक संयुक्त रूप से संगठित समाज की भावना लेकर हम विकासशीलता की ओर अग्रसर हों। आज समय आ गया है हम इस बात को सामने लाएं कि संगठन ही शक्ति है। हमने अपने आप को धर्म,जाति, इलाके,बड़ा-छोटा, अनपढ़ इस प्रकार से जो विभाजित कर लिया है,तो हमारा समाज खंड खंड होते हुए खंडित हो रहा है। इसे संगठित करने की आवश्यकता है। इसे भारतीय संस्कृति में लाने की आवश्यकता है। इसे एक भाषा प्रधान देश बनाने की आवश्यकता है। आइए, हम संकल्प करें और एक संगठित भारत की ओर कदम बढ़ाएं।

17

बच्चे को उसके स्वभाव से विकसित होने दें

आज के माता पिता, समय से पहले बच्चे से अपेक्षा करने लग जाते हैं। जैसा वह चाहते हैं, वैसा वे बच्चों को विकसित करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ! आप प्रकृति की रचना के विपरीत जाकर अपनी इच्छा से प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तु को अपने हिसाब से विकसित करना चाहते हैं। क्या यह सही है? क्या हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या जो हम नहीं बन सके, वह हम हमारे बच्चों को बनाना चाहते हैं? हम क्या कर रहे हैं। क्या इसके बारे में हमने गहराई से सोचा है?

हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि जैसे वृक्ष, वैसे ही इंसान भी एक बीज से उत्पन्न होता है। जैसा बीज रहेगा, वैसा ही वह व्यक्ति बनेगा। इमली के बीज से आम का फल नहीं निकल सकता। झाड़ अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से प्रकृति ने जैसा उसका स्वाभाव बनाया है,उसी के अनुरूप वह बढ़ता है। उसके पत्ते कब निकलेंगे, उसके फूल कब खिलेंगे, फल कब से मिलने लगेंगे, मीठा फल रहेगा, खट्टा फल रहेगा! यह सब प्रकृति ने इस बीज के अंदर डाल के रखा है। समय पर ही वह बीज अपने स्वभाव के अनुरूप पत्ती, फल-फूल, टहनियाँ आदि विकसित करेगा।

इसी प्रकार इंसान का जो बीज है, वह माता की कोख में पलता है, फलता-फूलता है और जैसे झाड़ धरती माता की कोख से बाहर निकलता है। एक समय के बाद उसी अनुरूप यह जो इंसान का बीज है, वह समय आने पर अपनी माता की कोख से बाहर निकलता है। इस बीज को प्रकृति ने परिपूर्ण बनाया है। यह कब उठने-बैठने लगेगा, कब बोलने लगेगा, कब चलने लगेगा, इसका दिमाग कब और कैसा विकसित होगा, यह सब उस बीज के अंदर एक कम्प्यूटर के तरीके से प्रोग्राम किया हुआ है। आज के माता पिता, समय से पहले बच्चे से अपेक्षा करने लग जाते हैं। जैसा वह चाहते हैं, वैसा वे बच्चों को विकसित करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ! आप प्रकृति की रचना के विपरीत जाकर अपनी इच्छा से प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तु को अपने हिसाब से विकसित करना चाहते हैं। क्या यह सही है? क्या हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या जो हम नहीं बन सके, वह हम हमारे बच्चों को बनाना चाहते है? हम क्या कर रहे हैं। क्या इसके बारे में हमने गहराई से सोचा है?

एक झाड़ को अच्छा फल देने लायक बनाने के लिए हम झाड़ से खिलवाड़ ना करते हुए, उसे एक अच्छा वातवरण देते हैं। उसे हम खाद,पानी, सूरज की किरणें आदि सब का ख्याल रखते हुए उसे हम अपने आप नैसर्गिक तरीके से विकसित होने का मौका देते हैं। इंतजार करते हैं कि जब समय आएगा, तब फल देगा। हम लोग उसमें केमिकल युक्त फर्टिलाइजर डालना शुरू करते हैं,क्योंकि हमें उसका विकास तेजी से चाहिए। ऐसा करने से उस पौधे के फल का स्वाद जो होना चाहिए, वैसा नहीं आता। उसकी आयु पर भी फर्क पड़ता है। उसी प्रकार हमें हमारे बच्चों के विकास के लिए एक अच्छा वातावरण देना चाहिए। उसे एक अच्छी संगत मिलनी चाहिए। बच्चे प्राकृतिक तरीके से विकसित हों उसका ध्यान रखना चाहिए। उसके ऊपर जो हम दबाव बनाते हैं, अपने तरीके से विकसित करना चाहते हैं, उसमें उसे मानसिक व शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। कम आयु में ही उसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। उसके शरीर की जो आयु है, वह शरीर की आयु कम हो सकती है, इस ओर ध्यान देना चाहिए।

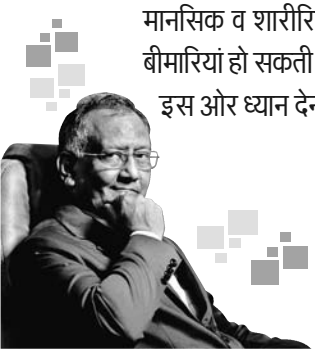

प्रकृति ने यह भी कर रखा है कि किस प्रकार की मिट्टी वाली धरती पर, किस प्रकार के इलाकों पर, पहाड़, नदी किनारे, समुद्र किनारे किस प्रकार के वातावरण में कौन-सा बीज अच्छे फल देगा! उसी अनुरूप कौन-सा बीज किस परिवार में अच्छा विकसित हो सकता है, यह भी प्रकृति ने ही तय कर रखा है। जब हम एक प्रकार के धर्म में पैदा होने के बाद, एक प्रकार के खान-पान वाले परिवार में पैदा होने के बाद, जब हम दूसरी जगह चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्रकृति के नियम के विरूद्ध हम निर्णय ले रहे हैं। कहीं-ना-कहीं इसका असर हमारे शरीर पर, हमारे भविष्य पर, हमारी सोच पर जरूर पडेग़ा। इसलिए यह जरूरी है कि जिस घर में आपको जन्म दिया गया है, उसी के आदर्श, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति, आपको पालना है। तभी आप आगे बढेंग़े।

ठंडे इलाके के किसी पेड़ को आप गर्म इलाके में उगाने का प्रयास करेंगे, तो वह पेड़ विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार नदी किनारे वाले पेड़ों को आप अगर रेगिस्तान जैसी जगह पर बोएंगे, तो विकसित नहीं हो सकता। हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि जहां हम जन्में हैं, हमें उसी संस्कृति, उसी परंपरा का पालन करना है। हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं, जिस खान-पान वाले परिवार में पैदा हुए हैं, प्रकृति चाहती है हम उसी धर्म का पालन करें। उसी प्रकार के खानपान की व्यवस्था में हम जिएं। अगर हम धर्मांतरण करते हैं, अगर हम शाकाहारी से मांसाहारी की तरफ जाते हैं, अगर हम ऐसा कोई भी शौक जो प्रकृति ने हमारे लिए नहीं बनाया है, तंबाखू सेवन, नशा करना आदि करते हैं, तो निश्चित रूप से हम प्रकृति द्वारा दिए गए इस जीवन को नर्क की ओर ले जा रहे हैं। ऐसा समझना गलत नहीं होगा।

अगर हम देहातों में, आदिवासी इलाकों में, दूरदराज इलाकों में, जंगलों में, वहां के परिवारों का अध्ययन करें, तो यह लोग अपने बच्चों के ऊपर दबाव ना डालते हुए उन बच्चों को प्रकृति के हवाले कर देते हैं। बच्चा मिट्टी में खेलता है। बच्चा जंगलों में घूमता है। वहां के पेड़-पौधों के बीच में रहता है। वहां के जानवरों के बीच में रहता है और वह अपना जीवन आगे लेकर चलता है। उसे सिर्फ एक अच्छे वातावरण की जरूरत है। उसे नैसर्गिक खाद, खानपान अच्छा, उसकी जरूरत है। अगर यह प्रकृति के रूप में तैयार हुए बच्चों को, आदिवासी और दूरदराज के इलाकों के परिवारों को हम लोग एक अच्छा वातावरण दे सकें,एक अच्छी जीवनशैली उनको समझा सके, तो मेरा मानना है कि यह बच्चे आनेवाले समय में एक बहुत अच्छा समाज खड़ा कर सकेंगे। आओ हम देहातों की ओर चलें। आदिवासी इलाकों की ओर चलें। उनके साथ दोस्ती करें और उनके द्वारा समाज का विकास करने के लिए अग्रसर हों। ■ ■ ■

18

क्या आत्मनिर्भर शब्द में खुद को परिभाषित करना, विदेशी कंपनियों की कोई नई चाल हैं?

प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोल दिया है आत्मनिर्भर भारत! लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है?यह समझने की जरूरत है। ''आत्मनिर्भरता'' केवल एक शब्द नहीं है। यह आत्मबल है, यह खुद पर विश्वास यानि-आत्मविश्वास है। स्वावलंबन है। यानी अपनी क्षमताओं का विस्तार करना! इच्छाशक्ति और कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करता है...! स्वाभिमान यानी आत्म सम्मान, आत्म गौरव का अहसास!

हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदीजी ने ''लोकल फॉर वोकल''तथा स्वदेशी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की तरफ स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। सिर्फ इशारा नहीं किया है। इस सुझाव से बड़े औद्योगिक घराने, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आदि में एक भूचाल-सा आ गया है। अपनी रक्षा के लिए इन लोगों ने अपने माल की ब्रैंडिंग करने व उपभोक्ता को अपनी तरफ आकर्षित करने एक शब्द 'आत्मनिर्भर' को चयनित कर के, इसे अपने हक में परिभाषित करने का प्रयास किया। आजकल इसी शब्द को परिभाषित

करने का फैशन चल पड़ा है। आत्मनिर्भर को प्रचार और प्रसार के माध्यम से परिभाषित करने लगे हैं। हमारे ही लोग, इस प्रकार के वक्तव्य को फॉरवर्ड करने में कहीं चूक नहीं कर रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि यहां जो आत्मनिर्भर परिभाषित किया गया और इसका प्रचार-प्रसार हमे क्यों करने की जरूरत आ गई? इस का जिस तेजी से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है इसके पीछे कौन लोग हैं? उनकी मंशा क्या है? समझने का प्रयास करें। इस प्रकार की वॉट्स ऐप पोस्ट सुनियोजित तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लोग सब जगह चला रहे हैं। लोकल और स्वदेशी के अभियान से बहुराष्ट्रीय कंपनियां घबरा गई हैं। उन्हें उनके भविष्य की चिंता होने लगी है। इसलिए वे हर शब्द को अपने तरीके से परिभाषित करने लग गए हैं। उनका बाजार पर कब्जा बना रहे, यही उनकी सोच है। वह हम लोगों के मानस पर मानसिक प्रहार कर रहे हैं। हमे सचेत रहना है। जागरूक रहना है। जैसे जड़ी-बूटी व आयुर्वेदिक चीजों का चलन बढ़ाने लगा तो यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां हर्बल के नाम से, जड़ी-बूटियों के नाम का हमारे ऊपर मानसिक प्रहार करके,अपने माल के प्रचार के लिए इस्तेमाल करने लगी। हमारे युवा गुमराह हो रहे हैं। हमे सोचना होगा कि क्या स्वदेशी अभियान विदेशियों द्वारा उन के माल की बिक्री के लिए सफल कराया जाएगा?

हम हमारी अर्थव्यस्था स्वदेशी के नाम से अग्रसर करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वदेशी को लेकर कुछ कंपनियां स्वदेशी,यानी देश में निर्मित या फिर भारतीय देशवासी द्वारा देश में निर्मित। मैं उपभोक्ता से निवेदन करता हूं कि पारंपारिक व्यापारी की दुकान से, हमारे भारतीय उत्पादकों द्वारा, माल की खरीदारी हो। हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि जब आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां आदि का प्रचलन बढ़ने लगा, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने सारे उत्पादकों में हर्बल नाम से प्रसिध्दि देकर बाजार पर कब्जा कर लिया। वैसे ही कहीं ऐसा ना हो।

साथियों समझो। बाहर निकलो। भावनाओं में मत बहो।

स्वदेशी का मतलब हर हाल में मेरे देश के उद्यमियों द्वारा बनाया हुआ माल, मेरे पारंपारिक व्यापारी की दुकान से ही खरीदें। अगर ऊपर बताई परिभाषा मानी गई, लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया, तो बड़े-बड़े मॉल,बड़े-बड़े रिटेल स्टोर, कंपनियों द्वारा संचालित रिटेल स्टोर, यह सब खड़े हो जाएंगे। हमारा माल व हमारी दुकानें पीछे आगे जाएंगे। हमें समझना है। हमें करना भी है। हमें हमारे प्रतिस्पर्धा वाले तथा हमारे बाजारों पर कब्जा करने वाले हमारे दुश्मन की चाल को समझना जरूरी है। हमारे देश की अर्थव्यस्था पर कब्जा करने की जंग छिड़ गई है। देसी और विदेशी की जंग छिड़ गई है। यह जंग आम जनता की मानसिक सोच के ऊपर निर्भर होने वाली है। आम जनता की सोच को बदलने का बहुत तेजी से प्रयास हो रहा है। भ्रमित मत हो। स्वदेशी का मतलब 100 टक्का मेरे देश का माल, मेरे देशवासी द्वारा निर्मित माल,मेरे देश की पारंपारिक दुकान से बिकने वाला माल। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोल दिया है आत्मनिर्भर भारत! लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? यह समझने की जरूरत है। ''आत्मनिर्भरता'' केवल एक शब्द नहीं है। यह आत्मबल है, यह खुद पर विश्वास यानि-आत्मविश्वास है। स्वावलंबन है। यानी अपनी क्षमताओं का विस्तार करना! इच्छाशक्ति और कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करता है...! स्वाभिमान यानी आत्म सम्मान, आत्म गौरव का अहसास!आत्मनिर्भरता सुखों की खान है। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो स्वर्ग और मोक्ष का द्वार है।

19

हमारे देश में हमारा क्या है?

मुझे ऐसा लगता है कि पूरी व्यवस्था का पुनः अवलोकन करना बहुत जरूरी है। देश आजाद है,मगर हमारी संस्कृति, परंपरा, खानपान, रहन-सहन, सोच-विचार आदि सब कहीं-ना-कहीं गुलामी में चले आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अलग-अलग देश अपने-अपने तरीके हमारे संस्कार, संस्कृति, उत्सव आदि पर प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं।

जब कभी मैं हमारे देश में चल रहे वातावरण आदि का ध्यान से अध्ययन करने का प्रयास करता हूं, तो दिमाग में यही बात बार-बार सामने आती है कि हमारा देश आजाद तो हो गया, मगर क्या इस आजाद भारत में सभी कुछ भारतीय हैं या हम अभी भी बाहर देश वालों की गुलामी में चले आ रहे हैं! एक-एक क्षेत्र को ध्यान में समझने का प्रयास किया। हमारा संविधान किसी बाहरी देश से प्रेरित महसूस होता है। हमारा प्रशासनिक तंत्र, पूर्णतः अभी भी अंग्रेज काल के प्रशासन प्रणाली से प्रभावित है। आज भी पुलिस के हाथ में डंडा है।

आज भी हर जगह पुलिस बंदोबस्त रहता है। जब मेरे चुने हुए नेता हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उनको बंदोबस्त की क्यों जरूरत आ रही है? कहीं ना कहीं हम, हमारी व्यवस्था में सुरक्षा प्रदान करने में चूक तो नहीं रहे! अंग्रेज आए अपने साथ अंग्रेजी बोली,पहनावा, खान-पान सब खुद का लेकर आए। हमारे देश को अपनाते, तो हमारे देश की बात आगे बढ़ती।

अगर हम ध्यान से देखें,तो हमारी धरोहर, हमारी परंपरा, संस्कृति, ज्ञान, विद्या आदि सब प्राचीन काल से,हजारों साल से चली आ रही प्रकृति पर आधारित पर्यावरण को पूर्णतः मानने वाली संस्कृति थी। मगर अंग्रेजों ने पूरी व्यवस्था को अपने देश की व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। हमने भी उसे स्वीकार किया। आगे चलें तो हमारी चिकित्सा प्रणाली में हजारों साल से चले आ रहे आयुर्वेदिक ज्ञान का लोप होता जा रहा है और केमिकल युक्त दवाइयाँ बाजार में कब्जा कर रही है।

हम अगर हमारी शिक्षा प्रणाली को लें, तो गुरूकुल खत्म होते जा रहे हैं और नई पाठशालाएं आती जा रही है। यह क्या पढ़ा रहे हैं, यह कौन-सी शिक्षा दे रहे हैं! अगर अंग्रेजी नहीं आती, तो हम अनपढ़ करार दिए जा रहे हैं। अंग्रेजी बोलने वाला आगे जा रहा हैं। कहीं भी हम जाते हैं, चाहे वह हवाई जहाज रहे या बाकी जगह, अंग्रेजी में बोले हुए आदमी को प्राथमिकता है। वहां बैठे युवा अंग्रेजी में बात करने लगे हैं। क्यों भाई, हिंदी से आपको परहेज है! सूट-पैंट-टाई वाला व्यक्ति बड़ा हो गया और पारंपरिक पोशाक वाला साधारण हो गया क्यों?

अगर हम केंद्र सरकार में कोई आवेदन करना चाहें, तो हिंदी में करेंगे तो राजनेता पढ़ लेंगे, मगर वहां बैठा अधिकारी शायद उसको प्राथमिकता न दें। उसे चाहिए अंग्रेजी में आवेदन, क्योंकि उसकी पढ़ाई अंग्रेजी में हुई। क्या हम, हमारे देश में कुछ इस प्रकार का तंत्र खड़ा नहीं कर सकते कि हिंदी में आए हुए आवेदनों को हम प्राथमिकता दें और उसके बाद हम अंग्रेजी में आए आवेदनों का निपटारा करें। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी व्यवस्था का पुनः अवलोकन करना बहुत जरूरी है। देश आजाद है,मगर हमारी संस्कृति, परंपरा, खानपान, रहन-सहन, सोच-विचार आदि सब कहीं-ना-कहीं गुलामी में चले आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अलग-अलग देश अपने-अपने तरीके हमारे संस्कार, संस्कृति, उत्सव आदि पर प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं।

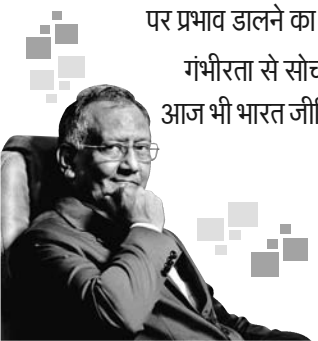

गंभीरता से सोचना होगा कि जहां अंग्रेजी नहीं पहुंच पाई या अंग्रेज नहीं पहुँच पाए, वहां आज भी भारत जीवित है। हम थोड़ा आदिवासी इलाकों की तरफ जाएं, दूरदराज के देहातों

में जाएं, जहां अंग्रेज या अंग्रेजी नहीं पहुंची है। आप देखेंगे, आज भी प्रकृति आधारित पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाली सभ्यता परंपरा आज भी जीवित हैं। समय आ गया है हमें हकीकत को पहचानना पडेगा। हम अंधी दौड़ में दौड़ते हुए कहीं हकीकत से भटक न जाएं। जिन लोगों ने हमारी धरोहर को संभाल के रखा हुआ है, आज भी चला रहे हैं, वह पीछे नहीं हैं,वह गंवार नहीं हैं, वह अनपढ़ नहीं हैं बल्कि वह सही भारतीय हैं। भगवान रामचंद्रजी ने इन्हीं लोगों की मदद से लंका पर विजय प्राप्त की थी। हम सब को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और इन लोगों की सेवा करते हुए, इनसे ज्ञान लेना पड़ेगा। अपना जीवन सफल बनाने, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अपनी संस्कृति को वापस स्थापित करने का कार्य हमें कराना होगा।

20

शिक्षित युवाओं के गिरते स्तर का कारण

समाज की अपेक्षाओं के विपरीत आज हम देख रहे हैं कि जो शिक्षित युवा हैं, उनके स्तर में भारी गिरावट दिख रही है। उच्च शिक्षा प्राप्त होने के बाद भी जिस तरह के वे होने चाहिए,उस स्तर के वे दिखते नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में यह सोचना अनिवार्य हो जाता है कि शिक्षा प्राप्त युवक आज उस मुकाम तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा! समाज की अपेक्षा के अनुरूप उसका कार्य क्यों नहीं दिख रहा! यही सोचने की बात सामने आती है।

अंग्रेजी ने हमारे देश में एक ऐसी परंपरा स्थापित कर दी है कि जो व्यक्ति स्कूलों में, पाठशाला या उच्च विद्यालयों में पढ़ाई कर के डिग्रियां हासिल कर लेगा, वह समाज में उच्च स्थान पाएगा। नौकरियों में उसे प्राथमिकता मिलेगी। शादियों में डिग्री प्राप्त युवाओं को प्राथमिकता मिलती है। इसके विपरीत हमारी जो संस्कृति थी, उसमें कौशल को महत्व दिया जा रहा था, जिसमें तजुर्बेकार व्यक्ति हुआ करते थे। समाज में बड़े-बुजुर्ग थे, जिन्हें जीवन का, समाज का, अच्छा व लंबा अनुभव था, उन लोगों से यह शिक्षित कहलाने वाले बच्चे आगे निकल गए।

उच्च स्थान पाने लगे। पूर्व काल में कौशल युक्त होना बहुत आसान था। हर किसी को आजादी थी कि वह अपना कौशल अपने परिवार के कार्य के आधार पर, अपने घर में ही वह अपना कौशल विकास कर लेता था। उसे कहीं ना कहीं अच्छी जगह रोजगार या जीविका के साधन उपलब्ध थे। कौशल प्राप्त करने में किसी जाति या पैसे वाले को कोई प्राथमिकता नहीं थी। सीमित स्थान का हवाला देकर किसी को भी कौशल प्राप्त करने से वंचित नहीं रखा गया।

अगर बच्चों को शिक्षा लेनी होती थी, तो वे जिस विषय में शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखते थे, उसके अनुसार गुरूकुल में संबंधित विषय के गुरू से वहां शिक्षा प्राप्त किया करते थे। या यूं कहे कि आज जिस प्रकार से पीएचडी करने के लिए हम एक गाइड रूपी शिक्षक रखते हैं, उसी प्रकार से गुरूकुल में जिस विषय में शिक्षा ग्रहण करनी होती थी, उस विषय से संबंधित गुरू के पास उनके चरणों में वह शिक्षा या कौशल के लिए युवा चले जाते थे। मगर अब विद्यालय व विद्यापीठ की शिक्षा प्रणाली का वर्चस्व हो जाने के बाद, सभी सामाजिक वर्ग में शिक्षा लेने की होड़ लग गई है। अब समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा मिले, इसकी व्यवस्था करना जरूरी है। शिक्षा संस्थान समिति है, विद्यापीठ में हर विषय के लिए स्थान सीमित है। इस वजह से समाज के हर वर्ग को शिक्षा मिले,यह जरूरी नहीं। यही कारण है कि समाज में बहुत बड़ा असंतोष फैलता गया। आज जीविका चलाने कौशल की कम, मगर विद्यापीठ की डिग्री हासिल कर नौकरी की चाह में अयोग्य व्यक्ति सीमा ग्रहण कर के महत्वपूर्ण पदों पर बैठ गए, नीतिकार बन गए और हमारा देश दूरदृष्टि सोच वाले लोगों से और योग्यता पूर्ण वाले लोगों से वंचित होता जा रहा है। हमारा देश या यूं कहें हमारा भविष्य,कहीं अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में तो नहीं जा रहा! यही सोच, यही चिंतन, यही मंथन, यही विचार लेकर मन बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। हम यह सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिर कल यह कौन-सा समाज हम निर्मित करने जा रहे हैं! समाज की अपेक्षाओं के विपरीत आज हम देख रहे हैं कि जो शिक्षित युवा है उनके स्तर में भारी गिरावट दिख रही है। उच्च शिक्षा प्राप्त होने के बाद भी जिस तरह के वे होने चाहिए,उस स्तर के वे दिखते नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में यह सोचना अनिवार्य हो जाता है कि शिक्षा प्राप्त

युवक आज उस मुकाम तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा! समाज की अपेक्षा के अनुरूप उसका कार्य क्यों नहीं दिख रहा! यही सोचने की बात सामने आती है।

इस विषय पर गहन चिंतन और मंथन करने से कुछ बातें मन में जागृत हो रही हैं। क्या जो युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने की लालसा रखते हैं, वह उस प्रकार की शिक्षा लेने के योग्य हैं क्या? अगर अयोग्य व्यक्ति को हम कितनी भी अच्छी शिक्षा दे दें, वह व्यक्ति योग्य व्यक्ति की तुलना में बहुत कम ही बराबरी में पहुँच पाएंगे। तो यह शिक्षा लेने वाले अयोग्य लोग शिक्षा लेने के लिए कैसे उत्तीर्ण हो जाते हैं? इस पर भी विचार करना होगा।

क्या हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जो अयोग्य लोगों को भी उच्च शिक्षा का अधिकार देते हैं, या शिक्षा का जो व्यापारीकरण हुआ है,उसके आधार पर जो योग्य नहीं है मगर जिनके पास धन बल है या पहुँच रखते हैं, ऐसे लोग अपने धन के बल पर,अपनी पहुँच के बल पर, अयोग्य व्यक्ति सक्षम युवाओं को भी पीछे छोड़कर शिक्षा सीमित लोगों के लिए जहां जगह है, वहां पर अपनी जगह बना लेते हैं और योग्य लोग, योग्य युवा वहां पर प्रवेश नहीं ले पाते। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जो लोग दूसरों के लिए कार्य करने के लिए नियुक्त होते हैं, जो लोग नीति बनाने के लिए नियुक्त होते हैं, ऐसे पदों पर योग्य व्यक्ति,जो नरम दिल का हो, दूरदृष्टि रखता हो, समाज को कैसे आगे बढ़ाना वह विचार रखता हो, किसी के दबाव में कार्य न करते हुए अपनी पूर्ण क्षमता से उस कार्य को उच्च स्तर पर पहुँचाएं। घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में देश को मजबूत बनाने का कार्य कर सकें,ऐसे लोगों का चयन होना अति आवश्यक है।

पूरे विश्व में मानव संसाधन का कार्य करने वाले यही बात कहते हैं कि 'कैच दैम यंग'! जब शिशु आयु का व्यक्ति हो, उस समय उसकी परख हो तथा उसे उसकी रूचि के अनुरूप तैयार किया जाए। भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाए। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा जब पाठशाला में प्रवेश करता है, उस समय सबसे ज्ञानी गुरू की ही हमें जरूरत है। यह ज्ञानी शिक्षक, बच्चों को शिशु अवस्था में ही परखे। जिस बच्चे में जिस क्षेत्र की क्षमता दिखती है, जिस कार्य के लिए बच्चे में रूचि दिखती है, उसे उसी कार्य के लिए आगे बढ़ाएं।

बच्चा अत्यधिक पढ़ाई मन लगाकर नहीं करता, मगर उसे विभिन्न प्रकार के कार्य करने में मजा आता है, तो ऐसे बच्चों का चयन कर के उनका कौशल विकास होना चाहिए। उन्हें प्राथमिकी शिक्षा दी जाए। उच्च शिक्षा की जगह उच्च स्तर का कौशल प्रदान कर उसका विकास हो। इस ओर ध्यान देना चाहिए ऐसा करने से जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, वे अपने कौशल विकास से अपना स्थान समाज में बना लेंगे। ■ ■ ■

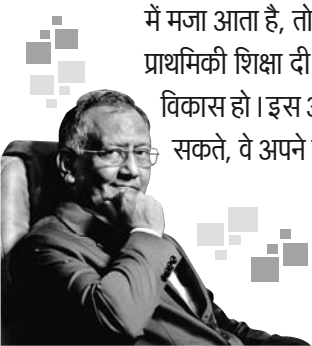

21

क्या भारतीय सभ्यता व्यापारी भरोसे खड़ी है?

व्यापारी अपना व्यापार करें, भारतीय धर्म की सेवा करें या फिर सरकार के कानूनों का पालन करें, उसकी समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय धर्म-संस्कृति को आघात पहुँचाने के लिए देश के व्यापारी समाज को समाप्त करने के लिए ''विदेशी प्रत्यक्ष निवेश'' को मंजूरी देने जैसे ब्रहमास्त्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमारे देश में खुदरा व्यापार करने के लिए व ई-कॉमर्स के माध्यम से व्यापार करने लिए छूट दे रही है।

दुनिया में अनेक जातियां हैं। इनमें भारतीय धर्म मानने वाले बहुत ही सीमित है तथा भारत वर्ष में ही केन्द्रित है। भारतीय सभ्यता बहुत पुरानी है तथा इसका इतिहास बताता है कि बड़े-बड़े ज्ञानी इसमें रहे। सदियों से भारत में आक्रमण होते रहे, मगर इसकी संस्कृति धर्म, परंपरा, उत्सव, गौरक्षा, गौपालन आदि को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंची। मगर अब यह देखने में आ रहा है कि भारतीय संस्कृति के ऊपर तेजी से आक्रमण हो रहे हैं व कहीं ना कहीं उस संस्कृति को नष्ट करने के लिए इस संस्कृति को

बचाए रखने वालों पर प्रहार किया जा रहा है।

अगर हम हमारे देश में देखें, तो भारतीय उत्सव तथा हिंदी भाषा, वेशभूषा, उत्सव आदि सभी कुछ व्यापारियों द्वारा या व्यापारी की मदद से कार्य हो रहे हैं। भारतीय व्यापारियों की महिलाएं भी भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपने आपको बनाए रखकर इसे आगे बढ़ाने में आनेवाली पीढ़ी में पूर्ण रूप से अपने आपको समर्पित हैं। भारतीय धर्म के पीछे भारतीय व्यापारी मजबूती से खड़ा है। यह बात विश्व के विभिन्न धर्म के प्रचारक जान गये तथा यह भी समझ गए हैं कि अगर भारतीय धर्म को हानि पहुँचानी है, तो इसके रखवाले को समाप्त करना अनिवार्य है।

अगर हम पिछले करीब 20 वर्षों में सरकारी नीतियों का अध्ययन करें, तो समझ में आयेगा की धीरे-धीरे कर के व्यापारियों को कानूनी बंधन में उलझाया जाता रहा है व ऐसा माहौल तैयार हो रहा है कि व्यापारियों के बच्चे व्यापार में न आते हुए नौकरी पेशेवाले बनते जाएं। सन 2000 दशक के पहले व्यापारियों के पास व्यापार करने के लिए पर्याप्त समय था। उन्हें बही-खाता रखना या विभिन्न प्रकार के कानूनों में उलझने की बहुत ज्यादा कानूनी पेचिदगियां नहीं थीं। को-ऑपरेटिव बैकों से बगैर बहुत सारे दस्तावेज दिए कर्ज मिल जाया करता था। बिक्रीकर कानून में प्रथम बिंदू कर होने की वजह से पुनः बिक्री पर कोई कर नहीं था। मिलावट रोकथाम कानून में अंतर्गत मिलावट करने वालों को सजा थी, मगर किसी प्रकार का विवरण भरना आदि का झंझट नहीं था। कुल मिलाकर व्यापारी का पूरा समय व्यापार करने में केंन्द्रित था व खाली समय में भारतीय धर्म की सेवा में व्यतीत होता था। भारतीय धर्म अपनी जड़ें और मजबूत कर रहा है।

सन 2000 के बाद को-ऑपरेटिव बैंकों बदनाम करने का अभियान चला। बैंकों को कर्जा डूबने के नाम से बैंकों से कर्ज लेने हेतु जटिलता बढ़ती गई। ज्यादा से ज्यादा कागज

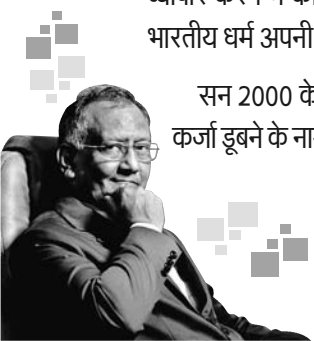

मांगने की होड़ बैंकों में लग गई। नतीजा व्यापार करने के लिए मिलनेवाले कर्ज व्यापारियों से दूर होते चले गए। अप्रत्यक्ष कर के सरलीकरण के नाम से पहले वैट और फिर जीएसटी के जरिये प्रथम बिंदू कर की जगह खपत आधारित हर बिंदू पर कर के प्रावधान से व्यापारी के ऊपर लेखा-जोखा का बहुत बड़ा बोझ आ गया। उसी प्रकार खाद्य मिलावट रोकथाम कानून के स्थान पर फूड सेफ्टी एंड़ स्टेंडर्ड एक्ट लाकर खाद्य व्यापार करनेवाले छोटे-से-छोटे व्यापारी पर एक नया बोझा डाल दिया गया। व्यापारी अपना व्यापार करें, भारतीय धर्म की सेवा करें या फिर सरकार के कानूनों का पालन करें, उसकी समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय धर्म-संस्कृति को आघात पहुँचाने के लिए देश के व्यापारी समाज को समाप्त करने के लिए ''विदेशी प्रत्यक्ष निवेश'' को मंजूरी देने जैसे ब्रहमास्त्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमारे देश में खुदरा व्यापार करने के लिए व ई-कॉमर्स के माध्यम से व्यापार करने लिए छूट दे रही है। विभिन्न समस्या व कानूनों से उलझा व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समक्ष शायद खड़ा नहीं रह पाए। मगर हमारे देश का व्यापारी समाप्त हुआ, तो भारतीय धर्म का एक मजबूत रखवाला समाप्त हुआ, ऐसा इतिहास में अंकित किया जायेगा।

मेरा देश के नीतिकारों से अनुरोध है कि देश में भारतीय धर्म बचाए रखने के लिए देश के व्यापारियों को मजबूत करना नीतिकारों की प्राथमिकता में आना अनिवार्य है। इस ओर ध्यान देना व इस मुददे पर परिचर्चा करना समय की मांग है।

22

आर्थिक गुलामी कहीं हमारे कारण तो नहीं है?

ऐसा समझ में आ रहा है कि मौजूदा वितरण प्रणाली को हटाकर, यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां एडवर्टाइजमेंट, ब्राण्ड मेकिंग, विज्ञापनों द्वारा कोरियर कंपनी की मदद से ई-कामर्स् प्रणाली के तहत अपना माल सीधा ग्राहक तक पहुंरचाना चाहती हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई तथा खुदरा व्यापारी को अलग कर के ये कंपनियां सीधा एमआरपी पर ग्राहक को माल बेचना चाहती हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने पहले शहर में बसे हमारे व्यापारी भाइयों को इस्तेमाल किया और जैसे-जैसे उनका उत्पादन बढ़ता गया, वे गांव देहात आदिवासी इलाके तक के हमारे व्यापारी भाइयों को इस्तेमाल करते हुए पूरे देश के बाजार पर अपना कब्जा किया। जो माल उन्हें बेचना था, हम व्यापारी भाइयों के माध्यम से ही उन्होंने माल बेचा। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों ने इनके माल बेचने के लिए अपना पूरा जोर लगाया, पैसे लगाए और हर प्रकार से इनके अधिकारियों की मदद की।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ सरकार मजदूर के लिए न्यूनमत वेतन की बात करती है और दूसरी तरफ हमारे व्यापारी भाइयों को यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां मार्जिन के नाम पर, मुनाफे के नाम पर लगभग कुछ नहीं दे रही है। इनका करोड़ों रूपया इन बहुराष्ट्रीय कंपनी के व्यापार में लग गया है। जब चाहे तब ये कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर बदल सकती हैं। बड़े-बड़े टारगेट देकर व्यापारी भाइयों पर मानसिक दबाव पैदा करती हैं।

सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। जब न्यूनतम वेतन की बात होती है, तो निश्चित रूप से कम से कम कितना मुनाफा डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को मिलना चाहिए, इसका भी खुलासा होना चाहिए। साथ ही अगर कंपनियां कोई डिस्ट्रीब्यूटर बदलना चाहती हैं, तो उसका क्या मापदंड होना चाहिए,ऐसी भी कोई अथॉरिटी निर्मित होनी चाहिए। कंपनियों द्वारा नया-नया माल तथा नए-नए बड़े टारगेट और दूसरी तरफ सरकार द्वारा मानसिक दबाब से व्यापारी आज पीड़ित हो रहा है। अलग-अलग बीमारियों का शिकार हो रहा है। इस ओर ध्यान देना सरकार की जिम्मेदारी है।

हमारे देश में बड़े शहरों से लेकर छोटे शहर, देहात, गांव, ग्रामीण आदिवासी इलाके, पहाड़ों पर, दूर-दराज के क्षेत्रों तक सभी जगह बहुत बड़े पैमाने पर खुदरा व्यापारियों द्वारा स्वरोजगार निर्मित है। किसी ना किसी तरह से यह लोग अपना व अपने कर्मचारियों का दो वक्त का गुजारा कर रहे हैं।

इनके व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित माल की बिकवाली से है। डिट्रीब्यूटरों द्वारा एक सुंदर वितरण प्रणाली के अंतर्गत, यह माल सब जगह उपलब्ध है। ऐसा समझ में आ रहा है कि मौजूदा वितरण प्रणाली को हटाकर, यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां एडवर्टाइजमेंट, ब्राण्ड मेंकिंग, विज्ञापनों द्वारा कोरियर कंपनी की मदद से ई-कामर्स् प्रणाली के तहत अपना माल सीधा ग्राहक तक पहुंरचाना चाहती हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई तथा खुदरा व्यापारी को अलग कर के ये कंपनियां सीधा एमआरपी पर ग्राहक को माल बेचना चाहती हैं। यहां हमें अपने संविधान की प्रस्तावना समझना चाहिए। उसमें स्पष्ट है कि हमारा देश सोशलिस्ट यानी समाजवादी व लोकतांत्रिक

देश है। मगर जिस तरीके से यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूरे व्यापार पर कब्जा बनाना चाहती हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि हमारा देश सोशलिस्टिक ना होकर कैपिटलिस्ट (पूंजीवादी)की ओर जा रहा है। 135 करोड़ की जनसंख्या में अगर पूंजीवादी हावी हो गए तो आम जनता का क्या होगा? यह सरकार को सोचना पड़ेगा। यह चुनिंदा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में पूरी अर्थव्यवस्था ना जाकर छोटे-छोटे व्यापारियों के हाथ में अर्थव्यवस्था रहे, इसके लिए कोई ठोस नीति सरकार को बनानी होगी।

'आज नहीं तो कभी नहीं'! आर्थिक गुलामी की ओर हम अग्रसर ना हो।

23

पर्यटन एक प्राचीन शक्तिशाली आर्थिक गतिविधि

चकाचौंध की दुनिया के आकर्षण में देश का पर्यटक, हमारे देश के पर्यटन स्थल से दूर हो रहा है। यह कहां तक उचित है? अर्थशास्त्रियों का सोचना है कि पर्यटन के नाम से जब पर्यटक जाता है, तो उस स्थान पर बाहर का पैसा आता है। ऐसी परिस्थिति में उस क्षेत्र में पैसे की आवक ज्यादा हो जाने से लोगों में खर्च करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है।

हम प्राचीन अर्थशास्त्रियों की कार्यशैली को समझने का प्रयास करें और यह देखने का प्रयास करें कि किस तरीके से दूरदराज इलाकों तक पर्यटन के नाम से आर्थिक गतिविधियों को चलाया गया और कैसे शहरों का पैसा दूर-दूर तक खर्च करने के लिए मजबूर कराया गया! अगर हम धार्मिक व्यवस्था देखें, तो हमारे बडे़-बड़े मंदिर तीर्थस्थल आदि सारी चीजों को दूर दूर स्थापित किया गया। पहाड़ी इलाकों में स्थापित किया गया। ग्रामीण इलाकों में स्थापित किया गया। इसका प्रचलन बढ़ाने की

व्यवस्था की गई। लोगों को धर्म, आस्था आदि अलग-अलग कारणों से प्रेरित किया गया तथा उन्हें यह पर्यटन स्थल को धर्मस्थल में परिवर्तित करते हुए जाने के लिए आकर्षण का केंन्द्र बनाया गया। जब कोई श्रद्धालु यहां जाता है, तो सद्भाव से वह धर्म से जुड़ जाता है।

अर्थशास्त्रियों ने अपनी चाणक्य नीति से इसे एक गुप्त आर्थिक गतिविधि मानते हुए पूरे देश में एक समान विकास हो, उसको ध्यान में रखते हुए यह योजना बनाई। इससे सभी क्षेत्रों का विकास हुआ, वहां रोजगार मिला। पूरे विश्व में पर्यटन रोजगार का, विकास का और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने का बहुत बड़ा साधन है। धार्मिक स्थलों को दूरदराज के इलाकों में रखने से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला। सभी जगह आर्थिक गतिविधियां बढ़ने लगीं। तकनीकि विकास और जानकारियों की उपलब्धता के कारण, आज हमारे देश का पर्यटन कम आकर्षित हो रहा है और देश का पर्यटक देश छोड़कर बाहर की ओर जाने लगा है। चकाचौंध की दुनिया के आकर्षण में देश का पर्यटक, हमारे देश के पर्यटन स्थल से दूर हो रहा है। यह कहां तक उचित है? अर्थशास्त्रियों का सोचना है कि पर्यटन के नाम से जब पर्यटक जाता है, तो उस स्थान पर बाहर का पैसा आता है। ऐसी परिस्थिति में उस क्षेत्र में पैसे की आवक ज्यादा हो जाने से लोगों में खर्च करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है।

जब हमारे देश के पर्यटक विदेशों में जाते हैं, तो हमारे देश का पैसा विदेश में जा रहा होता हैं। हमारे देश के पर्यटन स्थल खाली हो रहे होते हैं। हमें इस ओर भी ध्यान देना है। पर्यटन अनेक प्रकार के होते हैं। जंगल पर्यटन, धार्मिक स्थल के पर्यटन, पहाड़-नदी किनारे, समुद्र किनारे, आदिवासी इलाके आदि-आदि है। यह सभी पर्यटन हमारे देश में मौजूद हैं। फिर यह कौन-सा फैशन चल पड़ा है कि हर कोई विदेश में जाना चाहता है। ऐसा क्या है विदेश में, जो हमारे देश में नहीं है। युवा पीढ़ी को बताना होगा कि पहले हमारे देश के सारे पर्यटन स्थल तो देख लो। क्या नहीं है हमारे देश में! इसकी प्रसिद्धि करनी होगी। पर्यटक

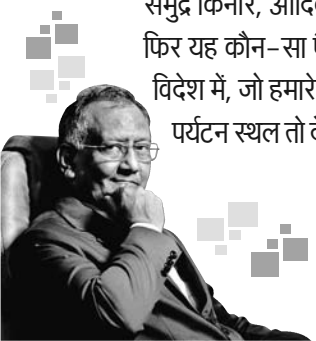

को पर्यटन स्थल तक पहुँचने के लिए सुख-सुविधाएं मुहैया करानी होंगी। हम देखेंगे कि मात्र पर्यटन से ही बहुत बड़ा विकास, बहुत बड़ा रोजगार और एक मजबूत आर्थिक गतिविधि को हम जन्म दे सकते हैं। इस ओर ध्यान देना जरूरी है। विदेशों में जा रहे हमारे देश के पर्यटकों को हमें समझाना होगा।

धार्मिक पर्यटन से हमारी संस्कृति, धर्म, आस्था और भावनाओं से युवा जुड़ेगा। हम देखते हैं कि स्कूल वाले बच्चों की ट्रिप अलग-अलग जगहों पर लेकर जाते हैं। अगर यह स्कूल, कॉलेज के ट्रिप्स हर साल छुट्टियों में बच्चों को अलग-अलग धार्मिक स्थलों पर या हमारे जो रजवाड़े हैं, किले हैं, या हमारी आजादी की लड़ाई से जुड़े वहां लेकर जाते हैं, तो बच्चों के अंदर प्रेम देश और धार्मिक भावनाएं जागृत होंगी। उन्हें समझेगा इतिहास के पन्नों में जो वह पढ़ रहे हैं, वह हकीकत में क्या है!

हर बात को गहराई से सोचना और उसे अमल में लाना कठिन कार्य है, मगर करना होगा। हमारी हर गतिविधि को आर्थिक रूप कैसे दिया जा सके! किस प्रकार से हर क्षेत्र में हर तबके के लोगों को हम रोजगार प्रदान कर सकें! कैसे देश के हर क्षेत्र में पैसा पहुंचा सकें! कैसे पूरे देश में समतल विकास हो! यह भी देखना है कि जो व्यक्ति जहां पैदा हुआ, वह उसी धरती से जुड़े रहे। हर कोई शहर की ओर भागने की होड़ न लगाए। शासन का भी फर्ज होता है कि सारी संस्थाएं, सारी सुविधाएं अगर वह बड़े शहरों में ही केंद्रित करेगा, तो हमारे गांव खाली हो जाएंगे।

24

महिलाओं को समाज की मध्य धारा से जोड़ना है

इसमें कोई शक नहीं कि महिला का प्रथम और अहम दायित्व घर-परिवार के कार्य करना है। घर की पूरी जिम्मेदारी व देखभाल करना है। हमारी आनेवाली पीढ़ी को सक्षम बनाना, उन्हें संस्कार, ज्ञान आदि देना उसे स्वस्थ रखना धर्म आदि पंरपरा का निर्वाह करना है। मगर फिर भी घर में रहते हुए, क्या वह अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकती है! अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है।

पुरूष प्रधान इस समाज में कहीं हम महिलाओं को उनके मूल अधिकार से वंचित तो नहीं रख रहे! उन्हें विकसित होने के लिए जो खुला वातावरण चाहिए, उस वातावरण को हमने कहीं उन तक पहुँचने नहीं दिया। वह जैसे खिल सकती थीं, क्या वे वैसी ही हैं! एक सक्षम मानव संसाधन होने के बावजूद भी जो हमारा समाज को देने का अधिकार है या जो समाज को वह दे सकता है, वे क्या दे पा रहे हैं! इस ओर भी ध्यान देना जरूरी है। एक महिला जब तक कुंवारी है, वह बाजारों में बगैर रोक-टोक के घूमती है। सरपट

गाड़ी दौड़ाती है। अपने पिता के ऑफिस का कार्य भी संभालती है। इतना ही नहीं, आजकल पढ़ी-लिखी लड़कियां जब तक कुंवारी रहती हैं, उस समय वह बाहर जाकर नौकरी करने के लिए भी घर से इजाजत ले लेती हैं। मगर जैसे ही उनका रिश्ता तय हो जाता है, उनके ऊपर अंकुश लगने शुरू हो जाते हैं। बेटे शाम को जल्दी आ जाया करो। बहुत ज्यादा बाहर मत घूमा करो। आदि-आदि बातें उनको सुननी पड़ती हैं। क्या यह सही है?

इसमें कोई शक नहीं कि महिला का प्रथम और अहम दायित्व घर-परिवार के कार्य करना है। घर की पूरी जिम्मेदारी व देखभाल करना है। हमारी आनेवाली पीढ़ी को सक्षम बनाना, उन्हें संस्कार, ज्ञान आदि देना उसे स्वस्थ रखना धर्म आदि पंरपरा का निर्वाह करना है। मगर फिर भी घर में रहते हुए, क्या वह अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकती है! अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है! इस ओर भी देखना बहुत जरूरी है।

आज टेक्नोलॉजी का युग है। अब कोई भी चीज दूर नहीं है। अब हमें कार्य के लिए स्वयं को हर जगह हाजिर रखना जरूरी है। दूर बैठे भी हम कार्य कर सकते हैं। अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। हम इंटरनेट आदि के इस्तेमाल से सब चीजों से जुड़े रह सकते हैं। अगर हम थोड़ा विचार करें कि हमारे व्यापार का जो बैंक ऑफिस है,जैसे अकाउंटिंग करना, टैक्स कंप्लायंस करना, बैंकिंग करना, ऑडिट करवाना, सरकारी दफ्तर में जाना आदि यह जो विषय हैं, क्या हमारी पीढ़ी-लिखी सक्षम बहुएं यह कार्य नहीं कर सकतीं? क्या हम इनको इस कार्य के लिए प्रशिक्षण नहीं दे सकते? इस ओर हम ध्यान दें, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारी कार्यशैली में आ सकता है। फ्रंट ऑफिस, दुकान आदि का कार्य पुरूष करें और बैंक ऑफिस का पूरा कार्य महिला घर से बैठकर संभाल ले। अगर ऐसा हमने समाज में परिवर्तन ला दिया,तो मैं समझता हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था और गतिशील हो जाएगी। महिलाओं का व्यापार में दखल देने से उसे पुरूष को व्यापार में होने वाली तकलीफों का एहसास हो जाएगा। पैसे कितने उपलब्ध हो पा रहे हैं, आमदनी

क्या है, किसका– किसका देना है! इन सब बातों से वह अवगत हो जाएगी। वह अपने पति की सहयोगी हो जाएगी। इससे परिवार में वातावरण भी अच्छा हो जाएगा।

हमें प्रेरणा लेना चाहिए देहातों से, दूरदराज के इलाकों से, आदिवासी क्षेत्रों से। वहां सिर्फ पुरूष काम नहीं करते, वहां परिवार कार्य करता है। आप देखें, किस प्रकार से खेती में, दूध व्यवसाय में आदि सभी जगह महिलाएं और पुरूष मिलकर काम कर रहे हैं। परिवार काम कर रहा है और परिवार आगे बढ़ रहा है। हमें इन देहातों में जाना चाहिए। हमें आदिवासी इलाकों में जाना चाहिए और वहां की कार्यशैली का अध्ययन करना चाहिए। परिवार किस तरीके से चलता है! परिवार में आपस में सामजस्य कैसे रहता है! किस प्रकार से साथ बैठकर खाना खाया जाता है! किस प्रकार से आपस में बातचीत की जाती है! यह सारी बातें हमें सिखाएंगी कि परिवार में कैसे रहना! परिवार को आगे कैसे ले जाना! समाज कैसे कार्य करता है! यह हमें उन इलाकों में जाकर, वहां का अध्ययन कर के सीखना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है।

25

गांव का स्वावलंबन

जैसे कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना जरूरी है। उसी प्रकार गांव का उत्थान करने के लिए गांव में जाना, समय व्यतीत करना और फिर उसको कैसे ऊपर उठाना, यह सब समय की मांग है और हमारा कर्तव्य है। ग्रामीण युवकों का कौशल विकास किस क्षेत्र में होना चाहिए! गांव के युवक को गांव में ही रोजगार मिले। वह गांव में ही रहे। यह देखना हमारा कर्तव्य है।

आदिवासी इलाके में परिवार के साथ भ्रमण कर रहे थे। साथ में मार्ग बताने वाला स्थानीय व्यक्ति ने चलते-चलते झाड़ में लगे कच्चे आम को तोड़ा और साथ में रख लिया। गांव के समीप हमारे भोजन की जहां व्यवस्था थी, वहां पहुंचने के पश्चात, भोजन की जब तैयारी हो रही थी, तो उस व्यक्ति ने साथ लाए कच्चे आम को काटा और खाने के साथ हमें सेवन करने को दिया। यह सब देखकर कर मन में विचार आया कि जीने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, कुदरत ने कितनी सारी व्यवस्था कर रखी है। हम यह व्यवस्था

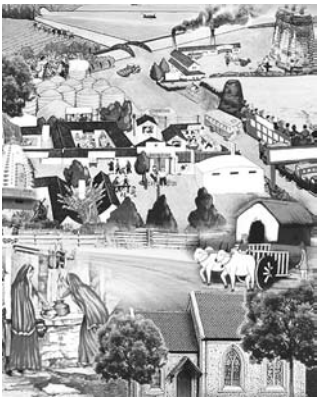

समझ नहीं पा रहे हैं या यह हमारी प्राथमिकता में नहीं है। क्यों ना हम यह बुनियादी जरूरतों को गांव गांव पहुंचा दें। प्रकृति की इस भेट को सही मायने में समझें और ग्रामीण जीवन जीना आसान बनाएं। जो समय बचे, उसमें भाईचारा व अन्य उपयोगिता वाले कार्य करें। गांव का स्वावलंबन मतलब, वहां के रहने वालों की जो बुनियादी जरूरतें हैं, वे कैसे पूरी हों! इस ओर ध्यान देना आवश्यक है।

आज खाने के लिए अगर गांव-गांव, देहात, दूरदराज के इलाके आदि ऐसी जगहों पर इस प्रकार के पेड़ उगाए जाएं, जो हमें हमारे पेट भरने के लिए अच्छे सेहत मंद खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराएं। जरा सोचिए, अगर हम कटहल, इमली, आम, बेल, (ड्रमस्टिक) मुंगना की फली आदि ऐसे कई बड़े पेड़ हैं। हर गांव में ऐसे पेड़ पर्याप्त मात्रा में लगाए जाएं और वहां के ग्रामवासियों को इसका हक दे दिया जाए, तो उन्हें कितनी चीजें आसानी से उपलब्ध होती रहेंगी। पानी एक दूसरी जरूरत है। भारत देश को भगवान का इतना आशीर्वाद है कि पूरे देश में बारिश तो होती ही है। हर गांव में तालाब की प्रथा थी। समय रहते-रहते यह तालाब पानी की जगह मिट्टी से भरने लग गए हैं। आज बड़े-बड़े यंत्र हैं। इन तालाबों का पुन: जीर्णोद्धार करना चाहिए। कितना समय लगेगा? कितना पैसा लगेगा?

हर सांसद को, हर विधायक को अपने-अपने क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त पूंजी मिलती है। एक बार तय हो जाए कि एक 5 साल का कार्यकाल सिर्फ गांव के उत्थान के लिए, वहां की जरूरतों के लिए क्या हम खर्च कर सकते हैं। पशुधन है हमारे पास। हर गांव में चराई के लिए जमीन हुआ करती थी। क्या तालाबों के पास चराई जमीन लगा दी जाए, वहां पर पानी की व्यवस्था कर दी जाए, तो परिस्थितियां कैसी होंगी! जगह-जगह नदियां हैं। बरसाती नदियों को अगर गांव-गांव में इनका पानी रोक कर तालाब में परिवर्तित कर दिया जाए, नदियों की सफाई कर के थोड़ी गहरी कर दी जाए, तो इनमें पानी एकत्रित

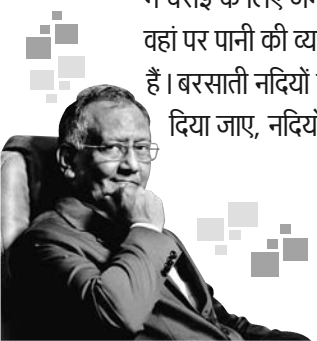

होगा। इससे भूजल भी ऊपर आ सकेगा और पृथ्वी ठंडी रहेगी।

गांव को आवश्यकता है प्राथमिक चिकित्सा की। महत्वपूर्ण चीज हैं हमारी पुरानी पारंपरिक जड़ी-बूटियों द्वारा निर्मित औषधियां। इनको कैसे विकसित किया जाए! गांव-गांव में इनके इस्तेमाल से कैसे उपचार किया जाए! ये बुनियादी बातें हैं। भारतीय संस्कृति, परंपरा, यहां का शोध बहुत प्राचीन है। अगर इसी को ध्यान से हम समझ जाए और सही तरीके से अमल करने लग जाएं,तो हमारी चिकित्सा प्रणाली सिर्फ सस्ती ही नहीं,बल्कि अच्छी भी हो जाएगी। जड़ी-बूटियों की मांग से आदिवासियों का रोजगार भी बढ़ेगा। इस ओर ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है।

ग्रामीणों के पास समय रहता है। उसका सदुपयोग भाईचारे के लिए और आपसी ज्ञान बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हर गांव में एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जहां ग्रामीण लोग बैठ सकें, मिल सकें, चर्चा कर सकें। प्राचीन काल में गांव-गांव में मंदिर बनाने की प्रथा थी। मंदिर के सामने खुला आंगन होता था। हमें इस प्रथा को पुनः स्थापित करना है। सुबह, दोपहर और शाम जब समय हो ग्रामीण वहां इकट्ठा हो सकते हैं। सामूहिक प्रार्थना के माध्यम से इकट्ठा हो सकते हैं। आपस में चर्चा करके भाईचारा मजबूत करें और आपस में ज्ञान का आदान-प्रदान करें। समय आ गया है, अब हमें ग्रामीणों की जरूरतों को जानने का। उनकी जरूरत क्या है, यह शहर में बैठकर तय नहीं किया जा सकता। उनकी जरूरतें क्या है, जानने के लिए उन गांवों में जाकर, वहां की जीवन शैली को समझकर, वहां की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कैसे उस गांव का उत्थान करें, यह विचार करना होगा।

मेरा सभी से अनुरोध है कि जैसे कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना जरूरी है। उसी प्रकार गांव का उत्थान करने के लिए गांव में जाना, समय व्यतीत करना और फिर उसको कैसे ऊपर उठाना, यह सब समय की मांग है और हमारा कर्तव्य है। ग्रामीण युवकों का कौशल विकास किस क्षेत्र में होना चाहिए! गांव के युवक को गांव में ही रोजगार मिले। वह गांव में ही रहे। यह देखना हमारा कर्तव्य है। गांव के युवक को कृषि व पशुपालन, कृषि उपज में कैसे मूल्यवर्धन किया जाए, इन चीजों में उनका कौशल विकास करना समय की जरूरत है। युवक गांव में रहेगा, तो शहर की आबादी के ऊपर दबाव नहीं बनेगा। ग्राम में अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, तो अपने आप हम विकास की ओर अग्रसर हो जाएंगे।

26

जीवन के सिद्धांत बनाएं

मेरे जीवन के क्या सिद्धांत रहेंगे, मुझे वे तय करने होंगे। मैं, मेरा जीवन मेरे लिए जी रहा हूं तथा उसे मेरे कुटुंब तक सीमित कर रहा हूं या मैं समाज का हिस्सा हूं, समाज की सारी सुख सुविधांए भोग रहा हूं, तो मैं एक सैद्धांतिक व्यक्ति बनने के लिए, अपने जीवन के सिद्धांत निर्धारित कर रहा हूं! मैं अपना जीवन उसी सिद्धांतों के आधार पर जिऊंगा।

हम मनुष्य अपना-अपना जीवन जी रहे हैं। हमारी आयु निर्धारित है। यह पूरा जीवन में कैसे जिऊंगा? क्या मैने इसका कोई सिद्धांत बनाया है? या दुनिया में आए हैं तो जीना ही पडेग़ा! जीवन है अगर जहर तो पीना ही पडेग़ा!

मैं मेरा सारा जीवन एक जानवर की तरह है। रोज सुबह उठो और रात हो तो सो जाऊं, भूख लगी तो खाना खा लिया या अपने मनमर्जी से जीवन जी लिया। इसके विपरीत एक सामाजिक व्यक्ति होने के कारण, क्या मैंने अपना जीवन जीने के कुछ नियम बनाए हैं! यह जीवन मैं कैसे व्यतीत करूंगा,

इसे सुखमय कैसे बनाऊंगा! मैं इस ऊंचाई तक कैसे पहुँचूंगा कि लोग मुझे पहचानने से ज्यादा चाहने लगें। मेरी पहचान से ऊपर मेरे लिए लोगों की चाह मेरे जीवन में क्या स्थान रखती है! इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ! एक सोच है। इसको समझने की जरूरत है। अपना जीवन एक सफलमय जीवन बनाने के लिए सफलता के क्या सिद्धांत होने चाहिए? इस सिद्धांत पर अमल करते हुए क्या मैं मेरा जीवन जी रहा हूँ। यह सोच ही मेरा कर्तव्य होना चाहिए। इसी की सफलता से मेरी पहचान से ज्यादा समाज में मेरी चाह होनी चाहिए।

मेरे चाहने वालों का दायरा कितना बड़ा होना चाहिए, कितने दूर तक मेरे चाहने वाले रहें। यह भी हमें सोचना होगा। एक छोटे-से कुटुंब में चाहने वाले से ज्यादा अच्छा होगा कि दूरदराज में बैठे ग्रामीण आदिवासी इलाकों में सुख-सुविधा से वंचित लोग मुझे चाहने लगें, मेरी राह देखने लगें। उनके मन में मेरे से मिलने की इच्छा बढ़ने लगे। क्या यह अच्छा होगा। हमें सोचना होगा कि एक सुविधा से युक्त परिपूर्ण समाज में रहते हुए क्या उन लोगों की सेवा में अपने आपको समर्पित भाव से लिप्त कर लूं। जो वंचित है, अगर वहां तक मेरे चाहने वाले फैल गए,तो निश्चित रूप से मैं भगवान से कम नहीं। मैं उन लोगों के लिए धरती पर रहता हुआ एक जीवित परमात्मा हूं। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें चाहने लगें, लोग हमें उच्च स्थान दें, तो हमारा यह फर्ज हो जाता है कि एक सेवक की भांति लोगों की सेवा करते रहें।

आज आदिवासी इलाकों में, गांव में लोग अभी भी बहुत-सी बातों से अनजान हैं। उनकी बहुत-सी बातों से हम अनजान हैं। हमें उनके साथ, ग्रामवासियों के साथ, आदिवासियों के साथ संवाद करना होगा। हमें उनका ज्ञान लेना होगा और अपना ज्ञान उनको देना होगा। हमें उन्हें चाहना होगा और उनके अंदर अपने प्रति ऐसा समाज जागृत करें कि वह भी हमें चाहने लगें। वे लोग अपना काम समाज से करें और अपने देहातों में, आदिवासी इलाकों में स्वाभिमान से जिएं, ऐसा समाज हमें खड़ा करना होगा।

मेरे जीवन के क्या सिद्धांत रहेंगे, मुझे वे तय करने होंगे। मैं, मेरा जीवन मेरे लिए जी रहा हूं तथा उसे मेरे कुटुंब तक सीमित कर रहा हूं या मैं समाज का हिस्सा हूं, समाज की सारी सुख सुविधांए भोग रहा हूं,तो मैं एक सैद्धांतिक व्यक्ति बनने के लिए, अपने जीवन के सिद्धांत निर्धारित कर रहा हूं! मैं अपना जीवन उसी सिद्धांतों के आधार पर जिऊंगा।

मेरा जो जो कर्तव्य है, यह सारे कर्तव्य का मुझे ज्ञान और आभास होना चाहिए। यह सारे कर्तव्य का निर्वाह मैं कैसे करूंगा। उसकी राह मुझे तय करनी चाहिए। कर्तव्य को अंजाम देने के लिए, मैं किन-किन लोगों से जुडूंगा, किन लोगों की मदद और माध्यम से मैं मेरे गंतव्य तक पहुंच पाऊं! यह सब मुझे तय करना चाहिए। यह सब मुझे समय रहते तय करना पड़ेगा। मैं आनेवाली पीढ़ी के लिए क्या मार्गदर्शन दूंगा! उनको समाज के प्रति निश्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ कैसे बनाऊंगा! यह भी मुझे निर्धारित करना होगा।

मैंने जो धन कमाकर एकत्रित किया है, यह समाज से ही कमाया है। इसमें से कितनी संपत्ति मैं समाज को लौटाऊंगा! उसे लौटाने का क्या तरीका होगा! उसके भी सिद्धांत बनाने होंगे। मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों से सेवांए ली है और उनकी सेवाओं के कारण ही मैं आगे बढ़ा हूं। अब मैं वह सेवा का कर्ज सेवा के रूप में समाज को कैसे लौटाऊंगा, यह भी मुझे तय करना होगा। अगर हम हमारा जीवन एक सैद्धांतिक जीवन नहीं बनाएंगे, तो जीवन के हर चौराहे पर हम भटक जाएंगे। फिर हम यह सोचेंगें कि हम कहां जाएं, क्या करें, कैसे करें, किसके साथ मिलकर करें! शायद उस समय तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मेरे जीवन के क्या सिद्धांत रहेंगे, मुझे तय करने होंगे।

27

किसान उत्पादक हैं या उद्योगपति?

अर्थव्यवस्था को गति देने वाला इंजन, मेरी समझ में अगर कोई है, तो वह किसान ही है। हम अगर बाजार की ओर देखें, तो अधिकांश व्यवसाय चाहे वह हमाल हो, रिक्शावाला, ठेलेवाला हो या दैनिक वेतन भोगी वाले बाजार के मजदूर हों या आड़तिया हो, दलाल हों, बड़ा छोटा होलसेल रिटेल व्यापारी हो, अनाज का व्यवसायी हों, किराने का व्यवसायी हो, सूखे मेवे का व्यवसायी हो, फल-फूल का व्यापारी हो या सूती कपड़े आदि सारी चीजों के व्यापार करने वाले को माल मिलता है, तो वह देने वाला सिर्फ और सिर्फ किसान है।

हमें उत्पादन और निर्माण यानी निर्मिति में फर्क पर ध्यान देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि उत्पादक वहां होता है,जहां जितना डाला उससे ज्यादा पैदा हुआ और निर्माण या निर्मिति में हम जितना डालते हैं या तो उतना ही नया माल निकलता है या उससे कम निकलता है। यह फर्क समझने के लिए हमें खेती और उद्योग में अंतर समझना पड़ेगा। खेती में किसान एक बीज डालता है और अनेकों उत्पादन करता है, जबकि उद्योग में जितना कच्चा माल डाला जाता है उसकी तुलना में उतना ही या उससे कम माल का निर्माण होता है।

अगर यह सही है, तो हमें आगे यह देखना होगा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए क्या जरूरी है? उत्पादन या निर्माण काम किसान करता है, जबकि पूरी धरती को प्यासा रखा गया। अगर उत्पादन को प्राथमिकता दी गई, तो हर खेत को पानी क्यों नहीं?

हमारे नीतिकार को यह सोचना अनिवार्य हो जाए। जब गांव का आदमी खेती करता है, तो वह मालिक होता है और उसकी जमीन का अधिग्रहण करके उद्योग को दे दिया और वहां पर वही ग्रामीण व्यक्ति एक नौकर बन कर काम करता है। कहां तक यह नीतियां उचित हैं? अगर हर खेत तक पानी पहुँचने लग गया, तो उस खेत की उत्पादकता बढ़ जाएगी। पैदावार ज्यादा होने से चीजों की कीमतें नियंत्रित रहेंगी। महंगाई नियंत्रित रहेगी। किसान को भरी अतिरिक्त आमदनी होगी और उपभोक्ता को भी वाजिब दामों पर माल मिलने लगेगा।

समय है,हमें सोचना होगा, हर खेत में पानी कब पहुँचेगा? इसके लिए क्या नीतियां हैं? इसके लिए कितना बजट बनाया गया है। उद्योग को जो पानी भी दिया जाता है, वह इस्तेमाल के बाद प्रदूषित या पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है, मगर खेत में दिया गया पानी धरती में समावेश होता है। भूजल अच्छा होता हैं, तो धरती ठंडी रहती है। उद्योग और खेती में फर्क समझना भी जरूरी है। अर्थव्यवस्था को गति देने वाला इंजन, मेरी समझ में अगर कोई है, तो वह किसान ही है। हम अगर बाजार की ओर देखें, तो अधिकांश व्यवसाय चाहे वह हमाल हो, रिक्शावाला, ठेलेवाला हो या दैनिक वेतन भोगी वाले बाजार के मजदूर हों या आड़तिया हो, दलाल हों, बड़ा छोटा होलसेल रिटेल व्यापारी हो, अनाज का व्यवसायी हों, किराने का व्यवसायी हो, सूखे मेवे का व्यवसायी हो, फल-फूल का व्यापारी हो या सूती कपड़े आदि सारी चीजों के व्यापार करने वाले को माल मिलता है, तो वह देने वाला सिर्फ और सिर्फ

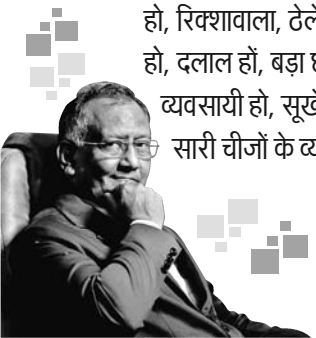

किसान है।

उद्योग में भी तेल मिल हो, दाल मिल हो, चावल मिल हो, पोहा आदि सारी चीजों का अगर सप्लायर कोई है, तो वह किसान की पैदावार ही है। किसान अपने खेतों में जितनी ज्यादा उपज पैदा करेगा, अपने बगीचों में जितने अच्छे फल उगाएगा, वह जो सारी चीजें जो उगाता है, तो अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, रोजगार उत्पन्न होता है और समाज आगे बढ़ता है।

आज पूरे सरकारी बजट में से कितना रूपया वाकई किसानों के लाभार्थ खर्च हो रहा है? कृषि उपज की ज्यादा पैदावार करने के लिए कितना आविष्कार हो रहा है। किसान की लागत कम हो जाए, उसका मुनाफा बढ़ जाए, इसके लिए कितना काम हो रहा है? आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें बनीं, उन्होंने शहरी निवासियों का ध्यान रखते हुए योजनाएं बनाईं। ग्रामीण विकास, कृषि विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं हुआ कि बजट में व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन दिल्ली से रू. 1/– चलता था और गांव की धरती पर पैसा 10 पहुँचता था। सरकार बदल गई,लेकिन आज भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया। अन्नदाता बलीराजा किसान को स्वतंत्र भारत की सरकारों ने भिखारी बना दिया, आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के लिए इन्हीं किसानों ने अपना बलिदान दिया। आजाद हिंद में यही किसान आत्महत्या कर सरकार को जगाना चाहते हैं, लेकिन कुंभकर्ण जाग नहीं रहा है।

हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पूर्वज कृषि और कृषि उपज के व्यवसाय से ही आगे बढ़े। इस गांव से बड़े शहर में आकर, बड़े शहर की सुख–सुविधा और चकाचौंध में अपनी भूमि जहां जड़े थीं उसको भूल गए। शिक्षा, चिकित्सा, सारे सरकारी विभाग सभी चीजें अगर शहर में रहेंगी, तो आदमी गांव में क्यों रहेगा? समांतर विकास की बात करने वाले सिर्फ चुनिंदा शहरों और उसके आसपास ही पूरा विकास कर रहे हैं। गांव आगे कैसे बढ़ेगा? गांव वाले गांव में क्यों रहेंगे? इस पर विचार करना अति आवश्यक है।

28

बाजार में तरलता लाए सरकार

मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बाजार की तरलता बनाए रखने के लिए सरकार व रिजर्व बैंक को ऐसी नीति घोषित करनी चाहिए कि किस्तों के रूप में बाजार का पैसा जो बैंकों में जा रहा है, वह रूक जाए। मेरा यह सुझाव है कि आगामी 24 माह में मासिक किस्तों में से जो मूल रकम की किस्त है, उसे एक मुश्त रकम में परिवर्तित कर दी जाए।

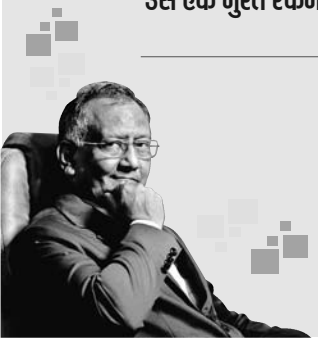

आज हमारे देश में अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर दौर से गुजर रही है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बाजार में पैसे की तरलता काफी हद तक कम हो गई है। लोगों की माल खरीदने की क्षमता भी कम हो गई है। इस वजह से जिंसों की मांग कम होती नजर आ रही है। हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए तथा उसे गति प्रदान करने के लिए, ग्राहकों की खरीद क्षमता बढ़नी चाहिए। अगर माल खरीदने की क्षमता ग्राहकों की बढ़ेगी तो अपने आप मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ने से

रोजगार निर्मित होता है। रोजगार निर्मित होने से नए लोगों के पास पैसा आता है। उनकी खरीदी क्षमता बढ़ती है और इस तरह से अर्थव्यवस्था का चक्र घूमने लगता है।

हमें यह समझना जरूरी है कि ऐसा क्या कारण है कि पैसे की तरलता समाप्त हो रही है या कम हो रही है! ऐसे कौन से उपाय है, जो इस पैसे की तरलता को, लोगों की खरीदी क्षमता को बढ़ा सके! मेरे अध्ययन के अनुसार जिस प्रकार से मालमत्ता के सामने हर किसी को अलग-अलग नाम से कर्ज दे दिया गया है। यह कर्ज ग्राहकों को भी दिया गया है और व्यापारियों को भी दिया गया है। इससे हो यह रहा है कि ग्राहक को जो मासिक आय होती है, वह आय का अधिकांश हिस्सा यह जो अलग-अलग नाम से कर्ज लिया गया है, उनकी किश्त चुकाने में चला जाता है। इसके साथ-साथ उसे म्युचुअल फंड, इंश्योरेंस आदि के भुगतान करने होते हैं उससे चला जाता है। यह सब देखते हुए ऐसा समझ में आता है कि ग्राहक के पास खर्च करने के लिए सीमित रकम बचती है, जो उसके दैनिक खर्च में इस्तेमाल हो जाती है।

इसी के साथ जो बाजार में व्यवसायी लोग हैं, उन्होंने भी मालमत्ते के सामने कर्ज ले रखा है। उनकी जो मासिक बिक्री होती है, उसमें से भी मासिक किस्त चली जाती है। उसे अपने सप्लायर को भुगतान करने में तकलीफ आ रही है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बाजार की तरलता बनाए रखने के लिए सरकार व रिजर्व बैंक को ऐसी नीति घोषित करनी चाहिए कि किस्तों के रूप में बाजार का पैसा जो बैंकों में जा रहा है, वह रूक जाए। मेरा यह सुझाव है कि आगामी 24 माह में मासिक किस्तों में से जो मूल रकम की किस्त है, उसे एक मुश्त रकम में परिवर्तित कर दी जाए। यह एकमुश्त रकम आने वाले 25 महिने से 36 महीने तक 12 समान बराबर किस्तों में परिवर्तित कर दी जाए। इससे ग्राहक के पास पैसे बचेंगे। व्यवसायी के पास पैसे बचेंगे। अर्थव्यवस्था में तरलता आएगी और निश्चित रूप से मांग बढ़ जाने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त होगी। इस ओर ध्यान देना चाहिए।

29

बैंकिंग प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह!

जिन लोगों ने बैंक में अपने खून-पसीने की कमाई को डिपॉजिट कर रखा है, वह बैंक अगर तकलीफ में आता है, तो रिजर्व बैंक आदेश कर डिपॉजिटर का पैसा वापस करने पर रोक लगा सकती है, यह कैसी हमारी नीति है?

हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र याने जनता की सरकार। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि जो कानून बनते हैं, वे जनता को ध्यान में रखकर बनते हैं या जनता को सजा देने के लिए बनते हैं! आप बैंकिंग प्रणाली लीजिए। एक के बाद एक अनेक कानून ऐसे बना दिए गए कि बैंक ने जिसको कर्ज दिया है, वह कर्ज की तीन किस्त नहीं दिया,तो बैंक उसकी संपत्ति नीलाम कर सकता है। बेच सकता है। वह संपत्ति या उस इंडस्ट्री के ऊपर कब्जा कर सकता है। इसके विपरीत

जिन लोगों ने बैंक में अपने खून-पसीने की कमाई को डिपॉजिट कर रखा है, वह बैंक अगर तकलीफ में आता है, तो रिजर्व बैंक आदेश कर डिपॉजिटर का पैसा वापस करने पर रोक लगा सकती है, यह कैसी हमारी नीति है?

जनता का पैसा बैंक डुबा सकता है, मगर जनता थोड़ी भी तकलीफ में आए तो उसने जो संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखी है, उसे बैंक तुरंत बेच सकता है।

मेरे ख्याल से नीतियों की पूरी कार्यशैली को समझना जरूरी है। आम जनता के हित में और बराबरी के हक को ध्यान में रखते हुए कानून बनना चाहिए।

बैंक का खून 'खून' और जनता का खून 'पानी', इस सोच से चलना उचित नहीं है।

30

देश में समाजवाद या पूंजीवाद?

यहां हमें संविधान के प्रस्तावना लेख को (प्रियमबल) समझना चाहिए। उसमें स्पष्ट कहा है कि हमारा देश सोशलिस्ट यानी समाजवादी डेमोक्रेटिक देश है। मगर जिस तरीके से यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूरे व्यापार पर कब्जा बनाना चाहती हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि हमारा देश सोशलिस्टिक ना होकर कैपिटलिस्ट (पूंजीवाद) की ओर जा रहा है।

हमारे देश में बड़े शहरों से लेकर छोटे शहर, देहात, गांव, ग्रामीण आदिवासी इलाके, पहाड़ों पर दूर-दराज के क्षेत्रों तक सभी जगह बहुत बड़े पैमाने पर खुदरा व्यापारियों द्वारा स्वरोजगार निर्मित है। किसी-ना-किसी तरह से ये लोग अपना व अपने कर्मचारियों का दो वक्त का गुजारा कर रहे हैं। इनके व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित माल की बिकवाली से है। डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा एक सुंदर वितरण प्रणाली के अंतर्गत,यह माल सब जगह उपलब्ध है। ऐसा समझ सें आ रहा है कि मौजूदा वितरण प्रणाली

को हटाकर,यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां एडवर्टाइजमेंट, ब्रान्ड मेकिंग, विज्ञापनों द्वारा कोरियर कंपनी की मदद से ई–कॉमर्स प्रणाली के तहत अपना माल सीधा ग्राहक तक पहुँचाना चाहती हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई तथा खुदरा व्यापारी को अलग कर के ये कंपनियां सीधा एमआरपी पर ग्राहक को माल बेचना चाहती है। यहां हमें संविधान के प्रस्तावना लेख को (प्रियमबल) समझना चाहिए। उसमें स्पष्ट कहा है कि हमारा देश सोशलिस्ट यानी समाजवादी डेमोक्रेटिक देश है। मगर जिस तरीके से यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूरे व्यापार पर कब्जा बनाना चाहती हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि हमारा देश सोशलिस्टिक ना होकर कैपिटलिस्ट (पूंजीवाद) की ओर जा रहा है।

140 करोड़ की जनसंख्या में अगर पूंजीवादी हावी हो गया, तो आम जनता का क्या होगा? यह सरकार को सोचना पड़ेगा। यह चुनिंदा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में पूरी अर्थव्यवस्था ना जाकर छोटे–छोटे व्यापारियों के हाथ में अर्थव्यवस्था रहे, इसके लिए कोई ठोस नीति सरकार को बनानी होगी। इसे हमें आज नहीं तो कभी नहीं, के तर्ज पर करना होगा, ताकि आर्थिक गुलामी की ओर हम अग्रसर ना हों।

हम भारत देश के वासी हैं। भारत देश की आजादी के बाद, ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे भारत देश के अंदर एक नया देश विकसित हो रहा है। हमारे नीतिकार इसे देख रहे हैं। इस भारत देश के अंदर पनप रहे नए देश के देशवासियों की भाषा,खान–पान,रहन–सहन,सोच–विचार,पूजा–पाठ आदि सब भारतवासियों से भिन्न नजर आ रहा है।

इस देश के वासी भारत देश में पनपती पश्चिमी सभ्यता से अत्यधिक प्रभावित हैं। ऐसा लगता है कि इनकी पढ़ाई–लिखाई धीरे–धीरे इन लोगों को भारत के देशवासियों से दूर ले जा रहे हैं। भारत में पनपते और तेजी से जाल फैलाते इस देश का नाम है इंडिया।

हमारी जवाबदारी है कि देशहित में, अपने हित में, समाज हित में भारत को, इंडिया और भारत में विभाजित होने से रोकें। आज भारत में इंडिया बसता है, कहीं ऐसा न हो कि

कल इंडिया में भारत बसे। आज हम पड़ोसी से लड़ने की बात कर रहे हैं। कल हमें आपस में लड़ने की नौबत न आए। क्या ऐसी परिस्थिति की कल्पना हो सकती है! इस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।

हमारे बच्चे हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी में बात करने लगे हैं। हवाई जहाज में कोई गांव का व्यक्ति भी हो, मगर एयर होस्टेस उससे अंग्रेजी में बात करेगी। खान-पान में पिज्जा, बर्गर और चाइनीस हमने ये खाना शुरू कर दिए हैं। हम मंदिरों में कम जाते हैं। अगर गए भी तो भगवान को हाथ भी नहीं लगाना और अन्यत्र भगवान को चूम लेते हैं। अपने उत्सव त्यौहार मनाएं या ना मनाएं, मगर वैलेंटाइंस डे पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगर यही चलता रहा, तो क्या होगा भविष्य में? इसकी चिंता सताए जा रही है। अगर भारत, भारत नहीं रहा और इंडिया बन गया, तो क्या होगा! इस पर सोचना एक गंभीर मसला दिखता है।

31

आओ विश्व अर्थव्यवस्था को करें मुट्ठी में

हमें बताने की जरूरत नहीं है कि विश्व में अलग-अलग धर्म जाति के लोग, अपने-अपने इकोनामिक फोरम बना रखे हैं। वे अपने-अपने बैंक तैयार कर के, अपने धर्म, अपनी जाति के लोगों को व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें गलत क्या है, हम क्यों नहीं कर सकते? जरूरत है कि हम संगठित होकर, संकल्प ले कि जैसा संगठन के लोग हमें मार्गदर्शन करते हैं, उस मार्गदर्शन पर हम चलें। ऐसा करें, तो मुझे नहीं लगता कि हमें आर्थिक विश्व गुरू बनने में कोई रूकावट आएगी!

आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने का युद्ध छिड़ चुका है। हर देश, दूसरे देशों की मंडियों में अपना कब्जा जमाने के लिए है। हर देश, दूसरे देशों की मंडियों में अपना कब्जा जमाने के लिए अपने अपने देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन दे रहा है। कई बड़े देश विकासशील देशों की नीतियों में हस्तक्षेप कर के वहां के पुराने कानून, पारंपारिक सोच आदि को बदल कर आधुनिक सोच का नाम देकर नई–नई वस्तुएं बाजार में डाल रहे हैं।

तंत्रज्ञान के इस युग में ई-कॉमर्स, विज्ञापन, ब्रांडिंग आदि माध्यमों से हर बहुराष्ट्रीय कंपनी अर्थव्यवस्था में अपनी पैठ जमाने के लिए मेहनत कर रही हैं। ऐसी परिस्थिति में हम हिंदुओं का क्या धर्म है? क्या कभी हमने सोचा?मेरा ऐसा मानना है कि इस आर्थिक युद्ध में, अगर हिंदू व्यापारी सेना सक्रियता से हिस्सा लेती है,तो निश्चित रूप में हम विश्व-अर्थव्यवस्था के विजेता हो सकते हैं। कुछ मूल बातें हमें ध्यान रखनी होगी। उन पर गौर करना होगा। उन पर चिंतन-मंथन करना होगा। किस मार्ग से हम विश्व-अर्थव्यवस्था के गुरू,अर्थव्यवस्था के राजा बन कर विश्व-अर्थव्यवस्था का संचालन करने वाले बन सकते हैं, यह हमें सोचना होगा।

यहां हमें यह बात बताना जरूरी है कि हमारे देश में उच्च शिक्षा प्राप्त, मजदूरी, मेहनती लोग अपने कौशल विकास व कौशल कला से पूरे विश्व में फैल गए हैं। ऐसा कोई देश नहीं होगा,जहां भारतीय मूल के लोग नहीं हों। बहुत से देश ऐसे हैं, जहां कई पीढ़ियों से भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं। इन लोगों ने उन देशों में अपनी अच्छी पकड़ भी बना रखी है। ऐसी परिस्थिति में क्या हम इन लोगों की सहायता से कुछ व्यापारिक फायदा ले सकते हैं?

मुझे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदीजी की वह बात याद आती है, जब उन्होनें कहा था कि अगर हमारे देश की सीमाएं कोई बढ़ा सकता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ व्यापारी है। अगर व्यापारी संगठित होकर मजबूती से विश्व में अपना दायरा फैलाएगा,तो हमारे देश की आर्थिक सीमाएं फैलती चली जाएंगी। हो सकता है कि एक समय ऐसा आएगा कि उन हर देशों की आर्थिक अर्थव्यवस्था में हमारी पकड़ ऐसी

मजबूत हो कि सूरज 24 घंटे जहां भी अपनी रोशनी दे रहा है, वहां भारतीय मूल के लोगो का अर्थव्यवस्था पर कब्जा हों।

हमें यह भी समझना है कि अगर एक व्यक्ति शिखर पर पहुंच गया और वहां से उसने रस्सी नीचे छोड़ा तो उस रस्सी के सहारे हम सभी लोग शिखर पर पहुंच सकते हैं। हमारे हिंदू भाई, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। इन भाइयों का हम कैसे लाभ ले सकते हैं? यह भी सोचना होगा।

अगर हम प्राचीन काल में जाएं, तो देखेंगे कि जब गांव में किसी को भी व्यवसाय के लिए बाहर जाना होता था, तो वह गांव के लोगों से जानकारी लेता था कि बाहर कौन-कौन से शहरों में प्रदेशों में परिचित लोग हैं! उनके पते लेकर उन शहरों में, प्रदेशों में वह व्यक्ति जाता था। फिर एक-एक कर के परिवार के लोग उस शहर में आने लगते थे। एक बड़ा पूरा व्यापारिक साम्राज्य इन लोगों ने उन शहरों में तैयार किया है।

मेरा यह मानना है कि 'वर्ल्ड हिंदू इकोनामिक फोरम', यह एक ऐसी रस्सी है, जिस रस्सी को पकड़कर हम शिखर पर बैठे हमारे भाई की मदद और सहयोग से शिखर पर पहुँच सकते हैं। 'वर्ल्ड हिंदू इकोनामिक फोरम' में अगर हम सक्रियता से हिस्सा लें, इस फोरम की बातों को समझें और इस फोरम के माध्यम से हम पूरे विश्व में हमारी व्यापारिक गतिविधियों का जाल कैसे फैलाया जा सकता है? यह समझे, तो निश्चित रूप से हमारा व्यापार कई गुना बढ़ सकता है।

अपने देश से निकलकर कर हम परदेस तक जा सकते हैं। हमें एक-दूसरे को जानना होगा, एक-दूसरे के साथ चलना होगा, एक संगठित हिंदू आर्थिक फोरम तैयार करना होगा। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि विश्व में अलग-अलग धर्म जाति के लोग, अपने-अपने इकोनामिक फोरम बना रखे हैं। वे अपने-अपने बैंक तैयार कर के, अपने धर्म,अपनी जाति के लोगों को व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें गलत क्या है, हम क्यों नहीं कर सकते? जरूरत है कि हम संगठित होकर, संकल्प लें कि जैसा संगठन के लोग हमें मार्गदर्शन करते हैं, उस मार्गदर्शन पर हम चलें। ऐसा करें,तो मुझे नहीं लगता कि हमें आर्थिक विश्व गुरू बनने में कोई रूकावट आएगी! यहां एक और बात समझना जरूरी है। हमारे देश के लोग विश्व के हर देशों में जा चुके हैं। तो हमारे देश का खानपान, कपड़ेण, उत्सव आदि सभी चीजों की विश्व के हर देश में मांग बढ़ती जा रही है। हमारे यहां निर्मित सामान को अब विदेशी लोग अच्छे नजरिए से देखने लगे हैं। उसे ग्रहण करने लगे हैं। हमारी लुंगी,

कुर्ता, पाजामा आदि सभी चीजें विदेशी लेने लगे हैं।

आप अगर हिंदू धर्म की बात करें, तो भगवान श्री रामचंद्र जी व श्री कृष्णजी के भक्त रोज विदेशों में बढ़ते जा रहे हैं। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा धर्म हमें अच्छे आचरण और विचार देता है। उससे एक अच्छा समाज बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसी के लिए विश्व में हमारे देश की वस्तुएं प्रचलित होती जा रही हैं। जब ये चीजें प्रचलित हो जाती हैं, तो इससे संबंधित वस्तुओं की मांग बढ़ने लग जाती है। यह मांग हमारे देश के व्यापारी पूरा कर सकते हैं। जरूरत है, हमें हमारी सोच में बदलाव लाने की, विश्व में व्यापार करने की इच्छा आने अंदर जागृत करने की, बाहर निकलने की और अपने अंदर सोच जागृत करने की।

हमारा ऐसा मानना है कि आप पर्यटन, आर्थिक पर्यटन, विश्व आर्थिक गुरू बनने के लिए पर्यटन करके तो देखें । होटलों के नाम की सूची बनाकर एक बार वहां के प्रमुख व्यापारियों की आप एक यादी बनाएं और जाकर उनसे मिलें। बाहर रिसोर्ट में रूकते हों। अब जाओ तो वहां के व्यापारी क्षेत्र हैं, मंडियां हैं, वहां के होटलों में रूकें। वहां का अध्ययन करें।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे व्यापारियों की जो कार्यशैली है, व्यापारियों के अंदर जो हमारा कौशल है,व्यापार करने का तरीका, यह विदेशियों से कई गुना ज्यादा है। हमारे रग-रग में हमारे खून में व्यापार है। सिर्फ जरूरत है हमें अपने आपको बदलने की। विश्व हिंदू आर्थिक फोरम में सक्रिय होना होगा। इसका हिस्सा बनना होगा। हमें गर्व होना चाहिए हिंदू होने पर और हमें हिंदू अर्थव्यवस्था विश्व में फैलाने के लिए एक हिंदू सिपाही बन कर कार्य करना होगा। भविष्य में आने वाली पीढ़ी आपके द्वारा किए गए कार्य को सुनहरे शब्दों में अंकित करेगी, ऐसी ही सोच से कार्य करना होगा। आइए हम सब मिलकर 'विश्व हिंदू इकोनॉमिक फोरम' के सदस्य बनें और हिंदू व्यापारिक संस्कृति पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए कार्य करें। पूरे विश्व की आर्थिक गतिविधियों की हम रचना करें।

32

हम प्रकृति/पर्यावरण का हिस्सा हैं या प्रतिद्वन्द्वी?

विकास के नाम पर प्राकृतिक धरोहर नष्ट होती जा रही हैं। नदी किनारे शहर बसे, गांव बसे और इन नदियों को हमने नालों में तब्दील कर दिया। यह कौनसा विकास है? एक गहन चिंता का विषय है। आधुनिकीकरण व विकास के नाम पर हम लोग क्या नष्ट करने जा रहे हैं! हम आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा प्राकृतिक सौंदर्य छोड़कर जाएंगे! इसके बारे में सोचना अति आवश्यक है, जो एक गंभीर विषय है।

हमें पर्यावरण और प्रकृति नियम के अनुरूप अपने आपको ढालना चाहिए या प्रकृति के नियमों के विपरीत, उसको चुनौती देते हुए, हमें जीवन जीना चाहिए, यह एक सोचने का विषय हो सकता है। क्या जैसा पर्यावरण निर्मित है, जैसा प्रकृति मौसम बदलती है उसी के अनुरूप हमें हर मौसम में,उसी के अनुसार जीना और रहना चाहिए या प्रकृति की हर क्रिया को चुनौती देकर उसके विपरीत हमें जीना और रहना सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि यह सोचने का, मंथन करने का, विचार करने का विषय है।

हमारा रहन-सहन, खान-पान प्रकृति के अनुरूप चल रहा है, या उसके विपरीत चल रहा है? क्या हम लोग अपना रहन-सहन वातावरण के अनुरूप रख रहे हैं या हमने अपने जीवन की परिभाषा अपनी सुख-सुविधा के अनुरूप कर रखी है! हमारे सुख-सुविधा की परिभाषा क्या है? हम शायद सुख-सुविधा को अलग दिशा में परिभाषित करते जा रहे हैं। मानव शरीर हर परिस्थिति में अपने को ढालने लायक बनाया गया है। मगर हम लोग अपने शरीर को पर्यावरण के अनुसार ना ढालते हुए, उसे अलग दिशा में ले जा रहे हैं।

धरती, पेड़-पौधे, पशु आदि सभी अपने आपको प्रकृति के अनुरूप ढाल रहे हैं, जैसा प्रकृति चाहती है, जैसा मौसम रहता है, उसी में वह खड़े रहते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जब धरती को तपना जरूरी है, तब धरती अपने आपको तपाती है, जब पौधों को अपनी पत्तियां छोड़नी होती है, तो वे अपनी पत्तियां छोड़ते हैं और धरती उपजाऊ होती है। पौधों में, पेड़ों में, फल-फूल लगते हैं और वातावरण शुद्धता की ओर बढ़ता है।

पर्यावरण खुला है, खुले माहौल में रहना है, प्रकृति के साथ हर पल बिताना है। मगर हमें आदत होती जा रही है बंद कमरों में रहने की। अंधेरे में रहने की। अप्राकृतिक तरीके से रोशनी करने की! अप्राकृतिक तरीके से पर्यावरण/वातावरण को बदलने की! क्या यह सही है?

मौसमी फल, फूल और सब्जियों की जगह हम लोग बेमौसम की सब्जियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज में रखा फल, विदेशों से आया फल हमें आकर्षित करने लगा है। हमें सूती कपड़ों की जगह मनुष्य द्वारा निर्मित पदार्थो से बने कपड़े पसंद आने लगे हैं। तो क्या हम प्रकृति और पर्यावरण से दूर नहीं जा रहे हैं? क्या हम अपने जीवन के नियम, प्रकृति से हटकर खुद के बना रहे हैं। क्या हम प्रकृति से सीधा मुकाबला/टकराव करने की तैयारी में है? यह सब एक सोचने का विषय है।

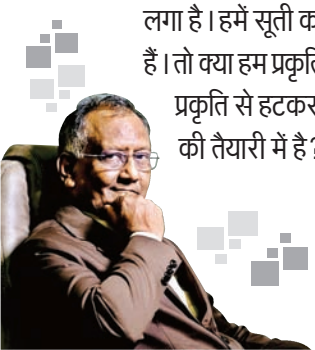

यह जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है, पर्यावरण का निर्माण हुआ है, यह लाखों वर्षों से विश्व को संभाले हुए है। इसको चुनौती देना कहीं हमें हमारे अस्तित्व और मनुष्य जीवन की समाप्ति की ओर तो नहीं ले जाएगा? मुझे लगता है कि यह सोच का, मंथन करने का, विचार करने का विषय है। क्या विकास का अर्थ यह होता है कि प्रकृति और पर्यावरण जैसा चाहता है वह न कर के, हम लोग अप्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करें! पूरी रात को चकाचौंध कर के जगमगाते हैं और जैसा दिन होता है, वैसे ही रात लगे, यह सुनिश्चित करते हैं। गर्मी के दिनों में हम प्रकृति से अपने आपको अनुकूल न बनाते हुए एअर कंडीशनर आदि का सहारा लेकर गर्मी को चुनौती देते हैं। हमारे ऋषि-मुनियों ने गहन तपस्या कर, पूरे भूमंडल का अभ्यास कर के चांद-तारे-सूर्य आदि सभी ग्रहों व नक्षत्रों का अभ्यास करके, पूरे समाज के लिए नियम बनाए हैं। हम लोग इन सब की गहन तपस्या को दरकिनार कर, विदेशी ज्ञान के आधार पर अपने आपको ढालते चले जा रहे हैं। क्या कहीं ऐसा नहीं लगता कि निजी संपत्ति का संग्रह करने की होड़ में, हम हमारी शक्ति मशीनों व विस्फोटक सामग्रियों की मदद से कई गुना ज्यादा बढ़ाकर, प्रकृति को सीधी चुनौती दे रहे हैं। पहाड़ के पहाड़, मैदान बना दिए जा रहे है। जंगल के जंगल उजाड़ दिए जा रहे हैं।

क्या हमने विकास के नाम पर विनाश की राह पकड़ ली है? भगवान ने यह जो सृष्टि की रचना की है, यह हमें भोगने के लिए की है, न कि नष्ट करने के लिए। हम जो करने जा रहे हैं इसका 100 या 200 साल के बाद क्या परिणाम होगा? क्या इसका अध्ययन किया गया है। प्रकृति द्वारा बनाई गई सभी चीजों को, चाहे वे पहाड़ हों, वृक्ष हो,नदी हों, तालाब हो, हमने सबके अंदर भगवान देखा है। सबकी हम पूजा करते हैं।

जरा सोचें, यह सब कार्य करने में अग्रणी कौन है? यह सब कार्य वे लोग कर रहे हैं, जिन्हें हम ज्ञानी और सुशिक्षित व्यक्ति कहते हैं। इन्होंने शिक्षा ली है या नष्ट करने की शक्ति प्राप्त की है? इसके विपरीत हम ग्रामवासी-आदिवासी व दूर-दराज में रहने वाले लोगों को देखें। इन लोगों को शायद शहर वाले अशिक्षित बोलते होंगे। मगर यह ग्रामवासी, आदिवासी, दूर-दराज में रहने वाले वनवासी, ये लोग पूरा जीवन प्राकृतिक तरीके से जीते हैं। वे प्रकृति को नष्ट नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इनके दैनिक कार्य के लिए, इनकी इच्छापूर्ति के लिए, इनके एक अच्छे जीवन के लिए,यह प्रकृति महत्वपूर्ण है। तो अब यह भी सोचना जरूरी है कि शिक्षित और ज्ञानी कौन है? वो लोग जिन्होंने कुछ पुस्तकें पढ़ लीं, कुछ डिग्रियां हासिल कर लीं या वे लोग जिन्होंने पर्यावरण के अनुरूप अपने आपको

ढाला! सोचने का विषय है।

विकास के नाम पर प्राकृतिक धरोहर नष्ट होती जा रही हैं। नदी किनारे शहर बसे, गांव बसे और इन नदियों को हमने नालों में तब्दील कर दिया। यह कौनसा विकास है? एक गहन चिंता का विषय है। आधुनिकीकरण व विकास के नाम पर हम लोग क्या नष्ट करने जा रहे हैं! हम आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा प्राकृतिक सौंदर्य छोड़कर जाएंगे! इसके बारे में सोचना अति आवश्यक है, जो एक गंभीर विषय है। विकास के नाम पर विनाश तो ना करें। आप कुछ बना नहीं सकते, तो कम प्रकृति का विनाश ना करें। जोशीमठ के सैकड़ों घरों में आयीं दरारें इसी का परिणाम है। इसलिए जैसा भूमंडल है, इसे ऐसा ही रहने दें। इसी में हमें जीना है। इसी को अपनाकर हमें हमारा जीवन व्यतीत करना है। यह अगर हम सोच लेंगे,तो हम अपने आप एक बहुत अच्छा प्राकृतिक जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

33

कार्य करें देसी और नाम करवाएं विदेशी!

सरकारी महकमे में भी यही पाया जाता है कि सामाजिक कार्य ये विदेशी संगठन कर रहे हैं। क्या हमारे देश के लोगों को यह सोचने का समय नहीं आ गया है कि जब कार्य हम लोग कर रहे हैं, तो इन विदेशी संगठनों से जुड़ना और विदेशी संगठनों के नाम से कार्य करने की जगह क्या हम हमारे देश में कार्य कर रहे संगठनों से नहीं जुड़ सकते? इन संगठनों के नाम से कार्य नहीं कर सकते! क्या हम समाज को, सरकार को और अंतरबहुराष्ट्रीय पटल पर यह नहीं बता सकते!

पूरे विश्व में सामाजिक कार्यों का बहुत महत्व है।

शासन अपने प्रशासन व अन्य कार्य में व्यस्त है। समाज की रोजमर्रा की बुनियादी छोटी-बड़ी जरूरतों का कौन ख्याल रखेगा! इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जगह-जगह सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं। हमारे देश में भी अनेंकों सामाजिक संगठन कार्यरत हैं। कुछ संगठन विदेशी मूल के हैं और अधिकांश स्थानीय रहवासियों द्वारा खड़े किए गए हैं। विदेशी मूल के संगठनों से ज्यादातर धनवान व्यक्ति, सक्षम

व्यक्ति, समाज में नाम रखने वाले व्यक्ति जुड़े हुए हैं। इन संगठनों में युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा है। ये युवा अपनी पढ़ाई समाप्त करते ही इन अंतरबहुराष्ट्रीय सामाजिक संगठनों से जुड़ जाते हैं। इन संगठनों ने अपना विदेशी नाम, विदेशी मूल और विदेशी तौर तरीके अपना रखे हैं। ये संगठन प्रचार-प्रसार के माध्यम से युवा वर्ग को ही अपनी युवा अवस्था में जोड़ लेते हैं। इन संगठनों में काम करने वालों का अगर हम विश्लेषण करें, तो हमें मालूम पडेग़ा कि इन संगठनों में काम करने वाले सभी निवासी भारत के निवासी हैं। यही लोग काम कर रहे हैं। यही लोग धन एकत्रित कर रहे हैं। यही लोग कार्यों को प्रसिद्धि दे रहे हैं। मगर नाम किसका हो रहा है? इन विदेशी संगठनों का नाम हो रहा है। यानी मानव संसाधन मेरे देश का, पैसा मेरे देश का और नाम हो रहा है विदेशियों का! विदेशी समाजसेवी संगठनों का!

सरकारी महकमे में भी यही पाया जाता है कि सामाजिक कार्य ये विदेशी संगठन कर रहे हैं। क्या हमारे देश के लोगों को यह सोचने का समय नहीं आ गया है कि जब कार्य हम लोग कर रहे हैं, तो इन विदेशी संगठनों से जुड़ना और विदेशी संगठनों के नाम से कार्य करने की जगह क्या हम हमारे देश में कार्य कर रहे संगठनों से नहीं जुड़ सकते? इन संगठनों के नाम से कार्य नहीं कर सकते! क्या हम समाज को, सरकार को और अंतरबहुराष्ट्रीय पटल पर यह नहीं बता सकते! क्या हम समाज का कार्य अपने देश के संगठनों से ही कर रहे हैं, यह सोचने का विषय है।

हमारे देश में हर समाज और हर क्षेत्र में काम करने वाले, अपने-अपने नाम से संगठन बना रहे हैं। ये सभी लोग हर प्रकार के सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। हमारे

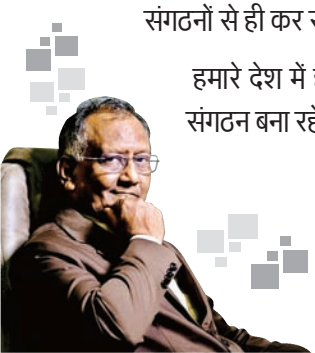

देश के संगठनों को आगे लाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे संगठनों को प्रसिद्धि देना हमारी प्राथमिकता है। जरूरत है, इन संगठनों के संचालन को एक सुनियोजित तरीके से करवाने की। आवश्यकता है इन संगठनों को कैसे मजबूत बनाया जाए! यह सोचने की आवश्यकता है।

जरा सोचिए, विदेशी संगठन अपनी अंतरबहुराष्ट्रीय स्तर पर पत्रिकाएं निकालते हैं। उन पत्रिकाओं में इन लोगों के नाम से विभिन्न देशों में जो कार्य हो रहे हैं, उनके फोटो, प्रेस नोट आदि छापते हैं तथा अंतरबहुराष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम एक सामाजिक संगठन के रूप में सामने लाते हैं। यह कार्य हम लोग नहीं कर सकते क्या?

हमारे पास कौनसे संसाधन की कमी है! हमारे पास बड़े से बड़े दानदाता हैं। हमारे पास अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता हैं। जरूरत है दानदाता और कार्यकताओं को मिलाने की। सही कार्य करने वाले संगठनों की प्रसिद्धि देने की। अगर ऐसा हुआ, तो अन्य क्षेत्रों के अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी हमारे देश का नाम रोशन होगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि हमारे स्थानीय संगठन, हमारे देश के संगठन, हमारे देशवासियों द्वारा संचालित संगठनों को मजबूत करें। उन्हें आगे लाएं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रजी मोदी के साथ बीसी भरतिया.

सरसंघचालक श्री मोहनजी भागवत के साथ बीसी भरतिया.

पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति इरानीजी के साथ बीसी भरतिया.

केन्द्रीय रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंहजी के साथ बीसी भरतिया.

केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मलाजी सीतारमण के साथ बीसी भरतिया.

बी. सी. भरतिया

जन्म : 18 अप्रैल 1955 (नागपुर)
शिक्षा : बी. कॉम., सी.ए.
व्यापार : आयर्न एंड स्टील, माइनिंग, पेयजल बोतल, कोक ओवन बैटरीज, मेडिकल ऑक्सीजन, नाइट्रोज ऑक्साइड व अन्य...

गतिविधियां :

- **राष्ट्रीय अध्यक्ष,** कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, नई दिल्ली (कैट)
- **कोषाध्यक्ष,** माधव नेत्रालय आय इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, नागपुर
- **सदस्य,** महाराष्ट्र स्टेट कमिटी टू प्रिपेयर स्टेट यूथ पॉलिसी
- **पूर्व सदस्य,** महाराष्ट्र स्टेट लेवल एडवायझरी कमिटी ऑन वैट
- **पूर्व सदस्य,** ज्वाइंट कमिटी ऑन सर्विस टैक्स ऑन रोड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, केंद्र सरकार.
- **सदस्य,** पैनल ऑफ ऑर्बिट्रेटर्स - नागपुर बेंच ऑफ मुंबई हाईकोर्ट
- **पूर्व अध्यक्ष,** नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स, नागपुर

सामाजिक :

- **अध्यक्ष,** विश्व मंगल गौ-ग्राम यात्रा (विदर्भ)
- **पूर्व अध्यक्ष,** श्री अग्रसेन मंडल, नागपुर.
- **कोषाध्यक्ष,** श्री श्रद्धानंदपेठ अनाथालय, नागपुर
- **कोषाध्यक्ष,** श्री गणपति उत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट 'नागपुर का राजा', रेशिमबाग, नागपुर
- **सचिव,** श्री हरि वनवासी ट्रस्ट, नागपुर इकाई

सम्मान -

- **'व्यापारी भूषण'** (उत्तरप्रदेश व्यापारी मंडल द्वारा झांसी में)
- विशेष - अनेक पुरस्कारों एवं अवार्ड्स से सम्मानित। रेलवे स्टेशन समिति नागपुर, सेंट्रल एक्साइज रीजनल कमेटी नागपुर एवं अन्य अनेक संस्थाओं से भी संलग्न।

- **संपर्क** : सदोदय, धारोडकर चौक, सेंट्रल एवेन्यु, नागपुर - 440 032 (महाराष्ट्र)
- **भ्रमणध्वनि :** 9422101317
- **इमेल** : bcbhartia@gmail.com

ISBN No. : 978-93-342-0923-5

मूल्य : ₹ 501/-

Design : Prashant Wankhede @ 8329258505